



CFA COACHING
CENTRE FOR AMBITION

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा

पाठ्य अध्ययन सामग्री कोड संख्या PET-11 21 CFA

समसामयिकी
(CURRENT AFFAIRS)

भारतीय एवं वैश्विक
(INDIA & WORLD)

CFA अनुसंधान एवं विकास पाठ्य सामग्री इकाई द्वारा सृजित

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृ.सं.
1.	राष्ट्रीय समसामयिकी	01-22
2.	अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी	23-54
3.	आर्थिक समसामयिकी	55-70
4.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा विविध	71-93

1. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर व नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (National Population Register (NPR), National Register of Citizen (NRC) & Citizenship Amendment Act, 2019 (CAA 2019))

- National Population Register (NPR)** :
- एनपीआर भारत में रहने वाले स्वाभाविक अर्थात् देश के सामान्य निवासियों (Usual Resident) का एक रजिस्टर है। इसे ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है।
 - नागरिकता कानून 1955 और सिटिजनशिप रूल्स, 2003 के प्रावधानों के तहत एनपीआर को तैयार किया जाता है। इसमें देश के स्वाभाविक निवासियों की भौगोलिक और बायोमैट्रिक जानकारी होगी।
 - गृह मंत्रालय, देश का सामान्य निवासी उस व्यक्ति को मानता है, जो कम से कम पिछले 6 महीनों से स्थानीय क्षेत्र में रहता है। या अगले 6 महीनों के लिए किसी विशेष स्थान पर रहने का इरादा रखता हो।
 - एनपीआर तैयार करने का मुख्य उद्देश्य देश के हर निवासी की पूरी पहचान और अन्य जानकारियों के आधार पर उनका डेटाबेस तैयार करना है ताकि जब केन्द्र सरकार किसी योजना का निर्माण करे तो योजना का लाभ सभी लाभार्थियों तक पहुँचे साथ ही धोखाधड़ी को रोका जा सके।
 - एनपीआर में किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी अर्थात् सामान्य निवासियों की स्वघोषणा के आधार पर ही उनके धर्म, जाति, आर्थिक स्थिति व अन्य जानकारियाँ ली जायेंगी।
 - केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 24 दिसम्बर, 2019 को जनगणना 2021 की प्रक्रिया शुरू करने तथा एनपीआर को अद्यतन करने की मंजूरी दे दी है।
 - जनगणना प्रक्रिया में 8754.23 करोड़ रुपये तथा एनपीआर के अद्यतन पर 3941.35 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा।
 - सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, एनपीआर अप्रैल और सितम्बर, 2020 के बीच असम को छोड़ कर देश के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। यह कार्य जनगणना कार्य के साथ होगा। असम को इससे अलग इसलिये रखा गया है। क्योंकि वहां पहले ही राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (NRC) का कार्य हो गया है।
- National Register of Citizen (NRC)** :
- एनआरसी एक रजिस्टर है, जो भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों के रिकार्ड से संबंधित है।
 - एनआरसी की शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में असम में हुई थी फिलहाल यह असम के अलावा किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है।
 - एनआरसी में केवल उन भारतीयों के नाम को शामिल किया गया है जो 25 मार्च 1971 के पहले से असम में रह रहे हैं।
 - जो लोग 25 मार्च, 1971 के बाद से असम में रह रहे हैं या फिर जिनके पास 25 मार्च, 1971 से पहले से असम में रहने के प्रमाण नहीं है, उन्हीं को असम एनआरसी से बाहर कर दिया गया है।
- भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार** :
- देश का नागरिक ही संवैधानिक पदों जैसे- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी (एटार्नी जनरल), महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) आदि प्रमुख पदों पर नियुक्ति पाने के अधिकारी हैं।
 - देश के नागरिक को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अन्तर्गत प्रदत्त मूल अधिकार प्राप्त हैं।
 - देश के नागरिक ही लोकसभा और राज्यविधान सभा के लिए मतदान की पात्रता रखता है।
 - देश का नागरिक ही संसद (लोकसभा व राज्य सभा) और राज्य विधानमण्डल (विधानसभा व विधानपरिषद) के सदस्य होने की अर्हता रखता है।
- भारतीय संविधान में नागरिकता विषय का उल्लेख** :
- भारतीय संविधान के भाग II में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

अनुसंधान एवं विकास एकदिवसीय परीक्षा प्रकोष्ठ

Citizenship Amendment Act, 2019 (CAA, 2019)

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 पर विवाद

- अनुच्छेद 11 में संसद को भविष्य में नागरिकता के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिकार का प्रयोग करके संसद ने नागरिकता के सम्बन्ध में नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया है।
- नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने के प्रमुख आधार हैं-
1. जन्म, 2. वंशानुगत, 3. पंजीकरण, 4. प्राकृतिक निवास (5 वर्षों तक साधारणता भारत में रहा हो।), 5. क्षेत्र समावेशन द्वारा
- 11 दिसम्बर 2019 को नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 संसद में परित किया गया तथा 12 दिसम्बर 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात् यह नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के रूप में देश में प्रभावी हो गया।
- इस अधिनियम में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदायों- हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई जो भारत में अवैध प्रवासियों के रूप में रह रहे थे उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जायेगी।
- सीएए के तहत किए गए संशोधित प्रावधान संविधान की 6 अनुसूची में शामिल राज्यों-असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के साथ-साथ पश्चिम बंगाल पूर्वी सीमा विनियमन और 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन परमिट (ILP) वाले राज्यों (अरुणाचल, नागालैण्ड, मणिपुर व मिजोरम) में लागू नहीं होंगे।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार प्रदान करता है जबकि यह अधिनियम मूल देश, धर्म और भारत में प्रवेश की तिथि (31 दिसम्बर 2014 से पूर्व भारत में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों पर लागू होगा) के आधार पर अवैध प्रवासियों के साथ भिन्न-भिन्न व्यवहार करता है।
- यह अधिनियम 3 देशों के अल्पसंख्यकों को धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर नागरिकता देता है जबकि श्रीलंका के तमिल व म्यांमार के रोहिंग्या प्रवासियों को अलग रखा गया है, ऐसा क्यों? कारण नहीं बताया गया।

2. कोविड-19 पर नियन्त्रण हेतु भारत को प्राप्त होने वाली वैश्विक सहायता

वैश्विक संस्थान	स्थापना वर्ष	मुख्यालय	सहायता राशि	महत्वपूर्ण तथ्य
विश्व बैंक (World Bank)	जुलाई 1944	वाशिंगटन डीसी (यूएसए)	1अरब डालर की सहायता राशि	कोविड-19 पर नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम विश्व बैंक ने भारत के India Covid-19 Emergency Response & Health System Preparedness Project के लिए एक अरब डॉलर की सहायता राशि अप्रैल, 2020 के पहले सप्ताह में अनुमोदित की। नोट: स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के लिए विश्व बैंक की यह अब तक की सबसे बड़ी सहायता है।
एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank)	19 दिसम्बर 1966	मनीला (फिलीपीन्स)	1.5 अरब डालर की सहायता राशि	कोविड-19 पर नियंत्रण हेतु-टेस्टिंग किट्स, आइसोलेशन वाइर्स की स्थापना व इसके विस्तार, अस्पतालों में ICU की स्थापना व विस्तार आदि उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यह राशि उपलब्ध करायी गयी।
एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (Asia Infrastructure Investment Bank)	16 जनवरी 2016	बीजिंग	500 मिलियन डॉलर की सहायता राशि	चीन के प्रभुत्व वाले इस बैंक ने 8 मई 2020 को यह राशि भारत के लिए स्वीकृत की। यह राशि भारत में जन स्वास्थ्य प्रणाली के सशक्तिकरण व संक्रमित मामलों में कमी लाने के लिए विश्व बैंक द्वारा दी गयी सहायता के पूरक के रूप में, ऋण के रूप में उपलब्ध करायी गयी है।

3. स्थल विशेष समसामयिकी

- ह्वटद्वीप (White Island) :**
- न्यूजीलैण्ड के दो प्रमुख द्वीप हैं- (i) North Is. (ii) South Is.
 - North Is. के उत्तर पूर्व में पर्यटन हेतु विख्यात White Island में 9 दिसम्बर 2019 को ज्वालामुखी फटने से 19 लोगों की मृत्यु हुई थी।
 - White Is. एक ज्वालामुखी द्वीप है जिसे **वकारी (Whakarri)** के नाम से जाना जाता है।

- रोहतांग सुरंग(Rohtang Tunnel):**
- हिमाचल प्रदेश के **मनाली** से लद्दाख नामक केन्द्र शासित प्रदेश के **लेह जिले** तक एक सुरंग बनायी जा रही है, जिसकी लम्बाई 8.8 किमी. है और यह सुरंग समुद्र तल से (Tunnel/Underground Passageway) 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
 - यह सुरंग **लेह-मनाली हाईवे** पर स्थित है। इस सुरंग के निर्माण का कार्य **बार्ड रोड संगठन** द्वारा किया गया है।
 - रोहतांग सुरंग का नाम 25 दिसम्बर 2019 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया है।

- अबेरदीन थाना (Aberdeen Police Station)**
- केन्द्र सरकार द्वारा 6 दिसम्बर 2019 को जारी देश में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले थाने (Police Station) की सूची जारी की। इस सूची में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले पुलिस स्टेशन निम्नवत् हैं-

रैंक	पुलिस स्टेशन का नाम
प्रथम	अबेरदीन थाना, अंडमान जिला (अंडमान निकोबार द्वीप समूह)
द्वितीय	बालासिनोर थाना, माहीसागर जिला (गुजरात)
तृतीय	अजाक थाना, बुरहानपुर जिला (मध्य प्रदेश)

नोट : थानों की यह सूची थानों द्वारा सम्पत्ति अपराध, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों के मामलों का तीव्रता से समाधान करने के आधार पर तैयार की गयी है।

- बोगेनविले द्वीप Bougainville Is**
- पृष्ठभूमि:**
 - दक्षिण प्रशान्त क्षेत्र में स्थित पापुआ न्यू गिनी द्वीप के शासन अधिकार में यह द्वीप है।
 - इस द्वीप का क्षेत्रफल 9300 वर्ग किमी. है तथा इस द्वीप की कुल जनसंख्या लगभग 2 से 3 लाख है।
 - इस द्वीप पर सर्वप्रथम अधिकार **जर्मनी** का था, उसके बाद **आस्ट्रेलिया** का, उसके बाद **जापान** का और फिर **संयुक्त राष्ट्र** ने इसका शासन अपने हाथ में ले लिया। अन्ततः इसका शासन **पापुआ न्यू गिनी** को सौंपा गया।
 - बोगेनविले द्वीप प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से बेहद धनी द्वीप है यहाँ **सोने और तांबे की खदानें** पर्याप्त मात्रा में हैं और दशकों से पापुआ न्यू गिनी की आय का प्रमुख स्रोत यह द्वीप रहा है।

जनमत संग्रह: इस द्वीप में हिंसक संघर्ष की शुरुआत 1980 के दशक से हुई जिसके प्रमुख कारण **के कारण** निम्नवत् हैं-

- इस द्वीप में स्थित खदानों का लाभ पापुआ न्यू गिनी को होता है न कि बोगेनविले द्वीप को।
- खदानों में निरंतर चलने वाले काम और बाहरी लोगों के आने से बोगेनविले द्वीप के मूल निवासियों की जिन्दगियों में खलल पड़ रही थी।

उपरोक्त कारणों के चलते वर्ष 2001 में बोगेनविले द्वीप और पापुआ न्यू गिनी के मध्य शांति समझौता हुआ जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019 में जनमत संग्रह करवाया गया जिसमें 98% लोगों ने बोगेनविले द्वीप को एक नया देश बनाने के पक्ष में वोट किया और 2% लोगो ने पापुआ न्यू गिनी के साथ रहने पर सहमति जतायी।

महत्वपूर्ण तथ्य: • जनमत संग्रह का परिणाम गैर बाध्यकारी है अर्थात् बोगेनविले द्वीप और पापुआ न्यू गिनी द्वीप के नेताओं के बीच होने वाले समझौतों से ही आजादी का मार्ग प्रशस्त्र हो सकेगा।

- वैश्विक स्तर पर नए देश के गठन की प्रक्रिया का कोई सीधा नियम नहीं है। एक क्षेत्र की राष्ट्रीयता मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि कितने देश और अंतराष्ट्रीय संगठन किसी क्षेत्र को एक देश के रूप में मान्यता देते हैं।

अनुसंधान एवं विकास एकद्विवसीय परीक्षा प्रकोष्ठ

- 1933 के मॉटेवीडियो कन्वेंशन के अनुसार- एक क्षेत्र जो स्वतंत्र बनना चाहता है उसे मुख्य रूप से 4 मापदंडों को पूरा करना होता है- (i) एक परिभाषित क्षेत्र (ii) लोग (iii) सरकार (iv) अन्य देशों के साथ संबंध बनाने की क्षमता।

मराठावाड़ा क्षेत्र, महाराष्ट्र (Marathwada, Maharashtra) : मराठावाड़ा में 8 जिले आते हैं, जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। इस क्षेत्र में देश का पहला जल ग्रिड स्थापित किया जा रहा है, जिसकी स्थापना का उद्देश्य मराठावाड़ा में पेयजल, औद्योगिक इकाईयों व कृषि उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समन्वित पाइप नेटवर्क स्थापित करना है। यह ग्रिड जल जीवन मिशन का एक हिस्सा है।

गंगा नदी पर स्थापित मल्टी मोडल टर्मिनल (Multimodal Terminal Project on River Ganga)

वर्ष	स्थान	महत्वपूर्ण तथ्य
नवम्बर, 2018	वाराणसी, उ०प्र०	यह गंगा नदी पर बनने वाला पहला मल्टी मोडल टर्मिनल है।
12 सितम्बर, 2019	साहिबगंज, झारखण्ड	यह गंगा नदी पर बनने वाला दूसरा मल्टी मोडल टर्मिनल है।

नोट: यह टर्मिनल “जल मार्ग विकास परियोजना” के तहत गंगा नदी पर बनाये जा रहे हैं।

- गंगा नदी पर कुल 3 टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें से 2 टर्मिनल राष्ट्र को समर्पित किये जा चुके हैं।

देवचा पंचमी हरिनसिंह दीवानगंज कोल ब्लॉक

- यह कोयला ब्लॉक पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है।
- 2102 मिलियन टन के अनुमानित भण्डार के साथ यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला खदान क्षेत्र है।

(Deocha Pachami Harinsingha Dewanganj Coal Block)

- देश के कोयला मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को यह कोल ब्लॉक आवंटित किया है।
- मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुसार यह कोल ब्लॉक लगभग 1 लाख जाब्स क्रिएट करेगा जो बीरभूम जिले व उसके आसपास के जिले के लोगों की आय बढ़ाने में सहायक होगा।

नोट: विश्व में सर्वाधिक कोयला भण्डार वाले देश: 1. यूएसए 2. रूस 3. आस्ट्रेलिया 4. चीन 5. भारत

- भारत में सर्वाधिक कोयला भण्डार वाले राज्य : 1. झारखण्ड 2. उड़ीसा 3. छत्तीसगढ़ 4. पश्चिम बंगाल 5. मध्य प्रदेश
- भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार रखने और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ ही दूसरा सबसे बड़ा कोयले का आयातक देश है।

माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी [Mount Sinabung Volcano]

- 10 अगस्त, 2020 को उत्तरी सुमात्रा द्वीप (इंडोनेशिया) में स्थित माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी जो पिछले 400 वर्षों से निष्क्रिय था (वर्ष 2010 व 2014 में विस्फोट हुआ था) में विस्फोट हुआ।

नोट: यह ज्वालामुखी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र विश्व में ज्वालामुखी व भूकम्प के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यह क्षेत्र प्लेट टेक्टोनिक्स का प्रत्यक्ष उदाहरण है।

4. कोविड-19 का भारतीय संघवाद पर प्रभाव (Impact of Covid-19 on Indian Federalism)

संघवाद का अर्थ

: ऐसी व्यवस्था जहाँ केन्द्र व राज्य की शक्तियों के मध्य स्पष्ट विभाजन हो, संघवाद कहा जाता है।

भारतीय संघवाद की स्थिति

: भारतीय संविधान की 7 वीं अनुसूची में 3 सूचियों का शामिल किया गया है, जिसमें भारतीय संघवादी व्यवस्था के दर्शन होते हैं। ये सूचियाँ निम्नवत् हैं:-

सूची	सूची का नाम	शामिल विषय	महत्वपूर्ण तथ्य
प्रथम सूची	संघ सूची (Union List)	100	संसद, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाती है।
द्वितीय सूची	राज्य सूची (State List)	61	राज्य सूची में शामिल विषयों पर राज्य विधान मण्डल कानून बनाती है।
तृतीय सूची	समवर्ती सूची (Concurrent List)	52	इस सूची में शामिल विषयों पर संसद व राज्य विधानमण्डल दोनों

			ही कानून बना सकते हैं। यदि किसी विषय पर संसद व राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाये गये कानून में टकराव होता है तो उस स्थिति में संसद द्वारा बनाये गये कानून, राज्यों पर लागू होंगे।
--	--	--	--

**भारतीय संविधान
का केन्द्र के प्रति
झुकाव के उदाहरण**

- : भारतीय संविधान केन्द्र की ओर झुका प्रतीत होता है इसे सिद्ध करने के निम्न आधार हैं-
- ऐसे विषय जिनका उल्लेख इन तीनों सूचियों में न हो, ऐसे **अवशिष्ट विषय** पर कानून बनाने का अधिकार/शक्ति संसद को प्राप्त है।
 - राज्यों की अपनी कोई **क्षेत्रीय अखंडता** (Territorial Integrity) नहीं है अर्थात् संसद एक तरफा कार्यवाही करते हुए किसी राज्य की सीमा में **बदलाव कर सकती है**। उसका **नाम परिवर्तित कर सकती है** व एक राज्य को **एक से अधिक राज्यों में विभाजित कर सकती हैं**। उपरोक्त कार्यवाही करने से पूर्व केन्द्र को संबंधित राज्य की सहमति लेना अनिवार्य है परन्तु सहमति व असहमति को मानना केन्द्र के लिए बाध्यकारी नहीं है। **उदाहरणस्वरूप** आन्ध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा ने तेलंगाना के गठन के प्रस्ताव को सहमति नहीं दी थी इसके बावजूद भी तेलंगाना राज्य गठित हुआ। जम्मू-कश्मीर राज्य को जम्मू-कश्मीर व लद्दाख नामक केन्द्रशासित प्रदेश में विभाजित किया गया।
 - आपातकालीन प्रावधानों में केन्द्र को बहुत अधिक प्राथमिकता दी गयी है। **उदाहरणस्वरूप** अनुच्छेद 352 के तहत **राष्ट्रीय आपात** के समय केन्द्र बहुत शक्तिशाली हो जाता है।
 - **अनुच्छेद 356** के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के संदर्भ में भी केन्द्र को बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त हैं हालांकि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से अनुच्छेद 356 के मनमाने प्रयोग पर काफी हद तक लगाम लगायी गयी है परन्तु आज भी इस अनुच्छेद का दुरुपयोग किया जाता है, जो **भारतीय संघवाद के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है** क्योंकि अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग से ही राज्यपाल की भूमिका का मुद्दा जुड़ा होता है। दरअसल राज्यपाल की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे राज्य के प्रमुख के अलावा राज्य में केन्द्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं तथा राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी गयी रिपोर्ट के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
 - आर्थिक मोर्चे पर भी राज्य, केन्द्र द्वारा प्रदत्त अनुदानों व कर राजस्व पर अत्यधिक निर्भर है। करारोपण के मामले में भी राज्यों की तुलना में केन्द्र को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं।
 - संविधान में संशोधन की अनन्य शक्ति संसद को ही प्राप्त है।
- भारतीय संविधान केन्द्र व राज्य दोनों की शक्तियों का उल्लेख करता है परन्तु उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि शक्तियों का संकेन्द्रण केन्द्र की ओर झुका हुआ है।

**कोविड-19 के समय
केन्द्र-राज्य संबंध**

- : • कोविड-19 महामारी की रोकथाम (Prevention) के दौरान केन्द्र व राज्यों के बीच समन्वय (Cordination) को लेकर समस्याएं देखने की मिली जिसके उदाहरण निम्नवत् हैं-
- भारतीय संविधान के अन्तर्गत **“स्वास्थ्य” राज्य सूची का विषय** है इसलिये स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्त व्यवस्थाएँ राज्यों को अपने स्तर पर करनी होती हैं। लेकिन कोविड-19 महामारी की व्यापकता के देखते हुए केन्द्र सरकार ने **आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005** के तहत महामारी का प्रबंधन प्रभावी रूप से अपने हाथ में ले लिया।
 - इस अधिनियम की **धारा-11** के अंतर्गत आपदा से निपटने के लिए एक **‘राष्ट्रीय योजना’** के निर्माण का प्रावधान किया गया है साथ ही, इसी अधिनियम की **धारा -6** के अन्तर्गत **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण** को किसी आपदा की रोकथाम हेतु **बाध्यकारी दिशा-निर्देश** (Complusergy Guidelines) जारी करने का अधिकार दिया गया है।

कोविड-19 के दौरान
केन्द्र व राज्यों के बीच
शक्ति संघर्ष के उदाहरण

- आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-11 के अन्तर्गत राष्ट्रीय योजना का निर्माण करते समय राज्यों की भागीदारी अनिवार्य है परन्तु धारा-6 के तहत जारी किये जाने वाले बाध्यकारी दिशा-निर्देशों में राज्यों की कोई भूमिका नहीं। अतः कोविड-19 के समय जारी किये गए बाध्यकारी दिशा-निर्देश धारा-6 में दी गयी शक्तियों के अनुरूप थे, जहाँ राज्यों के अधिकारों का हनन होना स्पष्ट है, और यहीं से महामारी के दौरान केन्द्र व राज्यों के बीच 'शक्ति संघर्ष' प्रारम्भ होता है।
- : कोविड-19 के दौरान केन्द्र व राज्यों के बीच शक्ति संघर्ष के उदाहरण निम्नवत् हैं-
- 24 मार्च 2020 को प्रथम राष्ट्रव्यापी लाकडाउन की घोषणा से पूर्व राज्यों से परामर्श नहीं किया था।
- कोविड संक्रमित क्षेत्रों को रेड, ऑरेंज व ग्रीन जोन में बाँटने को लेकर विवाद रहा, अर्थात् राज्यों की यह मांग थी कि इस प्रकार के वर्गीकरण करने के समस्त अधिकार राज्यों में ही निहित हों लेकिन वर्गीकरण के आरंभिक दौर (लाकडाउन- 3.0 4 मई से 17 मई 2020) में ये अधिकार केन्द्र सरकार ने अपने ही पास रखे।
- आर्थिक रूप से राज्य, केन्द्र पर निर्भर है, परन्तु जब राष्ट्रव्यापी लाकडाउन लगाया गया तो राज्यों को प्राप्त होने वाली आय जो मुख्य रूप से शराब व पेट्रोलियम उत्पाद की बिक्री पर कर लगाने से प्राप्त होती थी, वह नगण्य हो गयी लेकिन राज्यों के व्यय की मद लगातार बढ़ती गयी। इस स्थिति में राज्य, केन्द्र पर आर्थिक रूप से और अधिक निर्भर हो गये, जिसके चलते राज्यों की सम्प्रभुता बाधित हुई।
- कोविड-19 के दौरान केन्द्र व राज्य के मध्य समन्वय न होने के कारण प्रवासी मजदूरों का संकट गहराया, राज्यों ने अपनी सीमाओं को सील किया जिसके चलते **उप-राष्ट्रीय पहचान** की भावना प्रबल हुई।

उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि कोविड-19 के दौरान केन्द्र व राज्य सरकारों के मध्य जो समन्वय दिखना चाहिए उसका अभाव रहा।

समाधान

- : महामारी के दौरान व अन्य परिस्थितियों में केन्द्र व राज्य के मध्य **सहकारी संघवाद (Co-operative Federalism)** की स्थिति को बनाने के लिए अल्पकालिक व दीर्घकालिक उपाय अपनाने की आवश्यकता है जो निम्नवत् है-

अल्पकालिक उपाय: केन्द्र सरकार को आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा-6 के स्थान पर अधिनियम की धारा-11 को अपनाना चाहिए था, जिसके अन्तर्गत "राष्ट्रीय योजना" के निर्माण का प्रावधान है। अर्थात् केन्द्र को, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ परामर्श कर सर्वसम्मति से योजना का रोड मैप तैयार करने की आवश्यकता थी ताकि राज्यों की विशेष परिस्थितियों का मूल्यांकन कर एक प्रभावकारी नीति का निर्माण किया जा सके और सहकारी संघवाद की भावना को बल मिल सके।

दीर्घकालिक उपाय: केन्द्र सरकार ने समय-समय पर केन्द्र व राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा हेतु विभिन्न आयोग व समितियों का गठन किया है, जिससे **पुंछी आयोग (2007)**, **सरकारिया आयोग (1983)** व **राजमन्नार आयोग (1969)** प्रमुख हैं। इन आयोगों ने केन्द्र व राज्य के मध्य संबंध बेहतर बनाने हेतु कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं जिसमें प्रमुख सुझाव निम्नवत् हैं:-

- राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए ताकि आगे चलकर मुख्यमंत्री व राज्यपाल के मध्य राजनीतिक टकराव की आशंका न्यून हो।
- अनुच्छेद 356 (राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी गयी रिपोर्ट से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना) का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए।
- राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु की जाने वाली केन्द्रीय बलों की तैनाती कि प्रक्रिया में राज्यों की भागीदारी बढ़ायी जानी चाहिए।
- राज्यों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु कुल वित्तीय संसाधनों में राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाना चाहिए।

5. प्रमुख संशोधन विधेयक

(i) विधेयक का नाम	: आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019 (Arms (Amendment) Bill 2019)
पूर्व में प्रचलित कानून	: आयुध अधिनियम, 1959 (Arms Act, 1959)
वर्तमान स्थिति	: 10 दिसम्बर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया।
आयुध (संशोधन) अधिनियम : 2019 के प्रमुख प्रावधान	<ul style="list-style-type: none"> • इस कानून के तहत एक लाइसेंस पर केवल दो हथियार रखने का प्रावधान किया गया है। पूर्व के अधिनियम में एक लाइसेंस पर तीन हथियार रखे जा सकते थे। • लाइसेंस की वैधता की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। • इस नये कानून में यह प्रावधान किया गया है कि यदि बिना लाइसेंस के शस्त्र, गोला बारूद एवं विस्फोटक उत्पाद बनाने तथा बिक्री करने वालों पर जुर्माने के साथ-साथ 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दी जायेगी जबकि पूर्व कानून में इन अपराधों के लिए जुर्माने सहित 3 से 7 वर्ष की सजा का प्रावधान था। • इस अधिनियम में बिना लाइसेंस के प्रतिबंधित गोला बारूद खरीदने व अपने पास रखने वालों को जुर्माना सहित 7 से 14 वर्ष की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है जबकि पूर्व कानून में इस अपराध के लिए जुर्माने के साथ-साथ 5 से 10 वर्ष की कैद की सजा का प्रावधान था।
अन्य प्रावधान	<ul style="list-style-type: none"> • हथियारों की अवैध तस्करी हेतु 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। • सेलिब्रेशन में (सार्वजनिक सभाओं, धार्मिक स्थलों, शादियों या अन्य कार्यक्रमों में) गोलीबारी करने पर 2 वर्ष की सजा या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा भुगतनी पड़ेगी। • इस नये कानून में उन खिलाड़ियों को विशेष दर्जा दिया गया है जिन्हें अभ्यास और टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए हथियार (Fire Arms) की आवश्यकता होती है।
(ii) विधेयक का नाम	: 126वाँ संविधान संशोधन विधेयक
उद्देश्य	: लोक सभा एवं देश की सभी विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों (एससी) व जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को 10 वर्ष और जारी रखना है।
वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • 126वें संविधान संशोधन विधेयक को लोक सभा द्वारा 10 दिसम्बर, 2019 को व राज्य सभा द्वारा 12 दिसम्बर, 2019 को पारित कर दिया गया। • दोनों सदनो में एक भी मत इस बिल के विरोध में नहीं पड़ा। • संविधान संशोधन होने के कारण इसे प्रभावी करने के लिए कम से कम 50 प्रतिशत विधानसभाओं का अनुमोदन आवश्यक है। • राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन व राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त होने के बाद लोक सभा एवं देश की सभी विधान सभाओं में 10 वर्षों अर्थात् 2030 तक एससी व एसटी के लिए आरक्षण बढ़ा दिया जायेगा। • वर्तमान में लोक सभा में 84 सीटें एससी व 47 सीटें एसटी हेतु आरक्षित हैं।
संविधान का अनुच्छेद-334	: • अनुच्छेद 334 में लोक सभा व राज्य विधान सभाओं में एससी व एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही इस अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन समुदाय के दो प्रतिनिधियों के मनोनयन के लिए भी प्रावधान है।
एससी व एसटी संरक्षण हेतु संविधान में किये गये संशोधन	: • मूल संविधान में मात्र 10 वर्षों के लिए लोक सभा व राज्यों की विधान सभाओं में एससी व एसटी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था, परन्तु समय-समय पर संविधान में संशोधन कर रिजर्वेशन की अवधि को बढ़ाया गया, जो निम्नवत् हैं:-

वर्ष	संविधान संशोधन
1960	8 वें संविधान संशोधन द्वारा
1969	23 वें संविधान संशोधन द्वारा
1980	45 वें संविधान संशोधन द्वारा
1989	62 वें संविधान संशोधन द्वारा
1999	79 वें संविधान संशोधन द्वारा
2009	95 वें संविधान संशोधन द्वारा

महत्वपूर्ण तथ्य

- : • 4 दिसम्बर, 2019 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रीमण्डल द्वारा लोक सभा व देश की सभी विधान सभाओं में एससी व एसटी आरक्षण की मौजूद व्यवस्था को 10 वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया था।
- अब तक जितने भी लोक सभा व राज्यों की विधान सभा में एससी एसटी आरक्षण हेतु संविधान संशोधन हुए हैं, उसमें एग्लो इण्डियन समुदाय का आरक्षण भी बढ़ाया गया है, परन्तु इस बार के 126 वें संविधान संशोधन विधेयक में एससी व एसटी के लिए तो आरक्षण की अवधि में 10 वर्ष की वृद्धि की गयी है, परन्तु एग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधियों के मनोनयन में आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है।

6. मिशन सागर

उद्देश्य

- : कोविड-19 महामारी के दौरान हिंद महासागर के द्वीपीय देशों को सहयोग व सहायता देने हेतु भारत सरकार द्वारा मिशन सागर प्रारम्भ किया गया।

भारत द्वारा 5 द्वीपीय देशों को सहायता

- : 1. मालदीव, 2. मॉरीशस, 3. मेडागास्कर, 4. कोमोरोस व 5. सेशल्स द्वीप



- मिशन सागर के महत्वपूर्ण तथ्य:**
- इस मिशन का नेतृत्व भारतीय नौसेना पोत केसरी ने संभाला।
 - भारत की चिकित्सा सहायता टीमों मॉरीशस और कोमोरोस द्वीप में तैनात की गयी जो कोविड-19 की आपात स्थिति व डेंगू बुखार से निपटने में उनकी मदद करेगी।
 - नौसेना पोत केसरी ने कोविड-19 से संबंधित आवश्यक दवाओं की खेप मॉरीशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशेल्स को पहुंचाई है जबकि लगभग 600 टन खाद्य पदार्थ की खेप मालदीव तक पहुंचायी।
 - इस मिशन के तहत मॉरीशस में आयुर्वेदिक दवाओं की एक खेप भेजी गयी है।
 - मेडागास्कर, कोमोरोस, मॉरीशस, मालदीव व सेशेल्स द्वीपों में भारत सरकार ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन नामक दवाएं भी इस मिशन के माध्यम से भेजी हैं।

अन्य तथ्य : यह मिशन प्रधानमंत्री मोदी के 'सागर' (Security & Growth for All in the Region- SAGAR) दृष्टिकोण से प्रेरित है। जिसमें भारत द्वारा उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने व इस क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास, विशेष रूप से समुद्री पड़ोसियों के साथ सुरक्षात्मक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।

7. गैस रिसाव केस (Gas Leak Case)

गैस	स्थान	महत्वपूर्ण तथ्य
अमोनियम नाइट्रेट (NH_4NO_3) Ammonium Nitrate	बेरूत, लेबनान	<p><u>गैस के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • अमोनियम नाइट्रेट, एक रंगहीन गंधहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। • यह जल में अत्यधिक घुलनशील (Highly Soluble in water) है। • यदि जल में अमोनियम नाइट्रेट को घोल दिया जाय और उस घोल को गर्म किया जाए तो यह नाइट्रस आक्साइड (लॉफिंग गैस) में बदल जाती है। • अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग कृषि में उच्च नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक के रूप में किया जाता है। यह मृदा में नमी के कारण मृदा में जल्दी घुल जाती है जिससे मृदा में नाइट्रोजन के स्तर में वृद्धि होती है, जो पौधों के विकास के लिये महत्वपूर्ण है। साथ ही इसका प्रयोग सिविल कन्स्ट्रक्शन में व खनन की प्रक्रिया में एक्सप्लोसिव मिक्सचर हेतु किया जाता है। <p><u>गैस रिसाव के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • बेरूत बंदरगाह के वेयरहाउस में पिछले 6 साल से 2,700 टन अमोनियम नाइट्रेट गैस रखी थी। • वेयरहाउस में गैस रिसाव से होने वाले विस्फोट से कम से कम 100 लोगों की मौत, 4000 से अधिक लोग घायल, 2.5 से 3.5 लाख लोग बेघर हो गये और लगभग 3 से 5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ।

स्टीरीन गैस (Styren Gas)	विशाखापट्टनम आन्ध्र प्रदेश	<p><u>गैस के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • स्टीरीन गैस नर्व एजेंट कहे जाने वाले पदार्थों में से एक है। • नर्व एजेंट बहुत ही खतरनाक पदार्थ होते हैं। अर्थात् ये सायनाइट से भी अधिक खतरनाक जहर होते हैं, जिसकी सुई की नोक के बराबर मात्रा इंसान के लिए घातक हो सकती है।
--------------------------	-------------------------------	--

- स्टीरिन गैस साफ, रंगहीन और स्वादहीन तरल पदार्थ होता है, जो बहुत जल्द ही वाष्प (वेपर) में बदल जाता है यदि कोई इंसान इस वाष्प के संपर्क में आता है तो 15 मिनट के अंदर श्वसन तंत्र काम करना बंद कर देता है और इंसान की मौत हो जाती है।
- तरल रूप में त्वचा के संपर्क में आने पर यह घातक परिणाम देती है।
- कृत्रिम रबर बनाने में इस गैस का इस्तेमाल होता है।

गैस रिसाव के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य

- 7 मई 2020 को LG Polymers Chemical Plant जो आर.आर. वेकटपुरम गाँव, विशाखापट्टनम, आन्ध्रप्रदेश में स्थित है में सुबह-सुबह गैस का रिसाव हुआ।
- हादसे का प्रमुख कारण लाकडाउन में बंद चल रही इस फैक्ट्री में स्टीरिन के टैंकों से जुड़ी रेफ्रिजरेशन यूनिट जिसमें 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान में स्टीरिन को सुरक्षित व द्रव अवस्था में रखा जाता है, के रेफ्रिजरेशन में खामी आने के कारण तापमान बढ़ जाने से स्टीरिन गैस का रिसाव हुआ।
- वर्ष 1961 में हिंदुस्तान पालीमर्स के नाम से इस कंपनी की स्थापना हुई थी जिसे जुलाई 1997 में दक्षिण कोरिया की कम्पनी एल जी केम ने इसका अधिग्रहण कर लिया था जिसके चलते इसका नाम एल जी पालीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया।

मिथाइल आइसोसाइनेट
(Methyl Isocyanate)

भोपाल, मध्य प्रदेश

गैस के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य

- यह एक ऐसा लिक्विड है जिसका कोई रंग नहीं होता और बहुत ही कम तापमान में यह उबलने लगती है। यह काफी ज्वलनशील भी है अर्थात् हवा के संपर्क में आते ही यह जलने लगती है इसकी गंध बहुत तेज होती है।
- इसका इस्तेमाल कीटनाशक और प्लास्टिक तैयार करने में किया जाता है।

गैस रिसाव के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य

- 2-3 दिसम्बर, 1984 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लि० पेस्टीसाइड प्लांट में गैस रिसाव में तीन हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी।

नोट: • भारत में LPG गैस रिसाव से सुरक्षा हेतु 1906 हेलपलाइन नम्बर 24X7 प्रारम्भ किया गया है।

- फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन (Emmanuel Macron) बेरूत की घटना के बाद लेबनान का दौरा करने वाले प्रथम राजनेता हैं।

8. श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट

ट्रस्ट का गठन : 9 नवम्बर, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने “राम जन्म भूमि - बाबरी मस्जिद विवाद” मामले पर निर्णय देते हुए केन्द्र सरकार को 15 सदस्य वाली एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है।

ट्रस्ट में शामिल सदस्य : • कुल 15 (जिसमें एक ट्रस्टी अनिवार्य रूप से दलित जाति से होगा तथा निर्मोही अखाड़ा से एक सदस्य की अनिवार्यता होगी)।

• चेयरमैन : महन्त नितृत्य गोपाल दास

(Mahant Nritya Gopal Das, Chairman)

	• ट्रेजरर :	स्वामी गोविन्द देव गिरीजी महाराज (Swami Govind Dev Giriiji Maharaj)
	• सैक्ट्री :	श्री चम्पत राए (Shri Champat Rai)
	नोट: कामेश्वर चौपाल दलित जाति से हैं।	
ट्रस्ट के प्रमुख कार्य	:	<ul style="list-style-type: none"> ट्रस्ट को राम मंदिर निर्माण और उसके रखरखाव के लिये धन जुटाने की पूरी छूट होगी तथा इस ट्रस्ट के गठन के बाद सरकार की भूमिका समाप्त हो जायेगी। ट्रस्ट को अपने क्रियाकलापों एवं उद्देश्यों में परिवर्तन संबंधी लगभग सभी अधिकार प्राप्त हैं, परन्तु ट्रस्ट की मौजूदा संरचना में बदलाव का अधिकार नहीं होगा। ट्रस्ट को वित्तीय स्वायत्तता (Financial Freedom) दी गयी है, परन्तु ट्रस्ट को अचल संपत्ति (Immovable Asset) बेचने का अधिकार नहीं होगा।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य	:	<ul style="list-style-type: none"> 5 अगस्त, 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने अभिजीत मुहूर्त में मंदिर निर्माण के भूमि पूजन करने के साथ ही आधार शिला रखी। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण के लिए लगभग 67 एकड़ भूमि ट्रस्ट को हस्तांतरित की साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में किसी भी स्थान पर 5 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने का आदेश दिया।

9. देश की प्रथम किसान रेल (India's First Kisan Bill)

प्रारम्भ	:	7 अगस्त, 2020 को केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा प्रारम्भ की गयी।
उद्देश्य	:	शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं जैसे दूध, मांस, मछली, फल व सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों को शीघ्र बाजार पहुंचाना व उनकी आपूर्ति सुनिश्चित कर उनके अपव्यय को कम करना ताकि किसानों को उनके उत्पाद का अच्छा मूल्य मिल सके व उनकी आय को दो गुना करने के लक्ष्य (वर्ष 2022 तक) को प्राप्त किया जा सके।
महत्वपूर्ण तथ्य	:	<ul style="list-style-type: none"> यह रेलगाड़ी देवलाली (महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित छोटा से हिल स्टेशन है) से दानापुर (बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित एक शहर) के मध्य परिचालित होगी। यह रेलगारी एक बार में 1519 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह रेलगाड़ी जिन स्टेशनों पर रुकेगी वे हैं- नासिक रोड, मनमाड, इटारसी, सतना, प्रयागराज, बक्सर आदि।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य	:	<ul style="list-style-type: none"> 13 अगस्त, 2020 को भारतीय रेलवे की दूसरी किसान विशेष रेलगाड़ी का परिचालन बरौनी (बिहार) से टाटानगर (झारखण्ड) के बीच प्रारम्भ किया गया है। यह विशेष रेल बोकारो स्टील सिटी, हटिया एवं टाटानगर के लिए दुग्ध की आपूर्ति करेगी।

10. देश की प्रथम फ्रूट ट्रेन (India's First Fruit Train)

प्रारम्भ	:	2 फरवरी, 2020
स्थान	:	ताड़िपत्री रेलवे स्टेशन अनंतपुर जिला, आन्ध्र प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुम्बई महाराष्ट्र तक।
महत्वपूर्ण तथ्य	:	<ul style="list-style-type: none"> इस ट्रेन में फलों को सुरक्षित रखने के लिए 43 रेफ्रिजरेटेड कंटेनरों का उपयोग किया गया था। ट्रेन द्वारा फलों को मुम्बई बंदरगाह पर पहुंचने के बाद पानी के जहाज से ईरान भेजा गया। इस ट्रेन में वतानुकूलित कंटेनर में 890 टन केले रखे गये थे। 1 फरवरी, 2020 को देश का आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान ट्रेन चलाने की घोषणा की थी।

11. भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे

रोपवे का अर्थ :	यह एक ऐसी परिवहन प्रणाली है, जिसमें केबल के तारों के माध्यम से बॉक्सनुमा केबिनों द्वारा परिवहन किया जाता है।
रोपवे की उपयोगिता :	खानों, पहाड़ी क्षेत्र व दुर्गम क्षेत्रों में कम समय में पूर्णता सुरक्षित यात्रा करने के उद्देश्य से रोपवे परिवहन प्रणाली की उपयोगिता है।
भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे :	उद्घाटन : 24 अगस्त, 2020
	स्थान : गुवहाटी शहर के कचरी घाट को उत्तरी गुवहाटी के डोल गोविंदा मंदिर से जोड़ता है।
	कुल लम्बाई : 1.82 किमी.
	लागत राशि : 56.08 करोड़ रुपये
	नदी : ब्रह्मपुत्र नदी पर
महत्वपूर्ण तथ्य :	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2006 में गुवहाटी महानगर विकास प्राधिकरण को इस रोपवे निर्माण की जिम्मेदारी दी गयी थी। यह रोपवे एक छोटे से द्वीप पीकाँक आइलैण्ड के ऊपर से होकर गुजरता है जहाँ पर प्रसिद्ध उमानंदा मंदिर स्थित है।

12. केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (CBI)

उद्गम :	सीबीआई का उद्गम विशेष पुलिस स्थापना (Special Police Establishment-SPE) से हुआ।
एसपीई की स्थापना व उद्देश्य :	एसपीई की स्थापना वर्ष 1941 में की गयी थी, जिसका मुख्य कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के युद्ध तथा आपूर्ति विभाग के साथ लेन-देनों में रिश्वतखोरी और अन्य भ्रष्टाचार के मामलों की जांच-पड़ताल करना था।
एसपीई का विस्तार :	<ul style="list-style-type: none"> द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात् भी केन्द्र सरकार को एक ऐसी एजेंसी की आवश्यकता रही, जो केन्द्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करे अतः वर्ष 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (Delhi Special Police Establishment Act, 1946) को लागू कर एसपीई का अधीक्षण गृह विभाग (Home Ministry) को हस्तांतरित कर दिया गया और इस प्रकार भारत सरकार के सभी विभागों को इसके दायरे में लाया गया। एसपीई के क्षेत्राधिकार का सभी संघ शासित राज्यों में विस्तार किया गया और संबंधित राज्य सरकारों की सहमति से राज्यों को भी एसपीई के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया।
सीबीआई :	वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना का नाम बदल कर “केन्द्रीय जाँच ब्यूरो” (CBI) किया गया।
सीबीआई के प्रमुख कार्य :	सीबीआई भारत सरकार की एक बहुआयामी जांच एजेंसी है जो भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों, आर्थिक अपराधों और पारंपरिक अपराध के मामलों की जांच करती है। साथ ही केन्द्र सरकार और केन्द्रशासित प्रदेशों और उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना सीबीआई का प्रमुख कार्य है।
सीबीआई की संरचना :	सीबीआई की अध्यक्षता एक निदेशक करते हैं, जो सामान्यतः पुलिस महानिदेशक (Director General of Police) के पद के साथ एक आईपीएस अधिकारी होता है।
सीबीआई के समक्ष चुनौतियाँ :	<ul style="list-style-type: none"> स्टॉफ के लिए गृह मंत्रालय पर निर्भर होना। कानूनी सलाह और वकीलों के लिए कानून मंत्रालय पर निर्भर होना। वरिष्ठ अधिकारियों को कार्य की स्वतंत्रता में सरकारी हस्तक्षेप। सीबीआई को किसी राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करने से पहले उस राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है। सीबीआई के अधिकारियों की नियुक्ति व उनके स्थानान्तरण में राजनैतिक हस्तक्षेप। वित्तीय स्वायत्तता का सीमित होना।
सीबीआई के समक्ष नवीन चुनौतियाँ :	वर्तमान में भारत के कुल 10 राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने किसी भी आपराधिक मामले में जाँच के लिए सीबीआई को प्रदत्त सामान्य सहमति (General Consent) वापस ले ली है अर्थात् अब इन

10 राज्यों में किसी भी जाँच के लिए या कोई नया केस दर्ज करवाने के लिए सीबीआई को राज्य सरकारों से अलग से अनुमति लेनी होगी।

नोट: 1. केरल, 2. झारखण्ड, 3. पंजाब, 4. त्रिपुरा, 5. आन्ध्र प्रदेश, 6. पश्चिम बंगाल, 7. राजस्थान, 8. छत्तीसगढ़, 9. त्रिपुरा एवं 10. मिजोरम।

सीबीआई के अन्तर्गत गठित
“केन्द्रीयकृत प्रौद्योगिकी
कार्य क्षेत्र” (CTV)

- ज्ञातव्य है कि आतंकवाद के विरुद्ध जांच के लिए 2008 में गठित एनआईए को पूरे देश में जांच की स्वतंत्रता है इसी प्रकार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) को पूरे देश में कहीं भी जांच करने के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं।
- **CTV की आवश्यकता:** भारत विश्व में चीन के बाद इंटरनेट का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है, जिसके चलते देश भर में साइबर छेड़छाड़ (Cyber Manipulation) में वृद्धि हुई है। अर्थात् सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो प्रसारित कर देश की अखण्डता व एकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जा रहा है, जिसे रोकने की जरूरत है।
- **CTV क्या है?:** यह देश भर में जांचकर्ताओं के साथ वास्तविक समय की जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।
- **CTV का गठन:** 5 सितम्बर, 2019 को केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अन्तर्गत एक Centralised Technology Vertical-CTV की स्थापना की है।

13. OTT [Over the Top] Platform

- प्रारम्भ :** भारत में ओटीटी प्लेटफार्म की शुरुआत 2008 में रिलायंस एंटरटेनमेंट के ब्रांड “बिग फिल्म्स” से हुई थी।
- ओटीटी प्लेटफार्म का अर्थ :** फिल्म, टेलीविजन, सीरियल व वेब सीरीज को इंटरनेट हाइस्पीड के माध्यम से दिखाना ओटीटी प्लेटफार्म कहलाता है। इसमें टीवी के केबल व सैटलाइट से कहीं अधिक तेजी से दर्शकों को मनोरंजन के माध्यमों से जोड़ने की ताकत होती है।
- वर्तमान में ओटीटी प्लेटफार्म का बढ़ता महत्व :** कोरोना के दौर में जब सिनेमाघर बंद हुए तो ओटीटी प्लेटफार्म तेजी से मनोरंजन के विकल्प के रूप में उभरा।
- ओटीटी प्लेटफार्म की कार्यनीति :** ये प्लेटफार्म भारी कीमते चुका कर, फिल्म या वेबसीरीज के अधिकार खरीदते हैं। उन्हें अपने प्लेटफार्म पर रिलीज करते हैं। उनका मुनाफा ग्राहकों से मिलने वाला मासिक/वार्षिक शुल्क और विज्ञापन दिखाकर होता है। अर्थात् ग्राहक को ओटीटी प्लेटफार्म का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो कुछ प्लेटफार्म मुफ्त में भी कंटेंट प्रदान करते हैं।
- प्रमुख ओटीटी प्लेटफार्म :** ओटीटी प्लेटफार्म के प्रमुख मनोरंजन एप्स हैं- नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, वूट, जी-5, डिजनी+हॉटस्टार। इसीक्रम में **द वारय, द प्रिंट और स्कॉल** जैसी समाचार वाली वेबसाइट भी हैं।
- ओटीटी का भविष्य :**
- वर्ष 2019 में भारत में OTT वीडियो स्ट्रीमिंग इस्तेमाल करने वालों की संख्या लगभग 17 करोड़ थी। वर्ष 2025 तक इनकी संख्या 26.4% की दर से बढ़ने की संभावना है।
 - लॉकडाउन के बाद से OTT प्लेटफार्म पर दर्शकों की संख्या बढ़ी है।
 - भारत में औसतन 9.8 जीबी डेटा प्रतिमाह उपयोग किया जा रहा है, जिसके 2024 तक 18 जीबी डेटा प्रतिमाह तक पहुंचने की संभावना है।
 - वर्तमान में भारत में लगातार 10 बड़े OTT प्लेटफार्म पर काम करने वाली कंपनियां हैं लेकिन OTT बाजार के 40% हिस्से पर नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम का कब्जा है। 17 फीसद हिस्सेदारी के साथ तीसरे नंबर पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार है।
- ओटीटी प्लेटफार्म पर नियमन की जरूरत क्यों?** भारत में OTT प्लेटफार्म के नियमन के लिए कोई कानून या निर्देश नहीं था। मनोरंजन का यह नया माध्यम बड़े स्वरूप में अब सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल मीडिया पर नियंत्रण टीवी से ज्यादा जरूरी होने की वकालत की थी। भारत में प्रिंट मीडिया के नियमन के लिए **प्रेस काउंसिल** है, न्यूज चैनलों के लिए **न्यूज ब्राडकास्टर्स एसोसिएशन** है, विज्ञापन के नियमन के लिए **एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया** है तथा फिल्मों के नियमन के लिए **सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन** है। लेकिन डिजिटल माध्यम पर नियमन को लेकर कोई स्वायत्त एजेंसी नहीं है। अतः OTT प्लेटफार्म की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए आवश्यक हो जाता है कि ऑनलाइन मीडिया की निगरानी के लिए कानून बनाये जाये।

OTT प्लेटफार्म के नियमन हेतु वर्तमान व्यवस्था : केन्द्र सरकार ने आनलाइन मीडिया की निगरानी हेतु 10 सदस्यीय समिति बनाई जिसकी सिफारिश पर केन्द्र सरकार ने इंटरनेट आधारित आनलाइन समाचार पोर्टल और आनलाइन आडियो-विजुअल सामग्री उपलब्ध करने वाले सभी माध्यमों को **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की निगरानी** के दायरे में शामिल कर लिया है। 11 नवम्बर, 2020 को इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी की जा चुकी है। अतः सरकार के इस ताजा कदम का असर यह होगा कि OTT प्लेटफार्म की सामग्रियों पर सरकार की निगरानी रहेगी। अब सभी OTT प्लेटफार्म को नई सामग्री को जारी करने से पहले मंत्रालय से प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा। अगर मंत्रालय को कोई आपत्ति होगी तो वह उसे प्रतिबंधित भी कर सकती है।

भारत में इंटरनेट उपभोक्ता :

- इंटरनेट के इस्तेमाल के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे हो चुका है और इंटरनेट भारत ही नहीं दुनिया में सभी के लिए जरूरी बन गया है। आज इंटरनेट के बिना जिंदगी की कल्पना ही नहीं की जा सकती।
- भारत में इंटरनेट के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। देश में 75 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ताओं का आंकड़ा पार हो चुका है।
- वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति प्रति माह औसतन 12 जीबी डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। एरिक्सन मोबिलिटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2025 तक हर उपभोक्ता का डाटा उपभोग बढ़कर 25 जीबी तक पहुंच जायेगा।
- भारत में सर्वाधिक इंटरनेट प्रयोग करने वाले राज्य:-

1.	महाराष्ट्र	(6.4 करोड़)
2.	आंध्र प्रदेश	(5.9 करोड़)
3.	तमिलनाडु	(5.4 करोड़)
4.	गुजरात	(4.6 करोड़)
5.	कर्नाटक	(4.5 करोड़)

- इन पाँच राज्यों में देश का 35% इंटरनेट यूजर रहता है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल जैसे बड़ी आबादी वाले राज्यों समेत शेष 23 राज्य व नौ केन्द्रशासित प्रदेशों में 65% इंटरनेट उपभोक्ता है।
- इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले जिस रफ्तार से शहरों में बढ़े हैं, उतनी ही रफ्तार से गांवों में इंटरनेट यूजरर्स की संख्या नहीं बढ़ी है, गांवों में जो उपभोक्ता बढ़े भी हैं वह मोबाइल इंटरनेट के बढ़े हैं। गांवों में नेटवर्क की कमी की समस्या रही है। इसी वजह से 61% इंटरनेट कनेक्शन शहरों में थे और सिर्फ 39% गांवों में।
- देश में नेटवर्क बढ़ाने के साथ ही उसकी कीमतें और सेवा गुणवत्ता भी बढ़ाना जरूरी है।

14. श्रमिक कानून में सुधार (Reform in Labours Laws)

कानूनों में धारा की आवश्यकता: श्रम भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, जिसके कारण राज्य विधानमण्डल द्वारा लगभग 100 श्रम कानून व संसद द्वारा 40 से अधिक श्रम कानून समय-समय पर बनाये गये हैं, जिसके चलते निम्न समस्याएं देखने को मिलती हैं:-

क्यों (Why we need reform in Labour Laws)

- कानून में जटिलता।
- कानून में एकरूपता की कमी।
- वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल नहीं।
- कानून के क्रियान्वयन में सुगमता का अभाव।
- श्रम कानूनों की अधिकता के चलते निवेश में कमी, रोजगार सृजन में कमी व प्रतिष्ठानों का छोटा आकार।
- ट्रेड यूनियन की नियंत्रण मुक्त कार्य पद्धति।
- महिला श्रमिकों की कार्यस्थिति व सामाजिक सुरक्षा के पहलुओं पर सीमित जवाबदेहता वाले कानून।
- वर्तमान में पैडमिक की चुनौतियों से बाहर निकलने के लिए व अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए श्रम कानूनों में सुधार अनिवार्य हो गया है।

नये श्रम संहिताएं

: 1. औद्योगिक संबंध संहिता (The Code Industrial Relation)

नोट : यह संहिता पूर्व में प्रचलित 3 केन्द्रीय श्रम कानूनों का स्थान लेगा, जो निम्नवत् हैं:-

- (i) व्यवसाय संघ अधिनियम 1926
- (ii) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
- (iii) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

प्रमुख प्रावधान: • इस संहिता का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान कम्पनियों के लिए श्रमिकों को काम पर रखने या उनकी छुट्टी करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।

- कम्पनियों को काम बंदी (Lay-off), छुट्टी (Retirement), या प्रतिष्ठान के बंद (Close) करने के लिए सरकार से अनुमति तभी लेनी होगी, जब कम्पनी में 300 या उससे अधिक कर्मचारी होंगे।
- केन्द्र या राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से संख्या में बदलाव करने के अधिकारी हैं।
- किसी कम्पनी में ट्रेड यूनियन द्वारा हड़ताल व तालाबंदी करने से 14 दिन पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है। यह नोटिस 60 दिनों की अधिकतम अवधि तक वैध रहेगी।
- जिन प्रतिष्ठानों में एक से अधिक ट्रेड यूनियन हैं, ऐसे में प्रतिष्ठान के 51% या उससे अधिक कर्मचारी सदस्य के रूप में जिस ट्रेड यूनियन के सदस्य होंगे उसे ही **वार्ताकार ट्रेड यूनियन** की मान्यता मिलेगी।
- यदि 51% कर्मचारियों की सदस्यता वाली कोई यूनियन नहीं है तो नियोक्ता 20% से अधिक कर्मचारियों की सदस्यता वाली सभी यूनियनों के प्रतिनिधियों को मिलाकर **“वार्ताकार परिषद”** (Negotiating Council) गठित करेगा।
- औद्योगिक विवादों के निपटान के लिए संहिता में केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा **“सुलह अधिकारी”** नियुक्त किये जाने की व्यवस्था है।
- यदि औद्योगिक विवाद को सुलह अधिकारी निपटान करने में सफल नहीं रहता तो इस स्थिति में संहिता में **“औद्योगिक अधिकरण”** की व्यवस्था की गयी है।
- यदि किसी विवाद में राष्ट्रीय महत्व का कोई प्रश्न निहित है या कोई विवाद एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों को प्रभावित कर सकता है ऐसी स्थिति में, संहिता में, केन्द्र सरकार को **“राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण”** (National Industrial Tribunal) गठित करने का अधिकार है।

विरोध के कारण: • औद्योगिक संबंध संहिता नियोक्ताओं को अधिक सशक्त बनायेगा, जबकि श्रमिक वर्ग, विशेष कर 300 से कम श्रमिकों वाली कम्पनियों के श्रमिक के हित प्रभावित होंगे।

- छुट्टी व कामबंदी संबंधित नियमों को सरल बनाने से भारत में भी पश्चिम देशों की भाँति **हायर एंड फायर** (Hire & Fire) की परंपरा बढ़ेगी।

: 2. उपजीविका जन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता (The Occupational Safety, Health & Working Conditions code)

नोट : यह संहिता पूर्व में प्रचलित कुल 13 श्रम कानूनों का स्थान लेगा जिसमें प्रमुख हैं:-

- कारखारा अधिनियम, 1948
- खान अधिनियम, 1952
- ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970

प्रमुख प्रावधान: • यह संहिता 10 व उससे अधिक कर्मचारी संख्या वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा।

- इस संहिता के अन्तर्गत वे सभी प्रतिष्ठान शामिल होंगे जहाँ जीवन को जोखिम में डालने वाले कार्य किये जाते हैं जैसे-खाने, विस्फोटक सामग्री निर्माण वाले कारखाने, रासायनिक गैस व अन्य।
- संहिता के अंतर्गत नियोक्ता के कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं, जैसे- श्रमिकों को जोखिम मुक्त कार्यस्थल उपलब्ध कराना, निशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य की जाँच की व्यवस्था करना तथा कार्यस्थल में दुर्घटना में किसी की मृत्यु व गंभीर शारीरिक चोट लगने के मामले को संबंधित प्राधिकारियों (Authorities) को सूचित करना आदि।
- कार्य के घंटों के संबंध में प्रावधान निम्नवत् है- किसी भी प्रतिष्ठान में किसी कर्मचारी से एक दिन में 8 घंटे व सप्ताह में 6 दिन से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता। किसी कर्मचारी की सहमति से ही उससे ओवरटाइम कार्य कराया जा सकेगा। ओवरटाइम की स्थिति में उसे दैनिक मजदूरी का दुगुना भुगतान करना होगा।
- महिलाओं को भी शाम 7 बजे से अगली सुबह 6 बजे के बीच कार्य करने की अनुमति दी गयी है।
- इस संहिता में अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों (एक राज्य से दूसरे राज्य कार्य करने वाले श्रमिक) के लिए भी व्यवस्था की गयी है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा।

साथ ही प्रवासी श्रमिकों को उनके निवास के राज्य अथवा रोजगार के राज्य में से कही भी पीडीएस की व्यवस्था का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान की गई है।

नोट: • केन्द्र व राज्य सरकार किसी प्रतिष्ठान को राष्ट्रीय आपातकाल, आपदा व महामारी की स्थिति में इस संहिता के कुछ या सभी प्रावधानों से एक बार में अधिकतम एक वर्ष तक छू दे सकती है।

• राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य में आर्थिक गतिविधियों व रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से नए कारखानों को इस संहिता के कुछ या सभी प्रावधानों से एक निर्धारित अवधि तक छूट दे सकती है।

विरोध के कारण: • राज्य सरकारों को अपने राज्य में आर्थिक गतिविधियों विशेषकर निवेश को बढ़ावा देने के लिए संहिता के प्रावधानों को लागू करने से छूट दी गयी है, यह स्थिति श्रमिकों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।

3. सामाजिक सुरक्षा संहिता (The Code on Social Security)

नोट : यह संहिता पूर्व में प्रचलित कुल 9 कानूनों का स्थान लेगा जिसमें प्रमुख हैं:

- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948
- प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961

प्रमुख प्रावधान: • इस संहिता के आधार पर केन्द्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPFS), कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी बीमा योजना जैसी योजनाओं को कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से लागू कर सकेगी।

- यह संहिता सरकार को यह अधिकार देती है कि वह गिग श्रमिकों व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा योजनाएं उपलब्ध करा सके।
- सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं संहिता में ही निर्धारित अलग-अलग कर्मचारी संख्या सीमा के आधार पर लागू होगी।

15. खादी प्राकृतिक पेण्ट

घोषणा :

- केंद्रीय MSMEs मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 13 जनवरी 2021 को घोषित

उद्देश्य :

- गाय के गोबर से पेण्ट बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार की कोशिश करना है।

विशेषता :

- यह पेण्ट पर्यावरण हितैषी और जीवाणुरोधी है।
- बाजार में बिकने वाले अन्य पेण्ट के दाम औसतन 550 रुपये प्रति लीटर है जबकि खादी प्राकृतिक पेण्ट की प्रति लीटर कीमत मात्र 225 रुपये होगी अर्थात 50% सस्ता।
- इस खादी प्राकृतिक पेण्ट को भारतीय प्रमाणन संस्थान (Board of Indian Standard) से प्रमाणित भी कराया गया है।

16. तीन कृषि कानून 2020 : एक दृष्टि में

अध्यादेश के रूप में पारित : 5 जून 2020 को राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश के रूप में लागू।

लोकसभा में पारित : 17 सितम्बर 2020 को।

राज्यसभा में पारित : 20 सितम्बर 2020 को।

राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर : 24 सितम्बर, 2020 को।

तीनों कृषि कानूनों के नाम : (i) किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून, 2020
[Farmer's Produce Trade & Commerce (Promotion and Facilitation) Act 2020]
(ii) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020
[The Essential Commodities (Amendment) Act 2020]
(iii) मूल्य आश्वासन पर किसान (संरक्षण एवं सशक्तिकरण) समझौता और कृषि सेवा अधिनियम, 2020
[The Farmers Empowerment & Protection Agreement of Price Assurance & Farm Services Act 2020]

(i) कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून, 2020

उद्देश्य : किसानों और व्यापारियों को क्रमशः उपज की बिक्री और खरीद से सम्बन्धित स्वतंत्रता देना ताकि कृषि उत्पादों के व्यापार को विस्तार दिया जा सके तथा किसानों को उनके उपज के दाम भी बेहतर मिल सकें।

महत्वपूर्ण तथ्य: • यह कानून किसानों को अपनी उपज देश में कहीं भी, किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अर्थात् किसान कृषि उपज विपणन समितियों (APMC मंडियों) के बाहर भी कृषि उपज बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे।

- यह कानून किसानों के अधिकारों में इजाफा करने और बाजार में प्रतियोगिता बढ़ाने में सहायक होगा।
- इस कानून के लागू होने से राज्य सरकारें मंडियों के बाहर की गयी कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर टैक्स लागू नहीं कर सकेंगी।
- इस कानून के जरिये “एक देश, एक बाजार” की संकल्पना को अपनाया जा सकेगा।

विरोध के : • APMS मंडियों पर नकारात्मक प्रभाव।

कारण • राज्य सरकारों को मंडी शुल्क न प्राप्त होने से उनके राजस्व में कमी।

- भारत के सिमान्त किसान एक देश एक बाजार वाली डिजिटल व्यवस्था से लाभान्वित नहीं हो पायेंगे।

(ii) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020

उद्देश्य : कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर सामान्य स्थितियों में आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को स्टॉक मुक्त करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: • पूर्व में व्यापारी फसलों को किसानों से औने-पौने दामों में खरीदकर उसका भण्डारण कर लेते थे और कालाबाजारी करते थे। इस स्थिति में खाद्यान्न मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती थी वहीं दूसरी ओर किसानों का भी शोषण होता था, इस स्थिति को रोकने के लिए वर्ष 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 लागू किया गया जिसके द्वारा व्यापारी एक सीमा से अधिक अनिवार्य कृषि उत्पादों का भण्डारण नहीं कर सकेंगे। 65 वर्ष पुराने इस कानून में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन/संशोधन करना अनिवार्य हो गया था।

- इस नये कानून में आवश्यक वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा, युद्ध व कीमतों में तीव्र वृद्धि की स्थिति में ही स्टॉक सीमा को लागू किया जायेगा जबकि सामान्य स्थिति में व्यापारियों पर स्टॉक की सीमा नहीं लगेगी।
- इस कानून के दो प्रमुख लाभ होंगे **पहला**, देश में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन के भण्डारण की समस्या समाप्त होगी क्योंकि सीमा विहीन स्टॉक की सुविधा स्वतः ही निजी निवेशकों को कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, जैसी आधारभूत संरचना में निवेश हेतु आकर्षित करेगा। **दूसरा** कृषकों को अपने उपज बेचने के विकल्प बढ़ेंगे।
- अन्य लाभ के अन्तर्गत-कृषि उपज का अपव्यय समाप्त होगा, कृषि निर्यात के विकल्प बढ़ेंगे तथा देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन देखने का मिलेंगे।

विरोध के : • बड़े निजी निवेशकों का कृषि उत्पादों पर एकाधिकार।

कारण • खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि।

- बड़े व्यापारी, किसानों से कम मूल्य पर उत्पाद खरीदेंगे व ऊँचे मूल्य पर खाद्य प्रसंस्करण कम्पनी को बेचेंगे और खाद्य प्रसंस्करण कम्पनियाँ अंतिम वस्तु निर्मित कर और अधिक मूल्य पर उपभोक्ताओं को बेचेंगी अर्थात् सारा लाभ निजी निवेशकों को जायेगा।

(iii) मूल्य आश्वासन पर किसान (संरक्षण एवं सशक्तिकरण) समझौता और कृषि सेवा अधिनियम, 2020

उद्देश्य : कृषि का व्यवसायीकरण कर कृषकों को लाभ की स्थिति में लाना।

महत्वपूर्ण तथ्य: • यह कानून किसानों को फसल की बुवाई से पहले ही अपनी फसल को तय मानकों और तय कीमत के अनुसार बेचने का अनुबन्ध करने की सुविधा प्रदान करता है। अर्थात् यह कानून **कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग** पर आधारित है जिसके चलते किसान के जोखिम का न्यूनीकरण सम्भव है।

- यह कानून किसानों को खरीददार ढूँढ़ने, उपज बेचने हेतु परिवहन लागत, भण्डारण पर व्यय आदि कार्यों से मुक्त कर देगा अर्थात् किसान अपना सारा ध्यान अच्छी उपज तैयार करने, उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने पर लगा सकेंगे।
- यह कानून किसानों को शोषण के भय के बिना, समानता के आधार पर बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएगा।
- इस कानून से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभों की चर्चा की जाए तो यह कानून-सीमान्त किसान, छिपी बेरोजगारी, ऋण ग्रस्तता व गैर संस्थागत स्रोत पर वित्तीय रूप से निर्भरता जैसे मुद्दों पर भी कारगर प्रभाव डालेगा व कृषि क्षेत्र की इन परम्परागत समस्याओं के निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

विरोध के : • अनुबन्ध कृषि में विवाद की स्थिति में व्यापारी वर्ग के आर्थिक व राजनैतिक प्रभाव के चलते किसानों के अधिकारों का शोषण होने की सम्भावना प्रबल है।

- अनुबन्ध कृषि के विवादों की सुनवाई का आधार न्यायप्रिय नहीं है।

अनुसंधान एवं विकास एकद्विवसीय परीक्षा प्रकोष्ठ

कृषि सुधार कानून को सफल बनाने हेतु सुझाव :

- कृषि सुधार कानून को सफल बनाने हेतु।
- केन्द्र सरकार नए सिरे से यह स्पष्ट करें कि नए कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों को अनाज बेचने के कुछ अन्य विकल्प उपलब्ध कराना है।
- कृषि राज्य के अधिकार क्षेत्र वाला विषय है और यदि किसी राज्य सरकार विशेषकर पंजाब व हरियाणा सरकार को किसानों के हितों की रक्षा करने हेतु अपने स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने और उसे लागू करने का विकल्प खुला रखने की आवश्यकता है।

17. APMC Act विशेष

उद्भव	:	बाजार की अनिश्चितताओं से किसानों को बचाना।
स्थापना	:	1970 के दशक में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग (रेग्यूलेशन) एक्ट (APMC Act) के तहत कृषि विपणन समितियों (APMC) की स्थापना हुई।
APMC की कार्य पद्धति:		किसान → आढ़तिया FCI
		नोट: पंजाब की मंडियों में 4800 से भी अधिक आढ़तिया रजिस्टर्ड हैं।
APMC में राज्यों द्वारा आरोपित शुल्कों की स्थिति	:	कई राज्यों ने APMC मंडियों में वसूले जाने वाले शुल्कों में तीव्रता से वृद्धि की है, जैसे- <ul style="list-style-type: none">• कृषि कल्याण उपकर, विकास उपकर, ग्रामीण विकास निधि की दरों में वृद्धि की गयी।• कुछ मंडियों में फलों एवं सब्जियों के कमीशन एजेंटों पर 4 से 8% शुल्क लगाया गया है।• वर्तमान में पंजाब में मंडी टैक्स 6.5% और 2.5% आढ़तिया चार्ज है। इसके अतिरिक्त कई तरह के सेस अलग से। कुल मिलाकर 14.5% का चार्ज है। वहीं हरियाणा में यह 11.5% है। नोट: APMC कानून के तहत राज्य सरकार जो भी चार्ज या सेस तय करती है अंततः उसका वहन किसान ही करते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य	:	APMC कानून के तहत बनी मंडियों में आढ़तियों का जो मकड़जाल फैला है इसके पीछे उन्हें मिला राजनैतिक संरक्षण है। इसी संरक्षण के चलते मंडियों पर थोक व्यापारियों का एकाधिकार बन जाता है। इस वजह से न तो किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल पाता है और न ही उपभोक्ताओं को कोई लाभ।
फार्म टू फोर्क कीमत :		किसानों को अपने उत्पाद की जो कीमत मिलती है और ग्राहकों को थाली में खाने के लिए जो कीमत देनी पड़ती है, उन कीमतों में अंतर को फार्म-टू-फोर्क (खेती से थाली के बीच) कीमत वृद्धि कहा जाता है। टाइम्स ऑफ इण्डिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में Farm to Fork वृद्धि 65% तक है जबकि यूरोप में 10% और इंडोनेशिया जैसे विकासशील देशों में 25% की होती है।

18. पराली के प्रयोग की तकनीकें

- पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा विकसित, “हैप्पीसीडर” पराली को काटकर खेतों में ही मिला देता है। यही पराली खेत में आर्गेनिक खाद बन जाती है, जो उत्पादकता में वृद्धि के लिए सहायक है।
- काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एण्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) कुरुक्षेत्र के वैज्ञानिकों ने पराली से प्लाई और लकड़ी बनाने की तकनीक खोजी है, जिसे सरकार को हस्तांतरित किया जा चुका है।
- पराली का प्रयोग पॉवर प्लांट में ऊर्जा जरूरतों के लिए किया जा सकता है, परन्तु पराली को प्लांटों तक पहुँचाने में सबसे बड़ी समस्या पराली को दबाकर इसके सघन गट्ठे बनाने में आती है। इस समस्या के समाधान हेतु कृषि एवं किसान कल्याण विभाग 50% अनुदान पर स्ट्राबेलर नामक मशीन उपलब्ध कराता है। यह बेलर पराली के आयताकार गट्ठे बनाने के काम आती है ताकि पराली के परिवहन में आसानी हो।
- पराली का प्रयोग उत्पादों की पैकेजिंग करने की तकनीक पर कार्य किया जा रहा है।
- फसल अवशेषों के प्रबन्धन को कारोबार की मान्यता दी जाये ताकि निवेशक इस क्षेत्र में निवेश कर लाभ प्राप्त कर सकें।
- उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले में पराली दो, खाद लो अभियान की शुरुआत की गयी है जिसके अन्तर्गत किसान से दो ट्राली पराली ली जाती है, जिसके बदले में उन्हें एक ट्राली गोबर की खाद दी जाती है। इस अभियान से दो प्रमुख लाभ होंगे। पहला, गौशालाओं को पशुओं के चारे पर कम व्यय करना पड़ेगा और दूसरा, किसानों द्वारा गोबर की खाद प्रयोग करने से उनके खेती की उर्वरक क्षमता को बढ़ावा मिलेगा तथा उर्वरकों पर होने वाले व्यय में कमी भी आयेगी।
- एक क्विण्टल पराली का मूल्य लगभग 135 से 200 रुपये है।
- जापान की मियावाकी पद्धति में पराली का प्रयोग तेजी से किया जा रहा है।

मियावाकी पद्धति एक दृष्टि में:

- मियावाकी पद्धति के प्रणेता जापानी वनस्पति वैज्ञानिक **अकीरा मियावाकी** (Akiras Miyawaki) हैं। इस पद्धति में 20 से 30 वर्षों के सीमित समय में जंगलों को घने जंगलों में परिवर्तित किया जा सकता है जबकि सामान्य स्थितियों में घने जंगल तैयार होने में अर्थात् पारंपरिक विधि से जंगल तैयार करने में 200 से 300 वर्षों का समय लगता है।
 - इस पद्धति में देशी प्रजाति के पौधे एक दूसरे के समीप लगाए जाते हैं, जो कम स्थान घेरने के साथ ही अन्य पौधों की वृद्धि में भी सहायक होते हैं।
 - मियावाकी पद्धति में एक वर्ग मीटर के क्षेत्र में **वृक्ष, सहवृक्ष, झाड़ी** व एक **औषधीय पौधे** को रोपा जाता है। इससे त्रिस्तरीय प्राकृतिक वन उत्पन्न होते हैं जो अधिक मात्रा में CO₂ व प्रदूषणकारी गैसों को सोखते हैं।
 - मियावाकी वन क्षेत्रों में पौधों को सीधा खड़ा करने के लिए बॉस का प्रयोग किया जाता है इससे बॉस उगाने वाले किसानों की आय में वृद्धि होगी।
 - मियावाकी पद्धति से पौधारोपण के बाद खेतों से एकत्र की गयी पराली को बिछा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को मल्लिचंग कहते हैं। ऐसा करने से अनावश्यक खर-पतवार पैदा नहीं होती है, साथ ही मृदा में मौजूदा नमी का वाष्पीकरण नहीं हो पाता, जिससे सिंचाई की आवश्यकता सीमित हो जाती है।
- नोट:** उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए National Clean Air Programme के तहत लखनऊ समेत 16 शहरों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से नगरीय क्षेत्रों में प्राकृतिक सघन वनों की स्थापना की जा रही है।
- मियावाकी पद्धति एक ओर सघन जंगलों के निर्माण में सहायक है तो वहीं दूसरी ओर पराली के जलाने से होने वाले प्रदूषण से मुक्ति भी दिलाती है, क्योंकि मियावाकी पद्धति में मल्लिचंग अनिवार्य है।

19. भारत में सड़क अवसंरचना

सड़क परिवहन को, भारत में अवसंरचना का आधार कहा जा सकता है। ऐसा कहने के निम्न आधार हैं:-

- कच्चे माल की आपूर्ति में सहायक।
- तैयार माल को बाजार तक पहुँचाने, व्यापार एवं निवेश करने की सुविधा प्रदान करने में सहायक।
- गुणवत्तापूर्ण ग्रामीण सड़कों किसानों को उनके उत्पादक की अच्छी कीमत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।
- सड़कों दूर-दराज के क्षेत्रों को जोड़ती है जिससे पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास कार्य करना संभव हो पाता है।
- सड़कें रोजगार सृजन (Skilled a non Skilled) में सहायक हैं।
- सड़कें कोर सेक्टर के उद्योगों को बढ़ावा देने में सहायक हैं।
- सड़कों को एक ऐसे एकीकृत बहु-मॉडल (Integrated Multiput Modal) परिवहन प्रणाली के रूप में देखना चाहिए जो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पोर्ट से सीधी जुड़ी होती है।
- दुर्गम स्थल में सड़क अवसंरचना का विकास देश की सीमा को सुरक्षित करने में सहायक है।

भारत में सड़क अवसंरचना की स्थिति

भारत का सड़क नेटवर्क लगभग 58.98 लाख किमी है जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway), एक्सप्रेसवे (Expressway), राज्यीय राजमार्ग (State Highway), प्रमुख जिला सड़कें (District Road), अन्य जिला सड़कें (Other District Road), और ग्रामीण सड़कें (Village Road) शामिल हैं।

सड़कें	किमी
राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेसवे	1,32,500
राज्यीय राजमार्ग	1,56,694
अन्य सड़कें	56,08477
कुल	58,97,671

भारत के शीर्ष राष्ट्रीय राजमार्ग वाले राज्य : 1. महाराष्ट्र 2. उत्तर प्रदेश 3. राजस्थान 4. मध्य प्रदेश 5. कर्नाटक

शीर्ष राष्ट्रीय राजमार्ग वाले उत्तर पूर्वी राज्य : 1. असम 2. अरुणाचल प्रदेश 3. मणिपुर 4. नागालैण्ड 5. मिजोरम 6. मेघालय 7. त्रिपुरा

शीर्ष राष्ट्रीय राजमार्ग वाले केन्द्र शासित प्रदेश : 1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2. दिल्ली 3. दादर नागर हवेली

सड़क परिवहन के उत्थान हेतु सरकारी प्रयास

- भारत में अवसंरचना विकास के लिए National Infrastructure Pipeline योजना 2020-2025 की अवधि के लिए जारी की गयी, जिसके तहत अवसंरचना विकास के लिए 111 लाख करोड़ रुपये के व्यय की घोषणा की गयी जिसमें से सड़क अवसंरचना पर 19,63,943 करोड़ रुपये व्यय किया जाना है।
- सुरक्षित और निर्बाध (Safe & Uninterrupted) यातायात प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सेतुभारतम नामक योजना का संचालन किया जा रहा है।
- हाल ही में सरकार ने चारधाम सड़क परियोजना आरंभ की है जिसके तहत उत्तराखंड राज्य में अवस्थित चार प्रमुख धामों यथा गंगोत्री, यमनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को सड़क मार्ग से आपस में जोड़ा जायेगा ताकि आसान पहुँच संभव हो सके।
- दिल्ली के चारों ओर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की दो परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है ये दो परियोजनाएँ हैं - (i) 135 किमी लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और (ii) 135 किमी वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे।
- वर्ष 2017 में प्रारम्भ की गयी **भारतमाला परियोजना** देश में सड़क नेटवर्क विकास में एक क्रांतिकारी कदम है। इसके अन्तर्गत आर्थिक कॉरिडोर, फीडर कॉरिडोर, राष्ट्रीय कॉरिडोर, तटवर्ती सड़कें, बंदरगाह सम्पर्क सड़कें आदि का निर्माण किया जाता है।

भारत में सड़क अवसंरचना की चुनौतियाँ

भारत को विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कहा जाता है जो कि गौरव की बात है परंतु एक हकीकत यह भी है कि भारतीय सड़कों को विश्व में सबसे खराब और घातक सड़क नेटवर्क की भी संज्ञा दी जाती है। विगत एक दशक में भारतीय सड़कों पर 12 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है और **सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार**- यह मौतें देश की जीडीपी में 3% के नुकसान के बराबर है। भारत में सड़क नेटवर्क के विकास के समक्ष चुनौतिया निम्नवत हैं:-

- सड़क निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की समस्या सबसे गंभीर समस्या है।
- भूमि अधिग्रहण लागत में तीव्र गति से वृद्धि होना।
- आधारभूत संरचना के विकास हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वित्त प्रबंधन में रूचि न दिखना।
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनिया (NBFCs) आर्थिक चुनौतियों से गुजर रही है अतः वित्त प्रबंधन में इनका सहयोग न्यून होता जा रहा है।

भारत में सड़क दुर्घटना पर 2018 की रिपोर्ट

- रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में सड़क दुर्घटनाओं के प्रतिशत व सड़क दुर्घटना के दौरान होने वाली मौतों के प्रतिशत में वृद्धि हुई है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग जो कुल सड़क नेटवर्क का मात्र 1.94% है में वर्ष 2018 में सड़क दुर्घटना में होने वाली कुल मौतों में 35.7% यहीं हुई है।
- वर्ष 2018 के दौरान 18 से 45 आयु वर्ग के युवा वयस्क सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाओं के शिकार बने।
- कुल सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 18 से 60 वर्ष आयुवर्ग के कामकाजी आयु समूह की हिस्सेदारी 84.7% थी।

स्रोत : PIB

20. नरेन्द्र मोदी स्टेडियम

उद्घाटन	:	24 फरवरी 2021 राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा
पूर्व नाम	:	सरदार पटेल स्टेडियम
उप नाम	:	मोटेरा स्टेडियम
दर्शकों की क्षमता	:	1.32 लाख (मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया जहाँ 1 लाख दर्शक बैठने की क्षमता थी को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है)
महत्वपूर्ण तथ्य	:	<ul style="list-style-type: none">• विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम।• आधुनिक सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं से युक्त।• भारी वर्षा के पश्चात् भरे जल को आधे घण्टे के भीतर निकासी हेतु आधुनिक जल निकासी प्रणाली से लैस।• स्टेडियम के परिसर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव) का शिलान्यास किया गया।

21. कुम्भ : एक दृष्टि में

स्थान	प्रयागराज	हरिद्वार	नासिक	उज्जैन
राज्य	उत्तर प्रदेश	उत्तराखण्ड	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश
नदी	गंगा, यमुना व अदृश्य सरस्वती नदी के तट पर	गंगा नदी	गोदावरी नदी के तट पर	क्षिप्रा नदी के तट पर
आयोजन (*प्रस्तावित)	<ul style="list-style-type: none"> • 1989 (12 वर्ष) • 1995 (अर्द्ध कुम्भ) • 2001 (12 वर्ष) • 2007 (अर्द्ध कुम्भ) • 2013 (12 वर्ष) • 2020 (अर्द्ध कुम्भ) • 2025 (12 वर्ष)* 	<ul style="list-style-type: none"> • 2010 (12 वर्ष) • 2016 (अर्द्ध कुम्भ) • 2021 (12 वर्ष) <p>नोट: कोरोना काल के चलते मात्र 28 दिन (1 से 28 अप्रैल) के लिए आयोजित। सामान्य स्थितियों में कुम्भ का आयोजन 4 माह के लिए होता है।</p> <p>विशेष/शाही स्नान की तिथियाँ-</p> <ul style="list-style-type: none"> • सोमवती अमावस्या (12 अप्रैल, 2021) • बैसाखी (14 अप्रैल, 2021) • चैत्र पूर्णिमा (27 अप्रैल, 0121) • 2027 (अर्द्ध कुम्भ*) • 2032 (12 वर्ष*) 	2003 (12 वर्ष) 2015 (12 वर्ष) 2027 (12 वर्ष)*	1992 (12 वर्ष) 2004 (12 वर्ष) 2016 (12 वर्ष) 2028 (12 वर्ष)*
अर्द्ध कुम्भ कोरोना काल में विशेष प्रावधान	आयोजन होता है।	आयोजन होता है। मेले में आने वालों के लिए 72 घण्टे के भीतर RTPCR निगेटिव रिपोर्ट, आरोग्य सेतु एप, मास्क की अनिवार्यता होगी	आयोजन नहीं होता है।	आयोजन नहीं होता है।

22. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन

National Beekeeping-Honey Mission (NBHM)

प्रारम्भ

:

11 फरवरी 2021

नोट: देश में एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत मधुमक्खी पालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस मिशन का प्रारम्भ किया गया।

अनुसंधान एवं विकास एकद्विवसीय परीक्षा प्रकोष्ठ

मिशन का उद्देश्य	:	<ul style="list-style-type: none"> कृषि और गैर-कृषि से जुड़े परिवारों के लिए आय व रोजगार के अवसरों का सृजन करना। मधुमक्खी पालन उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देना। कृषि तथा बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देना। मधुमक्खी पालन के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण करना। मधुमक्खी पालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की सुविधाओं का विकास करना है जैसे-एकीकृत मधुमक्खी विकास केन्द्र, शहद परीक्षण प्रयोगशाला, मधुमक्खी रोग निदान प्रयोगशाला, एपीथेरेपी केन्द्र (Api-Therapy Centres)
मिशन का लक्ष्य	:	मीठी क्रांति (Sweet Revolution) का लक्ष्य हासिल करने के लिए देश में वैज्ञानिक आधार पर मधुमक्खी पालन का व्यापक संवर्द्धन और विकास करना।
समयावधि	:	यह मिशन 3 वर्ष के लिए (2020-21 से 2022-23) है।
राशि का आवंटन	:	500 करोड़ रुपये
महत्वपूर्ण तथ्य	:	<ul style="list-style-type: none"> यह मिशन, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के माध्यम से लागू किया जायेगा। भारत में स्थापित विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं- <ol style="list-style-type: none"> National Dairy Development Board, Anand, Gujarat <p>नोट: 24 जुलाई, 2020 को शुभारम्भ कर दिया गया है।</p> <ol style="list-style-type: none"> Indian Institute of Horticultural Research Bengaluru, Karnataka

23. मिशन सागर

(Security & Growth for All in the Region - SAGAR)

उद्देश्य	:	प्राकृतिक आपदाओं व कोविड-19 महामारी से जूझ रहे मित्र राष्ट्रों को आवश्यक दवाइयां व खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना।									
मिशन सागर के कार्यों को संचालित करने वाले मंत्रालय	:	विदेश मंत्रालय + रक्षा मंत्रालय									
महत्वपूर्ण तथ्य	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>चरण</th><th>देश</th><th>आपूर्ति करने में सहायक</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>मई से जून 2020</td><td>मालदीव, मॉरीशस, सेशल्स, मैडागास्कर, कोमोरोस</td><td>नौसेना के आईएनएस केसरी की सेवाएं ली गयीं।</td></tr> <tr> <td>अक्टूबर से नवम्बर 2020</td><td>सुडान, दक्षिण सुडान, जिबूति, इरीदिया</td><td>नौसेना के आईएनएस ऐरावत की सेवाएं ली गयीं।</td></tr> </tbody> </table>	चरण	देश	आपूर्ति करने में सहायक	मई से जून 2020	मालदीव, मॉरीशस, सेशल्स, मैडागास्कर, कोमोरोस	नौसेना के आईएनएस केसरी की सेवाएं ली गयीं।	अक्टूबर से नवम्बर 2020	सुडान, दक्षिण सुडान, जिबूति, इरीदिया	नौसेना के आईएनएस ऐरावत की सेवाएं ली गयीं।
चरण	देश	आपूर्ति करने में सहायक									
मई से जून 2020	मालदीव, मॉरीशस, सेशल्स, मैडागास्कर, कोमोरोस	नौसेना के आईएनएस केसरी की सेवाएं ली गयीं।									
अक्टूबर से नवम्बर 2020	सुडान, दक्षिण सुडान, जिबूति, इरीदिया	नौसेना के आईएनएस ऐरावत की सेवाएं ली गयीं।									

1. ईरान की नई मुद्रा : तोमान (Iran's New Currency : Toman)

देश	:	ईरान
राजधानी	:	तहरान
प्रशासन	:	राजतंत्र
राजभाषा	:	फारसी
स्थिति	:	पश्चिम एशियाई देश
क्षेत्रफल	:	6,48,195 वर्ग कि.मी. (17वाँ देश क्षेत्रफल की दृष्टि से)
जनसंख्या	:	8 करोड़ (शिया 90% और सुन्नी 10%)
सीमा स्पर्श करने वाले देश	:	पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, टर्की, इराक, अरमीनिया।
अन्य महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं	:	<ul style="list-style-type: none"> • कैस्पियन सागर (क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील) व वॉन झील (विश्व की सर्वाधिक लवणता % वाली झील) ईरान की सीमा को स्पर्श करती हैं।
नोट:* क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झीलें:-		
<ol style="list-style-type: none"> 1. कैस्पियन सागर 2. सुपिरियर झील 3. विक्टोरिया झील 		
* विश्व की सर्वाधिक लवणता का प्रतिशत वाली झीलें:-		
<ol style="list-style-type: none"> 1. वान झील (टर्की) 2. मृत सागर (जार्डन) 3. ग्रेट साल्ट लेक (यूएसए) 		
<ul style="list-style-type: none"> • ईरान के दक्षिण पश्चिम में हारमूज जल संधि (Strait of Hormuz) स्थित है, जो पश्चिम एशिया की एक प्रमुख जल संधि है। यह जलसंधि ईरान के दक्षिण में स्थित फारस की खाड़ी (पर्शियन गल्फ) को ओमान की खाड़ी (गल्फ ऑफ ओमान) से जोड़ता है। कच्चे तेल के निर्यात की दृष्टि से यह जल संधि महत्वपूर्ण है क्योंकि इराक, कतर तथा यूएई जैसे देशों का तेल निर्यात यहीं से होता है। • ईरान में दस्ते-ए-काविर (Dasht-e-Kavir) नामक मरुस्थल है, जिसमें कई प्रकार की भूमिया पायी जाती है। अतः वहाँ के निवासी इन विभिन्न प्रकृति वाली मरुस्थलीय भूमि को भिन्न-भिन्न नामों से पुकारते हैं जैसे- <ol style="list-style-type: none"> 1. दशत : बजरी व बालू के कड़े पृष्ठ वाली मरुस्थलीय भू-क्षेत्र को दशत कहा जाता है। 2. लुट : बिना जल व वनस्पति वाले मरुस्थलीय क्षेत्र को लुट कहा जाता है। 3. कवीर : काले कीचड़ के दल-दल जिस पर नमक की पपड़ी बन जाती है, जो ऊपर से कठोर प्रतीत होती है, परन्तु पैर रखने पर अंदर की ओर (दलदली क्षेत्र) धंस जाती है। • ईरान के उत्तर में एलबुर्ज पर्वत श्रेणी (Elburz Mts. Range) है, जिसकी सबसे ऊँची चोटी डेमावेंड (Damawand Mt.) है। • ईरान के पश्चिम में जैगर्स पर्वत श्रेणी (Zagros Mts. Range) है। • ईरान फल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जैसे-खरबूजा, तरबूजा, अंगूर, चेरी व अंजीर। • ईरान का 99% क्षेत्र स्थल है और 1% क्षेत्र में पानी है। • ईरान की सबसे लम्बी नदी कारून (Karun) है और सबसे बड़ी झील लेक उरमिया (Urmia Lake) है। 		
ईरान द्वारा नई मुद्रा को अपनाने के कारण	:	<ul style="list-style-type: none"> • ईरान ने वर्ष 2019 में अपनी मुद्रा रियाल (Rial) के स्थान पर नई मुद्रा तोमान (Toman) को अपनाने हेतु अपनी संसद (मजलिस) में विधेयक (Bill) प्रस्तुत किया, जो 4 मई, 2020 को ईरानी संसद द्वारा पारित कर दिया गया।

- ईरान द्वारा नई मुद्रा अपनाने के दो प्रमुख कारण- (i) वैश्विक कारक व (ii) घरेलू कारक।
- (i) **वैश्विक कारक:** अमेरिका-ईरान तनाव के चलते अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 40 हजार रियाल प्रति डॉलर (40000 रियाल = 1 डॉलर) हो गया था, जबकि खुले बाजार में 1,56,000 रियाल प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया था।
- (ii) **घरेलू कारक:** ईरान की तीव्रगति से बढ़ती मुद्रास्फीति के चलते रियाल की क्रयक्षमता में भारी कमी देखने को मिल रही थी अतः ईरानी संसद द्वारा पारित इस अधिनियम के द्वारा 10 हजार रियाल 1 तोमान के बराबर होगा। इस प्रकार ईरान की मुद्रा से चार शून्य हट जायेंगे और इस प्रकार मुद्रास्फीति के प्रभाव को कृत्रिम रूप से नियंत्रित किया जा सकेगा।

नोट : • रियाल को तोमान से पूर्णतः प्रतिस्थापित करने के लिए ईरान के केन्द्रीय बैंक को 2 वर्ष का समय दिया गया है।

ईरान-अमेरिका के मध्य तनाव के कारण

- वर्ष 2015 में ईरान ने P5+1 देशों (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी) के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (Joint Comprehensive Plan of Action- JCPOA) के रूप में एक दीर्घकालिक समझौते पर सहमति व्यक्त की थी।
- इस समझौते के तहत ईरान अपनी संवेदनशील परमाणु गतिविधियों को सीमित करने के लिए तैयार हो गया और इसके बदले में ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की गयी।
- वर्ष 2018 में अमेरिका इस समझौते से पीछे हट गया है। हाल ही में उसने ईरान के कच्चे तेल के निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। इन प्रतिबंधों के चलते ईरान की अर्थव्यवस्था संकट में आ गयी।
- अमेरिका की इस कार्यवाही के विरुद्ध ईरान ने हार्मुजू जलसंधि को बंद करने की धमकी दी थी।
- 3 जनवरी, 2020 को ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या ईराक के बगदाद हवाई अड्डे पर अमेरिकी ड्रोन हमले से की गयी थी, यह हमला सीधे-सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिशा-निर्देश पर हुआ था। इस कार्यवाही के बदले ईरान ने भी ईराक में स्थित अमेरिका के सैनिक बेड़े पर 8 जनवरी, 2020 को हमला किया जिससे ये बेड़े पूर्णता क्षमिग्रस्त हो गये।
- अमेरिका, पश्चिम एशिया में ईरान के बढ़ते प्रभुत्व को सीमित करना चाहता है, जबकि ईरान, ईराक में सक्रिय अमेरिकी हस्तक्षेप को सीमित करना चाहता है।

वैश्विक जगत पर प्रभाव

- कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने से कच्चे तेल के आयातक देशों के विदेशी मुद्रा भण्डार पर दबाव बढ़ेगा।
- हार्मुजू जल संधि मार्ग पर ईरान द्वारा रोक लगाने से खाड़ी देशों के तेल निर्यात नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे।
- ईरान व अमेरिका के तनाव पूर्ण रिश्तों के चलते पश्चिमी एशियाई देश सम्भावित युद्ध की आशंका से ग्रसित रहेंगे।
- ईरान व अमेरिका के मध्य चल रही प्रौक्सी वार विश्व शांति व सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, जिसके चलते रक्षा सामग्रियों की खरीद में वृद्धि होगी, परमाणु बम जैसे विनाशकारी हथियारों के परीक्षण में भी तेजी आयेगी।

भारत की स्थिति

- वर्तमान में भारत, ईरान व अमेरिका के मध्य मध्यस्थता कर दोनों देशों के बीच तल्लख होते रिश्तों को एक नयी दिशा दे सकता है क्योंकि भारत, ईरान से सर्वाधिक कच्चा तेल आयात करने वाले देशों में आता है अर्थात् कच्चे तेल की डिप्लोमेसी का ईरान पर प्रयोग कर उसे शांति समझौते के लिए तैयार कर सकता है वहीं दूसरी ओर भारत-अमेरिका संबंध सामरिक, व्यापारिक व चीन के विरुद्ध घेराबंदी जैसे विषयों में सहयोग पूर्ण हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण अमेरिका में 2019 में आयोजित **हाउडी मोदी** व भारत में फरवरी, 2020 में आयोजित **नमस्ते ट्रम्प** जैसे आयोजन है और क्वाड (QUAD) समूह में भारत की अहम भूमिका को देखते हुए भारत, अमेरिका को शान्ति वार्ता हेतु प्रोत्साहित कर सकता है।

इस प्रकार भारत, ईरान व अमेरिका के मध्य रिश्तों को सुधारने में अहम भूमिका अदा करा सकता है।

2. भारत-अमेरिका संबंध : एक दृष्टि में

शीतयुद्ध (ColdWar) काल में भारत व अमेरिका के सम्बन्ध तनावपूर्ण रहे थे कई मामलों में अमेरिका, भारत को सोवियत गुट का समर्थक मानता था जिसके चलते भारत-चीन युद्ध (1962) के समय अमेरिका तटस्थ रहा और भारत-पाकिस्तान युद्ध (1965) के समय अमेरिका ने भारत को भेजी जाने वाली खाद्यान्न सहायता PL480 को समाप्त कर दिया था। भारत द्वारा पोखरन टेस्ट (11 से 13 मई, 1998) के समय भी अमेरिका ने भारत के प्रति कड़ा रुख अपनाया था। परन्तु शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से अमेरिका व भारत के बीच पिछले दो दशकों (2000-2010, 2011-2020) में सामारिक और आर्थिक सम्बन्धों में तेजी से विकास हुआ है, जिसे निम्न बिन्दुओं के आधार पर दर्शाया जा सकता है।

समयावधि

• वर्ष 2005

भारत-अमेरिका संबंधों में सकारात्मक सहयोग

प्रतिरक्षा क्षेत्र (Defence Sector) में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से दोनों देशों ने 10 वर्ष (2005 से 2015) की अवधि के लिए एक “प्रतिरक्षा सहयोग समझौता” पर हस्ताक्षर किया। जिसे अमेरिका द्वारा वर्ष 2015 में पुनः 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। इस समझौते में **Defence Technology & Trade Initiatives (DTTI)** को जोड़कर इसे नया आयाम दिया गया। DTTI का उद्देश्य दोनों देशों के बीच अत्याधुनिक प्रतिरक्षा उपकरणों का संयुक्त रूप से सह-विकास व सह-उत्पादन करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मिश्रित पावर प्रणाली (Mixed Power System) व **C-130 J नामक एयर क्राफ्ट** आदि के विकास को चिन्हित किया गया है।

• वर्ष 2007

दोनों देशों में **मालाबार नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास** (Malabar Naval Exercise) की शुरुआत की जिसमें वर्ष 2016 में जापान को भी शामिल कर लिया गया। **नोट:** मालाबार नेवल एक्सरसाइज वर्ष 1992 में प्रारम्भ हुई थी, परन्तु वर्ष 1998 से 2002 तक की अवधि के लिए इसे बंद कर दिया गया था ऐसा करने का कारण था वर्ष 1998 में भारत द्वारा किया गया पोखरन टेस्ट। यह वर्ष दोनों देशों के संबंधों में विश्वास को बढ़ाने वाला वर्ष साबित हुआ क्योंकि इसी वर्ष दोनों देशों के बीच **शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग समझौता** हुआ। इस समझौते के बाद ही विश्व स्तर पर परमाणु क्षेत्र में भारत का अलगाववाद दूर हुआ।

• वर्ष 2008

• वर्ष 2015

इस वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत की यात्रा पर आये। इस दौरान दोनों देशों ने “**एशिया प्रशान्त क्षेत्र**” (Asia-Pacific Region) में सहयोग के लिए एक **साझे सामरिक दृष्टिकोण दस्तावेज** (Joint Strategic Approach Document) को जारी किया। इस दस्तावेज में एशिया प्रशांत क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने, समुद्र संबंधी विवादों को शांतिपूर्ण व कानून के अनुसार समाधान करने तथा इस क्षेत्र में शांति व स्थिरता में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत की एक बड़ी भूमिका का समर्थन किया गया था।

• वर्ष 2016

इस वर्ष अमेरिका ने भारत को अपना प्रमुख रक्षा साझेदार (Major Defence Partner) घोषित किया जिसका अर्थ है कि भारत भी अमेरिका के नाटो मित्रों (NATO Allies) की भांति अमेरिका से अत्याधुनिक प्रतिरक्षा तकनीक का आयात कर सकता है।

• वर्ष 2017

इस वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने एशिया-प्रशान्त नौसैनिक कमान का नाम बदलकर “**हिन्द-प्रशान्त-कमान**” (Indo-Pacific Command) कर दिया साथ ही इस क्षेत्र में सामरिक सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से “**क्वाड**” (QUAD) जिसमें भारत, अमेरिका, जापान आस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं कि संकल्पना को प्रस्तुत किया।

• वर्ष 2018

इस वर्ष अमेरिका-भारत के मध्य 2+2 वार्ताओं की शुरुआत हुई, इन वार्ताओं में दोनों देशों के विदेश मंत्री व रक्षा मंत्री भाग लेते हैं।

• वर्ष 2018-19 व 2019-20

केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2018-19 व 2019-2020 की समयावधि के दौरान यूएसए, चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत का **शीर्ष व्यापारिक भागीदार** (India's Largest Trading Partner) बन गया है, जो दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ते आर्थिक संबंध का संकेत है।

• वर्ष 2019

इस वर्ष भारतीय प्रधानमंत्री मोदी सितम्बर 2019 में अमेरिका की यात्रा पर गये जहाँ उनके सम्मान में **हाउडी मोदी कार्यक्रम** आयोजित किया गया।

• वर्ष 2020

इस वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सपरिवार व उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 24-25 फरवरी 2020 को भारत यात्रा पर आये जहाँ अहमदाबाद में उनके सम्मान में **नमस्ते ट्रम्प** कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पिछले दो दशकों में दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय (Bilateral) व बहुपक्षीय (Multilateral) सामारिक समझ व सहयोग का तेजी से विकास हुआ है परन्तु कुछ ऐसे भी विषय हैं जहाँ दोनों देशों के मध्य मतभेद हैं जैसे- अमेरिका का भारत के प्रति व्यवहार:

अनुसंधान एवं विकास एकद्विवर्षीय परीक्षा प्रकोष्ठ

- अमेरिका द्वारा भारत के स्टील व एल्युमिनियम निर्यात पर सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया।
- अमेरिका ने भारत का विकासशील देश का दर्जा समाप्त करते हुए भारत को मिलने वाले उदार सीमा शुल्क वाले Generalized System of Preference (GSP) से बाहर कर दिया।
- कोविड-19 के दौरान भारत द्वारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के निर्यात को सीमित किया गया था, जिस पर अमेरिका ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी।

भारत का प्रतिक्रिया स्वरूप व्यवहार:

- भारत ने अमेरिका से आने वाले उत्पाद जैसे दुग्ध का सामान, सूखे मेवे, चाकलेट तथा मेडिकल उपकरणों पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया।
- भारत ने अमेरिका सहित अन्य विदेशी ई-कामर्स कम्पनियों से भारतीय डेटा को लोकलाइज़ करने व उन पर डिजिटल कर लागू करने की नीति को अपनाया है।
- अमेरिका द्वारा इजराइल की राजधानी येरूशलम घोषित की जिस पर यूएनओ में पड़ने वाले वोटों पर भारत ने इसके विपक्ष में वोट किया था।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **GSP [Generalized System of Preferences]**
अमेरिका द्वारा Trade Act 1974 के तहत पिछड़े व विकासशील देशों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु उनके उत्पादों पर अमेरिका द्वारा शून्य या उदार सीमा शुल्क नीति का अनुसरण किया जाता है।
- **Indo-Pacific Region का महत्व**
विशाल हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के सीधे जलग्रहण क्षेत्र में पड़ने वाले देशों को Indo Pacific Countries कहा जाता है जिसमें ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट, इंडियन ओशियन तथा वेस्टर्न एवं सेंट्रल पैसिफिक ओशियन मिलकर यह क्षेत्र बनाते हैं। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे-दक्षिण चीन सागर व मल्लका जल संधि आते हैं। यह ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ अमेरिका अपनी वैश्विक स्थिति पुर्नजीवित करना चाहता है और इसलिए यह क्षेत्र अमेरिका के भविष्य की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे चीन द्वारा चुनौती दी जा रही है। ट्रम्प द्वारा उपयोग किये जाने वाले Indo-Pacific Strategy का अर्थ है- भारत, यूएसए, एशियाई देश मुख्य रूप से जापान व आस्ट्रेलिया शीतयुद्ध के बढ़ते प्रभाव के नए ढांचे में चीन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।

इस क्षेत्र के महत्व को निम्न आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है-

- वर्तमान में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में 38 देश शामिल हैं जो विश्व के सतह क्षेत्र का 44 प्रतिशत, विश्व की कुल आबादी का 65 प्रतिशत, विश्व की कुल जीडीपी का 62 प्रतिशत तथा विश्व वस्तु व्यापार का 46 प्रतिशत योगदान देते हैं।
- इस क्षेत्र में भू-आर्थिक प्रतिस्पर्धा जोर पकड़ रही है जिसमें दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं, बढ़ता सैन्य खर्च और नौसैनिक क्षमताएं प्राकृतिक संसाधनों को लेकर गलाकाट प्रतिस्पर्धा शामिल है।

इण्डो-पैसिफिक रीजन के अन्तर्गत शामिल प्रमुख क्षेत्र हैं-

- **दक्षिण चीन सागर** : यहाँ आसियान के देशों तथा चीन के मध्य लगातार विवाद चलता है।
- **मलक्का जलडमरू** : यह क्षेत्र रणनीतिक तथा व्यापारिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।
- इस क्षेत्र में Red Sea, Gulf of Oman, Persian Gulf जैसे क्षेत्र शामिल हैं जो कच्चे तेल के व्यापार हेतु सर्वश्रेष्ठ मार्ग है।
- इस क्षेत्र में मालदीव, सैशल्स, मार्शल जैसे प्रमुख द्वीप स्थित है।

3. चीन व उइगर मुसलमान [China & Uighur Muslim]

- उइगर मुस्लमान** : • उइगर मुस्लमान पूर्वी व मध्य एशिया में रहने वाले तुर्की नृजाति समूह (Ethnic Group) की एक जनजाति है।
- ये लोग मुख्यता चीन के शिंजियांग प्रांत (Xinjiang) प्रांत में रहते हैं जो इस प्रांत की कुल आबादी का 45% है अर्थात् लगभग 1 करोड़ से अधिक की आबादी है।
- शिंजियांग प्रांत एक दृष्टि में** : • जिस प्रकार तिब्बत चीन का स्वायत्त क्षेत्र है उसी प्रकार शिंजियांग प्रांत भी चीन का स्वायत्त क्षेत्र है, जो चीन के उत्तर-पश्चिम दिशा में स्थित है।
- शिंजियांग प्रांत की सीमाएं मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलती है।
- वर्ष 1949 में पूर्वी तुर्कीस्तान जिसे वर्तमान में शिंजियांग प्रांत कहते हैं, को एक अलग राष्ट्र के तौर पर कुछ समय के लिए पहचान मिली थी लेकिन वर्ष 1949 में ही यह चीन का स्वायत्त क्षेत्र बन गया था।
- उइगर मुस्लमानों के चीन से अलग होने की मांग के कारण** : • शिंजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुस्लिम 'ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट' चलाते हैं जिसका मकसद चीन से अलग होना है।
- कई दशकों से शिंजियांग प्रांत में चीन के मूल नृजाति लोग, जिन्हें हॉन (Han) कहा जाता है, को

- तेजी से बसाया जा रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वर्ष 1949 में शिंजियांग प्रांत में 2.2 लाख हॉन लोग निवास करते थे जो वर्तमान में 80 लाख हो गये हैं।
- हॉन लोग उइगर मुस्लमानों की नौकरियां हड़प लेते हैं जिसके कारण उइगर मुस्लमानों में बेरोजगारी की दर तेजी से बढ़ रही है जिससे उनका जीवन स्तर निम्न होता जा रहा है।
 - चीन के सैनिक उइगर मुस्लमानों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं जबकि चीन की सरकार यह दिखाती है उसने सभी को समान अधिकार दिए हुए हैं और विभिन्न समुदायों के मध्य समरसता है।
- चीन की चिंता :** चीन की सबसे बड़ी चिंता यह है कि शिंजियांग प्रांत की सीमा जिन देशों से मिलती है उन देशों के लोगों का सांस्कृतिक संबंध उइगर मुस्लमानों से है अतः उइगर मुस्लमान इन देशों के समर्थन से शिंजियांग प्रांत को चीन से अलग कर एक स्वतंत्र देश बनाने का प्रयास तेजी से कर रहे हैं।
- वर्तमान में चर्चा के कारण :** हाल ही में अमेरिका की संसद (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव) ने उइगर मानवाधिकार विधेयक (Uighur Human Right Bill) को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में अमेरिका व चीन के पक्ष निम्नवत् हैं:-

अमेरिका का पक्ष	चीन का पक्ष
अमेरिका के अनुसार चीन पर मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि शिंजियांग प्रांत में कम से कम 10 लाख उइगर मुस्लमानों को कैदों में रखा गया है और चीन के अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर उइगर मुस्लमानों के विरुद्ध अत्याचार किया जा रहा है। अतः इन अत्याचारों को रोकने के लिए उइगर मानवाधिकार विधेयक लाया गया है।	चीन के अनुसार उस पर लागये जा रहे सभी आरोप गलत हैं। चीन तो उइगर मुस्लमानों को उनके अतिवादी विचारों (Extremist Thought) से मुक्त कराकर, उन्हें व्यवसायिक कौशल का प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहा है।

4. वेस्ट बैंक : इजराइल विवाद

- वेस्ट बैंक की भौगोलिक स्थिति:**
- वेस्ट बैंक पश्चिमी एशिया के भूमध्यसागरीय तट के पास स्थित एक स्थल अवरुद्ध (Landlocked) क्षेत्र है।
 - इसके पूर्व में जार्डन स्थित है जबकि तीन अन्य दिशा पश्चिम, उत्तर व दक्षिण दिशा से यह इजराइल की सीमा को स्पर्श करता है।
 - वेस्ट बैंक क्षेत्र का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र मृत सागर (Dead Sea) के तट को स्पर्श करता है।
 - इजराइल के पूर्व में इजराइल-जार्डन सीमा पर वेस्ट बैंक क्षेत्र स्थित है।
- नोट:** इस क्षेत्र को वेस्ट बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह क्षेत्र जार्डन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है।
- वेस्ट बैंक पर अधिकार की स्थिति :**
- 1948 में प्रथम अरब-इजराइल युद्ध में जार्डन ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया था।
 - 1967 में तीसरे अरब-इजराइल युद्ध (6 दिन तक चला था) में इजराइल विजय हुआ और उसने निम्न देशों के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया-
- | देश | क्षेत्र |
|--------|--------------------------------|
| मिस्र | सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी |
| जार्डन | वेस्ट बैंक और पूर्वी येरूशलम |
| सीरिया | गोलन हाइट्स |
- वेस्ट बैंक पर अधिकार को लेकर विवाद :**
- इजराइल यहूदियों का देश है और यहूदियों का मानना है कि वेस्ट बैंक नामक इस भू-भाग पर उनको बाइबिल द्वारा जन्मसिद्ध अधिकार मिला हुआ है।
 - फिलिस्तीनी लोगों का कोई अलग देश नहीं है, उनका लक्ष्य है कि वेस्ट बैंक नामक इस भू-भाग में फिलिस्तीनी देश स्थापित किया जाए और पूर्वी येरूशलम को इस नये देश की राजधानी बनायी जाये।
- वेस्ट बैंक का वस्तविक विवाद :**
- वेस्ट बैंक क्षेत्र चूँकि वर्तमान में इजराइल के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए वह 1967 के बाद से ही वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों को तेजी से बसा रहा है।
- वेस्ट बैंक पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दृष्टिकोण :**
- संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का मानना है कि वेस्ट बैंक में इजराइल द्वारा यहूदी बस्तियां स्थापित करना चौथी, जिनेवा संधि 1949 का उल्लंघन है। इस संधि के अनुसार यदि कोई देश किसी भू-भाग पर कब्जा करता है तो वहाँ अपने नागरिकों को नहीं बसा सकता।

- 1998 में गठित अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court) के अनुसार किसी देश द्वारा जीते हुए या कब्जा किये हुए क्षेत्र पर अपने नागरिकों को बसाना एक युद्ध अपराध है।
 - अमेरिका का दृष्टिकोण इजराइल के पक्ष में है अर्थात् अमेरिका, इजराइल द्वारा वेस्ट बैंक में बस्तियों को बसाने के कार्य को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं मानता बल्कि इस कार्य को वह इजराइल की सुरक्षा के लिए आवश्यक मानता है।
 - भारत का दृष्टिकोण प्रारम्भ से ही दो देशों के अस्तित्व के सिद्धांत (Two State Solution) को मानने वाला रहा है अर्थात् भारत एक संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीन देश की स्थापना का समर्थन करता है।
 - दो राष्ट्र वाले भारतीय मॉडल का समर्थन यूरोपियन यूनियन द्वारा भी किया जाता है अर्थात् यूरोपियन यूनियन, अरब लीग व संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर इजराइल द्वारा वेस्ट बैंक क्षेत्र में यहूदी बस्तियों को स्थापित करने का विरोध कर रहा है।
- वेस्ट बैंक के चर्चा में आने के कारण : • हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री ने इजराइल के प्रधानमंत्री से येरूशलम में मुलाकात की। जहाँ दोनों देशों के बीच वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को इजराइल में मिलाने की योजना पर चर्चा हुई है।
- महत्वपूर्ण तथ्य : अमेरिका के विदेश मंत्री : माइक पोम्पियो
इजराइल के प्रधानमंत्री : बेंजामिन नेतन्याहू

5. ई-कूटनीति (e-Diplomacy)

- ई-कूटनीति अपनाने के कारण : कोविड-19 एक वैश्विक महामारी के रूप में दुनिया भर को अपनी चपेट में लिए हुए हैं, जिसके चलते सभी आर्थिक-सामाजिक व राजनैतिक गतिविधियाँ ठप पड़ गयी। कोविड-19 का ही परिणाम है कि वर्ष 2020-21 में आयोजित होने वाली सभी राजनयिक मुलाकातें अपने पूर्व निर्धारित गंतव्य में होना संभव नहीं है। इसलिए इस स्थिति में आभासी मुलाकातों (Virtual Conferences) के जरिये राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने का चलन प्रारम्भ हुआ है।
- ई-कूटनीति का अर्थ : जब राजनयिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रों द्वारा “प्रौद्योगिकी” (Technology) का प्रयोग किया जाये तो उसे ई-कूटनीति (इलेक्ट्रॉनिक कूटनीति) कहा जाता है।
- ई-कूटनीति में शामिल कार्य : ई-कूटनीति के अन्तर्गत शामिल कार्य निम्नवत् है:-
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध स्थापित करना।
 - प्रतिनिधि राष्ट्र द्वारा आयोजनों का प्रतिनिधित्व करना।
 - प्रौद्योगिकी के माध्यम से सम्मेलनों का आयोजन करना व अनिवार्य विषयों पर चर्चा करना।
- ई-कूटनीति के लाभ : • कोविड-19 महामारी के दौरान “सामाजिक दूरी” के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अतः ई-कूटनीति, सामाजिक दूरी बनाये रखने के साथ-साथ राजनयिक सम्बन्धों को भी बनाये रखने में सहायक है।
- ई-कूटनीति राष्ट्राध्यक्षों व प्रतिनिधियों के समय की बचत करने में सहायक है क्योंकि उन्हें शारीरिक रूप से किसी कार्यक्रम स्थल या अन्य देश में पहुंचने की आवश्यकता नहीं होती अर्थात् वे अपने कार्यालयों में ही रह कर शिखर सम्मेलनों में भाग ले सकते हैं।
 - ई-कूटनीति सम्मेलनों के आयोजनों में होने वाले भारी भरकम व्ययों की भी बचत करती है। अर्थात् इसकी आर्थिक, व्यवहारिता भी है।
 - ई-कूटनीति पर्यावरण हितैषी भी है।
- ई-कूट नीति के समक्ष चुनौतियाँ: • इस बात को लेकर संशय है कि ई-कूटनीति के माध्यम से उन समझौतों तथा निर्णयों को लागू किया जा सकता है, जिन्हें लागू करने के लिये नेताओं को निश्चित प्रोटोकाल तथा संवाद प्रक्रिया को पूरा करने की आवश्यकता होती है।
- साइबर सुरक्षा संबंधी मुद्दे जैसे-महत्वपूर्ण दस्तावेजों की हैकिंग की संभावना, संवाद करने में सहजता तथा खुलापन कम महसूस करना, संवेदनशील दस्तावेजों की जासूसी या उनके लीक होने की संभावना आदि।
 - आभासी सम्मेलन कुछ भागीदार देशों को कृत्रिम तथा असंतोषजनक लग सकते हैं।

कोविड-19 के समय होने :
वाली प्रमुख ई-कूटनीति
व भारत

ई-कूटनीति	महत्वपूर्ण तथ्य
सार्क नेताओं का आभासी सम्मेलन	<ul style="list-style-type: none"> 15 मार्च, 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री के आग्रह पर कोविड-19 की चुनौती से निपटने की रणनीति पर विचार-विमर्श करने हेतु सार्क देशों के बीच वीडियो कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी की चुनौती से निपटने के लिए “सार्क कोविड-19 आपातकालीन निधि” स्थापित करने का प्रस्ताव किया।
भारत-आस्ट्रेलिया आभासी सम्मेलन	<ul style="list-style-type: none"> जून, 2020 में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच पहली आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में दोनों देशों के मध्य 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर दोनों देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री सहयोग के लिए “साझा दृष्टिकोण” नामक दस्तावेज जारी किया। इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सैन्य अभ्यास और साझा गतिविधियों में वृद्धि के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में सहयोग को व्यापक तथा मजबूत बनाने पर सहमति बनायी जिसके चलते दोनों देशों की सेनाएं एक-दूसरे के सैन्य अड्डों का परस्पर प्रयोग कर सकेंगी।
जी-20 देशों का आभासी सम्मेलन	<ul style="list-style-type: none"> 27 मार्च, 2020 को जी-20 समूह के राष्ट्रीय नेताओं द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने की दिशा में आभासी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस आभासी शिखर सम्मेलन (Virtual Leadership Summit) का आयोजन भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर किया गया था।
नाम संपर्क समूह शिखर सम्मेलन	<ul style="list-style-type: none"> 4 मई, 2020 को कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में सहयोग की दिशा में “गुट निरपेक्ष आन्दोलन” [Non-Aligned Movement-NAM] समूह द्वारा "NAM Contact Group Summit" का आयोजन किया गया। नोट: यह प्रधानमंत्री मोदी का वर्ष 2014 से सत्ता संभालने के बाद पहली बार गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को संबोधित किया है।

6. हांगकांग विवाद [Dispute in Hongkong]

हांगकांग की भौगोलिक स्थिति

- हांगकांग, चीन के दक्षिण पूर्व में स्थित क्षेत्र है जो दक्षिण चीन सागर को स्पर्श करता है।
- हांगकांग के पूर्व में ताइवान स्थित है।
- फारमोसा जलसंधी (Formosa Strait) चीन व ताइवान को अलग करती है।

हांगकांग की राजनैतिक स्थिति

- हांगकांग, ब्रिटिश शासन से 1997 में ‘एक देश दो व्यवस्था’ (One Nation Two State Theory) के तहत चीन को सौंपा गया था। इस व्यवस्था के तहत हांगकांग वासियों को कुछ अधिकार दिये गये थे जैसे- अलग न्याय पालिका, नागरिकों के लिए आजादी के अधिकार आदि। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि हांगकांग चीन का अंग होते हुए भी स्वायत्त क्षेत्र रहे। यह व्यवस्था वर्ष 2047 तक के लिए अपनायी गयी है। अर्थात् हांगकांग को यह स्वायत्ता 50 वर्षों के लिए दी गयी है।
- हालांकि चीन, हांगकांग के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप तथा दमनकारी नीतियों को आरोपित करता रहा है।

अनुसंधान एवं विकास एकदिवसीय परीक्षा प्रकोष्ठ

हांगकांग द्वारा चीन के विरुद्ध किये गये विरोध प्रदर्शन:

वर्ष	विरोध प्रदर्शन
1997	: चीन को हांगकांग सौंपने के कारण चीन के विरुद्ध, हांगकांग वासियों ने वृहद स्तर पर विरोध परदर्शन किया गया था।
2014-15	: यह वर्ष अंब्रेला क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। इस क्रांति का प्रमुख कारण चीन द्वारा चुने गये लोग ही हांगकांग में चुनाव लड़ सकते हैं अर्थात् जब वे चीन द्वारा नामांकित किये जायेंगे तो उनका झुकाव भी चीनी सरकार की ओर होगा इस स्थिति के विरुद्ध हांगकांग वासियों ने चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
फरवरी 2019	: विवादास्पद प्रत्यर्पण विधेयक (Extradition Bill) हांगकांग की प्रमुख प्रशासक कैरी लाम (Corrie Lam) द्वारा विधायिका में प्रस्तावित किया गया था। नोट: यह विवादास्पद विधेयक व्यापक प्रदर्शन के चलते हांगकांग प्रशासन द्वारा निलंबित कर दिया गया है।
30 जून, 2020	: चीन के शीर्ष विधायी निकाय नेशनल पीपुल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी ने हांगकांग के लिए “राष्ट्रीय सुरक्षा कानून” (National Security Law) 30 जून, 2020 को पारित किया और 1 जुलाई, 2020 को हांगकांग पर लागू कर दिया। इस कानून के विरोध हेतु लाखों हांगकांग वासी सड़कों पर उतर आये।

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Law)

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने का उद्देश्य	: हांगकांग द्वारा चीन के विरुद्ध होने वाले प्रदर्शनों को रोकना तथा हांगकांग की स्वायत्ता को सीमित करना।
कानून के प्रमुख प्रावधान	: <ul style="list-style-type: none">• हांगकांग सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखे गये इसे विवादास्पद कानून को हांगकांग में एक सुपर कानून की तरह लागू किया जायेगा।• इस कानून के तहत चीन की सुरक्षा एजेंसियों को पहली बार हांगकांग में अपने प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी गयी है।• राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले लोगों को, अलगाव वादियों को तोड़-फोड़ करने वालों को व आतंकवाद के दोषी व्यक्तियों को उम्र कैद तक की सजा इस कानून के तहत सुनायी जा सकती है।• इस कानून के तहत आतंकवाद (Terrorism) की नई परिभाषा गढ़ी गयी है अर्थात् अब हांगकांग में प्रदर्शनकारी यदि राजनीतिक उद्देश्य के लिए चीन सरकार पर दबाव बनाने के लिए सार्वजनिक परिवहन में आगजनी या सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसा कार्य करते हैं, तो इसे आतंकवादी घटना मानते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही की जायेगी। ऐसे गम्भीर मामलों की सुनवायी करने का अधिकार चीन सरकार के पास होगा अर्थात् हांगकांग सरकार व उसके कर्मचारियों की इस कानून को लागू करवाने में कोई भूमिका नहीं होगी और न ही रहेगी तथा कानून से जुड़ा स्टाफ भी हांगकांग सरकार के नियंत्रण में नहीं होगा।• इस कानून के तहत हांगकांग प्रशासन को नियमित रूप से चीन को रिपोर्ट भेजनी होगी।
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया	: चीन के इस कानून का विरोध करने वाले प्रमुख देश हैं- कनाडा, यूएसए व ब्रिटेन
हांगकांग के लोगों की प्रतिक्रिया	: चीन का यह कानून बिना हांगकांग के प्रशासन की सलाह पर लागू किया गया है अतः हांगकांग के लाखों लोग इस कानून का विरोध करने सड़क पर उतर गए, जिसको पुलिस के बल प्रयोग से तितर-बितर करना पड़ा।

7. दक्षिण चीन सागर

वैश्विक मानचित्र में स्थिति	: <ul style="list-style-type: none">• महाद्वीप के आधार पर स्थिति : दक्षिण-पूर्वी एशिया।• महासागर के आधार पर स्थिति : प्रशांत महासागर का महत्वपूर्ण भाग।• स्पर्श करने वाले देश : ताइवान, चीन, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इण्डोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस• कुल क्षेत्रफल : 35 लाख वर्ग किमी.• प्रमुख जल संधियाँ : जल संधियां दो वाटर बॉर्डर को जोड़ने और दो स्थलों को अलग करने का कार्य करती हैं।
-----------------------------	---

जल संधि का नाम	दो वाटर बाडिज को जोड़ना	दो स्थलों को अलग करना
कारीमाता जलसंधि (Karimata Strait)	दक्षिण चीन सागर + जावा सागर	जकार्ता व बोर्नियो द्वीप को अलग करता है।
मलक्का जल संधि (Strait of Malacca)	दक्षिण चीन सागर (प्रशांत महासागर) + हिन्द महासागर	सुमात्रा व मलेशिया को अलग करता है।
लुजान जलसंधि (Luzon Strait)	दक्षिण चीन सागर + फिलीपींस सागर	ताइवान व फिलीपींस को अलग करता है। इस जलसंधि से यूएसए के जहाज पूर्वी एशिया में प्रवेश करते हैं।
ताइवान/फारमोसा जलसंधि (Taiwan/ Formosa Strait)	दक्षिण चीन सागर + पूर्वी चीन सागर	ताइवान व चीन को अलग करता है।

आर्थिक महत्व

- : दक्षिण चीन सागर के आर्थिक महत्व को निम्न आधार पर समझा जा सकता है-
- यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, जैसे-खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, मूंगे के विस्तृत भंडार आदि।
 - चीन 80% से अधिक तेल आयात इसी मार्ग से करता है।
 - विश्व में कुल पकड़ी जाने वाली मछलियों में 12% हिस्सा इसी क्षेत्र में होने का अनुमान है।
 - उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विशेषकर यूएस का पूर्वी एशिया में पहुंचने का मार्ग दक्षिण चीन सागर से है।

विवाद का मुख्य कारण

- : • चीन की साम्यवादी सरकार 1947 के एक पुराने नक्शे के सहारे पूरे दक्षिण-चीन सागर पर अपना दावा पेश करती है, जबकि कई एशियाई देश जैसे ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई जैसे देश दक्षिण चीन सागर से सीमा साझा करते हैं अतः उन्होंने चीन के इस दावे पर कठोर आपत्ति जतायी है।
- चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में **नाइन डैश लाइन** खींची है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है, जिसके द्वारा चीन ने दक्षिण चीन सागर की घेराबंदी कर रखी है। यह लाइन चीन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1947 में खींची थी। यह रेखा दक्षिण चीन सागर से लगने वाले देशों के 200 नॉटिकल मील क्षेत्र से होकर गुजरती है, जो वर्ष 1982 के United Nations Convention on the Law of the Sea का उल्लंघन है। इस कारण यह रेखा अंतर्राष्ट्रीय विवाद का कारण बनी हुई है।

**दक्षिण-चीन सागर के
विवादास्पद द्वीप**

विवादास्पद द्वीप	देशों के मध्य विवाद	महत्वपूर्ण तथ्य
स्प्रेटली द्वीप समूह (The Spratly Island)	इस द्वीप समूह पर मलेशिया, चीन ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई और वियतनाम जैसे देश अपना-अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।	<ul style="list-style-type: none"> • स्प्रेटली द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप इतु अबा (Itu Aba) है। • चीन ने इस द्वीप समूह पर कई निर्माण कार्य किये हैं, जिसमें प्रमुख है- हवाई पट्टी का निर्माण।
पारासेल द्वीप समूह (The Paracel Island)	यह द्वीप चीन, ताइवान और वियतनाम के मध्य एक विवादित क्षेत्र है।	<ul style="list-style-type: none"> • पारासेल द्वीप पर वर्तमान में चीन का नियंत्रण है, जिसने 1974 से इस द्वीप पर अपना कब्जा जमा रखा है। • इस द्वीप को लेकर चीन व वियतनाम के मध्य युद्ध हो चुका है। • इस द्वीप पर चीन ने निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया है। • वुडी द्वीप (Woody Island) पारासेल द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 2-6 वर्ग किमी. है।

अनुसंधान एवं विकास एकदिवसीय परीक्षा प्रकोष्ठ

प्राटा द्वीप समूह (The Pratas Island)	यह द्वीप चीन व ताइवान के मध्य एक विवादित क्षेत्र है।	<ul style="list-style-type: none"> प्राटा द्वीप समूह हांगकांग से 170 नॉटिकल मील दक्षिण पूर्व में स्थित है अतः चीन इस द्वीप पर अपने हक का दावा करता है, जबकि वर्तमान में ताइवान ने प्राटा द्वीप पर कब्जा कर रखा है और इस द्वीप को ताइवान ने अपना राष्ट्रीय उद्यान (National Park) घोषित किया हुआ है।
मैक्लेस फील्ड बैंक (Macclesfield Bank)	इस क्षेत्र को लेकर चीन और ताइवान के मध्य विवाद चल रहा है।	<ul style="list-style-type: none"> मैक्लेसफील्ड बैंक पर चीन व ताइवान अपना-अपना दावा पेश करते हैं।
स्कारबोरो शोल (Scarborough Shoal)	यह क्षेत्र चीन, ताइवान और फिलीपींस के बीच विवादित क्षेत्र है।	<ul style="list-style-type: none"> स्कारबोरो शोल का आकार त्रिकोण () है और ये रीफ व चट्टानों की श्रृंखला से बना हुआ है।

दक्षिण चीन सागर को स्पर्श करने वाले देशों के मध्य विवाद

: चीन व फिलीपींस के मध्य विवाद :

- विवादित स्थल
- महत्वपूर्ण तथ्य

- : पाग असा द्वीप
- : वर्ष 2013 में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (IC) के पर्मनेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के समक्ष यह विवाद लाया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने United Nations Convention on the Law of Sea 1982 के अनुच्छेद 258 को आधार बनाते हुए फैसला दिया कि- “नाइन डैशलाइन की परिधि में आने वाले जल क्षेत्र पर चीन कोई ऐतिहासिक दावेदारी नहीं कर सकता क्योंकि इस बात के सबूत नहीं हैं कि इस क्षेत्र के जल और अन्य संसाधनों पर ऐतिहासिक तौर पर चीन का अधिकार है। अतः चीन ने फिलीपींस की संप्रभुता के अधिकार का हनन किया है और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने फैसला फिलीपींस के पक्ष में सुनाया।”
- न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि चीन ने इस क्षेत्र में आर्टिफिशियल आईलैंड बनाकर समुद्री पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया है।
- चीन ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का फैसला मानने से इन्कार कर दिया है।

: चीन व इंडोनेशिया के मध्य विवाद :

- विवादित स्थल
- महत्वपूर्ण तथ्य
- अन्य तथ्य

- : नातुना द्वीप, यह दक्षिण चीन सागर में इंडोनेशिया में स्थित है।
- : नतुना द्वीप के पास इंडोनेशिया का विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) स्थित है और चीन द्वारा खींची गयी काल्पनिक रेखा नाइन-डैश लाइन के अधिकार क्षेत्र में आने के कारण चीन व इंडोनेशिया के मध्य नतुना द्वीप विवाद का कारण बना हुआ है।
- : नतुना द्वीप की कुल जनसंख्या लगभग 1 लाख है और यहाँ के लोगों का मुख्य धर्म इस्लाम है। यह द्वीप प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार से युक्त हैं।

भारत के संदर्भ में दक्षिण चीन सागर में चीन की प्रभुसत्ता बढ़ने से चिंता

- **करा कैनाल प्रोजेक्ट** थाइलैण्ड सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसे चीन का समर्थन प्राप्त है और चीन करा कैनाल प्रोजेक्ट के निर्माण में थाइलैण्ड की आर्थिक सहायता कर रहा है।
- थाइलैण्ड का दक्षिणी भाग पूर्व की ओर दक्षिण चीन सागर को स्पर्श करता है जबकि पश्चिम की ओर हिन्द महासागर को स्पर्श करता है इसलिए थाइलैण्ड दक्षिण चीन सागर को हिन्द महासागर से जोड़ने के लिए करा कैनाल प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है।
- यह कैनाल 102 किमी लम्बी, 400 मीटर चौड़ी और 25 मीटर गहरी होगी।
- यदि यह कैनाल बनकर तैयार हो जाती है तो चीन दक्षिण चीन सागर के रास्ते से हिन्द महासागर में प्रवेश कर सकेगा।
- यह कैनाल चीन को हिन्द महासागर में प्रवेश करने के लिये 1200 किमी की दूरी को कम कर देगी।

8. भारत की 2+2 वार्ताएं

वर्तमान में भारत अमेरिका व जापान जैसे देशों के साथ 2+2 वार्ताएं करता है।

	भारत-अमेरिका 2+2 वार्ता		भारत-जापान 2+2 वार्ता		
• आधार	18 दिसम्बर 2019		30 नवम्बर 2019		
• तिथि	वाशिंगटन डीसी (यूएसए)		नई दिल्ली (भारत)		
• स्थान					
• प्रतिभागी देश	रक्षामंत्री	विदेशी मंत्री	देश	रक्षामंत्री	विदेश मंत्री
भारत	राजनाथ सिंह	डॉ. एस. जयशंकर	भारत	राजनाथ सिंह	डॉ. एस. जयशंकर
अमेरिका	माइक पॉम्पियो	डॉ. मार्क टी एस्पर	अमेरिका	कोना तारो	मोतेगी तोशीमिस्त
महत्वपूर्ण तथ्य	<ul style="list-style-type: none"> • भारत और अमेरिका के बीच औद्योगिक सुरक्षा अनुबंध (Industrial Security Annex-ISA) पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत अमेरिकी रक्षा कंपनियां भारत की निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ साझेदारी कर सकेंगी साथ ही भारत अमेरिका से कई अरब डालर के 114 लड़ाकू जेट विमानों को प्राप्त कर सकेगा। • भारत और अमेरिका ने आपसी सैन्य व्यापार, द्विपक्षीय सहयोग, प्रशांत क्षेत्रों में शांति के प्रयास और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई मजबूत करने के प्रति प्रतिबद्धता जतायी। • भारत ने अमेरिका को मार्च 2020 में विशाखापट्टनम में आयोजित बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास “मिलन” में निमंत्रित किया है। 				
• अन्य तथ्य	<ul style="list-style-type: none"> • भारत और अमेरिका के बीच औद्योगिक सुरक्षा अनुबंध (Industrial Security Annex-ISA) पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत अमेरिकी रक्षा कंपनियां भारत की निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ साझेदारी कर सकेंगी साथ ही भारत अमेरिका से कई अरब डालर के 114 लड़ाकू जेट विमानों को प्राप्त कर सकेगा। • भारत और अमेरिका ने आपसी सैन्य व्यापार, द्विपक्षीय सहयोग, प्रशांत क्षेत्रों में शांति के प्रयास और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई मजबूत करने के प्रति प्रतिबद्धता जतायी। • भारत ने अमेरिका को मार्च 2020 में विशाखापट्टनम में आयोजित बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास “मिलन” में निमंत्रित किया है। 				
वर्ष	समझौते -				
2002	General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) नोट: ISA, GSOMIA का हिस्सा है।				
2016	Logestic Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA)				
2018	Communication Compatability & Security Agreement (COMCASA)				
	<ul style="list-style-type: none"> • भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 2018 में पहला 2+2 संवाद नई दिल्ली में हुआ था। 				
	<ul style="list-style-type: none"> • भारत और जापान के मध्य द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। • जापान में प्रथम भारत-जापान संयुक्त लड़ाकू विमान अभ्यास पर सहमति बनी है। • दोनों देशों के मध्य सुरक्षा और रक्षा सहयोग की रणनीति हेतु अक्टूबर 2018 में Acquisition and Cross-Servicing Agreement शुरू किया गया था जिससे होने वाली प्रगति का दोनों देशों ने स्वागत किया 				
	<ul style="list-style-type: none"> • भारत व जापान की वायु सेनाओं ने 2019 के मध्य द्विपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास जिसका नाम शिन्यू मैत्री (Shinyuu Maitri) था, पश्चिम बंगाल में सम्पन्न हुआ। 				

9. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद : भारत

संयुक्त राष्ट्र (UN) की स्थापना:	24 अक्टूबर 1945
उद्देश्य	: विश्व शांति व मानवता की रक्षा।
मुख्यालय	: न्यूयार्क (यूएसए)
भाषाएं	: अंग्रेजी, फ्रांसीसी, चीनी, रूसी, स्पेनिश एवं अरबी
महासचिव	: एंटोनियो गुटेरेस
मुख्य अंग	: संयुक्त राष्ट्र के 5 प्रमुख अंग हैं, जो निम्नवत् हैं- <ol style="list-style-type: none"> 1. महासभा (General Assembly) 2. सुरक्षा परिषद (Security Council) 3. आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (Economic & Social Council) 4. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court) 5. न्यास परिषद सचिवालय (Trusteeship Council)
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक दृष्टि में	: संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली एवं प्रभावशाली है, ऐसा कहने के निम्न आधार हैं- <ul style="list-style-type: none"> • संख्या की दृष्टि से यह महासभा की अपेक्षा एक छोटा समूह है परन्तु सुरक्षा परिषद की शक्तियां, महासभा से अधिक हैं क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र के इसी निकाय को प्राप्त है। • अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की जिम्मेदारी की चलते इसे दुनिया का पुलिसमैन, संयुक्त राष्ट्र का हृदय, संयुक्त राष्ट्र की कुंजी जैसी संज्ञा दी गयी है। • सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव सम्बद्ध राष्ट्रों को मानने होते हैं। • यदि कोई सुरक्षा परिषद के निर्णय की अनदेखी करता है, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शांति भंग होती है, तो सुरक्षा परिषद उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर सकता है। इसमें कूटनीतिक, आर्थिक एवं सैनिक कार्यवाही हो सकती है। • सुरक्षा परिषद के पास यह अधिकार है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति के लिए जल, थल, एवं वायु सेना का उपयोग कर सकती है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र के पास अपनी सेना नहीं है, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा परिषद सदस्य देशों में सेना उपलब्ध कराने को कह सकता है। • संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। • सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में प्रवेश पाने के लिए जब कोई देश महासचिव के पास आवेदन भेजता है तो, महासचिव उस आवेदन पत्र को सुरक्षा परिषद के पास भेजता है तत्पश्चात् सुरक्षा परिषद, महासभा, को अपने निर्णय से अवगत कराती है और फिर महासभा में चुनाव के माध्यम से सदस्य चुने जाते हैं। <p>उपरोक्त आधार पर कहा जा सकता है कि सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र का सबसे अधिक जिम्मेदारी निर्वहन करने वाला अंग है।</p>
सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को प्राप्त वीटो	: सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के लिए वीटो की शक्ति होनी चाहिए, यह प्रस्ताव सर्वप्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दिया था। <ul style="list-style-type: none"> • सुरक्षा परिषद के कार्यों को दो भागों में बाँटा जाता है- (i) साधारण कार्य (ii) असाधारण कार्य। • साधारण विषयों पर निर्णय लेने के लिए 15 में से 9 सदस्यों के वोट पक्ष में होना चाहिए तभी निर्णय लागू होता है। • असाधारण विषयों पर निर्णय लेने के लिए 15 में से 9 सदस्यों जिसमें पाँचों स्थायी सदस्यों की सहमति अनिवार्य है तभी निर्णय लागू होगा। यदि उन 5 स्थायी सदस्यों में से एक भी स्थायी सदस्य प्रस्ताव के विरोध में मतदान करता है तो वह प्रस्ताव रद्द समझा जायेगा। इसे ही स्थायी सदस्यों का वीटो पावर कहा जाता है।
वीटो का उद्देश्य	: • सुरक्षा परिषद के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि परिषद के 5 स्थायी सदस्य सर्वसम्मति से कार्य करें अर्थात् यदि किसी महत्वपूर्ण विषय पर कोई अकेला स्थायी सदस्य भी अगर अन्य चारों स्थायी सदस्यों से असहमत है, तो वह इस विषय पर अपने वीटो का प्रयोग करके उसे पारित होने से रोक सकता है और अन्ततः इसे 5 सदस्यों का निर्णय मान लिया जायेगा।

- वीटो पर विचार** :
- अमेरिका प्रारम्भ से ही वीटो का समर्थक रहा है परन्तु वह इसे सीमित भी रखना चाहता है।
 - रूस का मानना है कि या तो स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार दिया जाए या फिर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना ही न की जाए।
 - अन्ततः स्थायी सदस्यों को सर्वसम्मति से वीटो का अधिकार प्राप्त हो गया। और उनसे अपेक्षा की गई कि वे इसका प्रयोग अत्यन्त नाजुक परिस्थिति में करेंगे।
- वीटो और विवाद** :
- वीटो के विरोध में तर्क-**
- वीटो की व्यवस्था के विरोध का प्रमुख कारण सदस्य राष्ट्रों के **समानता के अधिकार** का हनन करना है।
 - वीटो के चलते संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में अनावश्यक विलम्ब व अड़चनें पैदा होती हैं।
 - वीटो का प्रयोग स्थायी सदस्य एक दूसरे को नीचा दिखाने के निजी हित साधने के लिए कर रहे हैं उदाहरणस्वरूप पिछले एक दशक में चौथी बार अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर साम्यवादी चीन ने जैश आतंकवादी मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित होने से बचाया। वर्ष 2019 में पुलवामा हमले में CRPF के 40 जवानों की आतंकी हमले में हत्या कर दी गयी। भारत ने विश्व समुदाय से हमले के मास्टर माइंड जैश सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने की मांग की जिसके चलते सुरक्षा परिषद में इस आशय का प्रस्ताव लाया गया जिसे ब्रिटेन, अमेरिका व फ्रांस जैसे स्थायी सदस्यों का समर्थन प्राप्त था परन्तु चीन ने अपने पाकिस्तान प्रेम एवं भारत विरोधी विचारधारा के चलते वीटो का प्रयोग कर मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने से बचा लिया।
- वीटो के पक्ष में तर्क-**
- आज संयुक्त राष्ट्र अपनी स्थापना के 7 से अधिक दशक का सफर पूरा कर चुका है, तो इसमें वीटो की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है यदि सोवियत संघ (USSR) के पास वीटो शक्ति न होती तो पश्चिमी देशों का प्रभुत्व पूरे विश्व का इतिहास अपने स्वार्थों के अनुरूप बदल देते। आज वीटो शक्ति प्राप्त स्थायी सदस्य किसी विषय पर सोच-विचार कर उचित निर्णय लेने की क्षमता का अधिकार रखते हैं। यह न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र बल्कि विश्व शान्ति के लिए भी उचित है।
- उपरोक्त तर्कों का मूल्यांकन करने के पश्चात् निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि स्थायी सदस्यों के कंधों पर विश्व शान्ति एवं अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व है, उसे वे समझे और ऐसा कोई कार्य न करे जिससे संयुक्त राष्ट्र की गरिमा को ठेस पहुँचे।
- सुरक्षा परिषद के विस्तार का प्रश्न** :
- सुरक्षा परिषद के विस्तार के पक्ष में तर्क-**
- 75 वर्ष पूर्व हुए द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में बने संयुक्त राष्ट्र को 21वीं सदी की नई चुनौतियों से निपटने के लिए उसमें संरचनात्मक परिवर्तन करना आवश्यक है, नहीं तो इसकी उपयोगिता समाप्त हो जायेगी।
 - संयुक्त राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद पर मित्र राष्ट्रों का कब्जा बना हुआ है। जबकि आज अनेक देश अपनी आर्थिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक दृष्टि से सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के योग्य हैं।
 - सुरक्षा परिषद में समय रहते परिवर्तन नहीं किया गया और अन्य राष्ट्रों द्वारा सुरक्षा परिषद को लोकतान्त्रिक स्वरूप दिये जाने की मांग जो दिन-प्रतिदिन बुलंद होती जा रही है को दबाया गया तो इस स्थिति में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व **महासचिव डेग होमरशोल्ड** का यह कथन सही साबित हो सकता है- “संयुक्त राष्ट्र को राष्ट्रों के संघ (League of Nations) की गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए यदि संयुक्त राष्ट्र को लोकतान्त्रिक स्वरूप प्रदान नहीं किया गया तो दुनिया की इस सर्वोच्च संस्था का भी भविष्य वही होगा जो राष्ट्रों के संघ का हुआ था।”
- उपरोक्त आधार पर यह कहना उचित होगा कि विश्व शांति व मानवता की सुरक्षा जैसे लक्ष्यों को पूरा करने वाली सुरक्षा परिषद को रूढ़ीवादिता त्याग कर खुले हाथों से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाना चाहिए।
- सुरक्षा परिषद के विस्तार के समक्ष चुनौतियां-**
- सुरक्षा परिषद के विस्तार की माँग लम्बे समय से की जा रही है। सुरक्षा परिषद का विस्तार न होने का सबसे बड़ा कारण उसके स्थायी सदस्यों की मानसिकता है। उनका मानना है कि नए सदस्यों के आने से निर्णयक्षमता में अन्य नए सदस्यों का हस्तक्षेप बढ़ेगा साथ ही शक्ति विभाजन उनके मौजूदा वैश्विक साख को प्रभावित कर सकता है अतः वे सुरक्षा परिषद में विस्तार की मांग को टालते आ रहे हैं।

अनुसंधान एवं विकास एकद्विवर्षीय परीक्षा प्रकोष्ठ

सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी करने वाले देश

- : • स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के इच्छुक देशों की सूची लम्बी है। इनमें भारत, ब्राजील, जापान, जर्मनी, इण्डोनेशिया, नाइजीरिया आदि शामिल हैं।
- ब्राजील व नाइजीरिया अपनी-अपनी भौगोलिक स्थिति एवं जनसंख्या के मद्देनजर सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता चाहते हैं साथ ही उनकी दलील है कि उनके महाद्वीपों से कोई भी राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य नहीं है। अतः उन्हें सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए।
- जापान एवं जर्मनी अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति व तकनीकी विकास के बल पर सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता चाहते हैं।
- सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की अपनी दावेदारी पुख्ता करने के लिए भारत, जापान, ब्राजील एवं जर्मनी ने समूह-4 (Group-4) के नाम से एक गुट भी बनाया है, जिसका उद्देश्य स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के मसले पर एक-दूसरे का समर्थन करना व सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को जोर-शोर से उठाते हुए अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने की मुहिम को तेज करना।
- G-4 के स्थायी सदस्यता के दावे का विरोध करने के लिए इटली के नेतृत्व में कॉफी क्लब (Coffee Club) नामक गुट की स्थापना की गई। कॉफी क्लब में शामिल देश हैं पाकिस्तान, मैक्सिको, मिस्र, स्पेन, अर्जेंटीना एवं दक्षिण अफ्रीका आदि। ये समूह सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के विस्तार के स्थान पर अस्थायी सदस्यों की संख्या में विस्तार का समर्थन करते हैं। वास्तव में कॉफी क्लब में शामिल देश व्यक्तिगत हितों के चलते स्थायी सदस्यता के विस्तार का विरोध करते हैं।

भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की प्रबल दावेदारी

- : भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का प्रबल दावेदार है, जिसके मुख्य आधार निम्नवत् हैं-
- भारत की संस्कृति, सभ्यता एवं विदेश नीति वसुधैव कुटुम्बकम् एवं पंचशील सिद्धान्तों पर आधारित है जो संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ध्येय अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से सर्वथा मेल खाते हैं। अतः इस आधार पर भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी को उचित ठहराया जा सकता है।
- विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश होने के साथ-साथ भारत ने सदैव से संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली व आदर्शों में अस्था रखी है, अतः भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी दावेदारी करना बनता है।
- भारत, सुरक्षा परिषद के कई मापदण्डों पर खरा उतरता रहा है, जैसे- संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक योगदान का मामला हो, संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेना में भागीदारी का मामला हो, या अन्तर्राष्ट्रीय जगत में शान्ति स्थापना के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना हो। इन सभी मापदण्डों में भारत ने बढ़-चढ़कर अपना योगदान दिया है।
- आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार उल्लंघन, गरीबी तथा भुखमरी जैसे मोर्चों पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा किये जा रहे प्रयासों में भारत ने बढ़-चढ़ कर भागीदारी की है अतः यह स्थिति भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का स्वाभाविक दावेदार बनाती है।
- भारत जनसंख्या, बड़ी आर्थिक शक्ति, वैश्विक बाजार व स्पेस तकनीक के क्षेत्र में नित नई वैश्विक उपलब्धियाँ प्राप्त कर रहा है, साथ ही अपनी क्षमतानुसार कई देशों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहायता देकर अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन कर रहा है। अतः भारत का यह समर्पण भाव, उसे स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार बनाता है।
- भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी किया है अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि- “ भारत की उम्मीदवारी के तर्क से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। 130 करोड़ की आबादी वाला भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ तो अग्रसर है ही साथ ही उसने संयुक्त राष्ट्र के अभियानों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है।”

भारत की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता

- : • भारत सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कुल 8 बार निर्वाचित हो चुका है जो निम्नवत् हैं-
1. 1950-1951
 2. 1967-1968
 3. 1972-1973
 4. 1977-1978
 5. 1984-1985
 6. 1991-1992
 7. 2011-2012
 8. 2021-2022
- सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है तथा प्रति वर्ष 5 नए सदस्यों

का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून माह में किया जाता है।

- महासभा में 17 जून 2019 को हुए मतदान में भारत को 192 में से 184 मत प्राप्त हुए जबकि निर्वाचन हेतु दो-तिहाई मत (128 मत) की ही आवश्यकता होती है।
- भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपने दो वर्ष के कार्यकाल में 2 बार सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा।
- पाकिस्तान कुल 7 बार अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जा चुका है।
- सर्वाधिक 11 बार अस्थायी सदस्य बनने का श्रेय जापान को प्राप्त है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि- “संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के लिए वैश्विक समुदाय द्वारा दिखाए गए भारी समर्थन के लिए दिल से आभारी हूँ। भारत वैश्विक शान्ति, सुरक्षा, लचीलापन और एकता को बढ़ावा देने के लिए सभी सदस्य देशों के साथ काम करेगा।”
- भारत को मिले इस समर्थन ने नरेन्द्र मोदी के वैश्विक नेतृत्व क्षमता को और अधिक विस्तार दिया है।

10. व्यक्तिकारी राज्य क्षेत्र या पारस्परिक राज्य क्षेत्र व भारत (Reciprocating Territory & India)

व्यक्तिकारी राज्य क्षेत्र या पारस्परिक राज्य क्षेत्र का अर्थ (Meaning of Reciprocating Territory)	रेसीप्रोकेटिंग टैरटरी से आशय उस विदेशी क्षेत्र से है, जिसके वरिष्ठ न्यायालयों (Superior Court) द्वारा दिये गये डिक्री (Decree) को भारत में ठीक उसी तरह लागू या मान्यता मिले जैसा कि उस विदेश क्षेत्र में मिलती है। अर्थात् उस विदेशी क्षेत्र द्वारा दी गयी डिक्री का भारत के किसी जिला न्यायालय (District Court) में मात्र उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि देकर डिक्री को लागू करवाया जा सकता है।
डिक्री का अर्थ (Meaning of Decree)	डिक्री से आशय किसी न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विषयों के मुकदमों पर निर्णय देने से है, डिक्री में शामिल विषय हैं:- <ul style="list-style-type: none"> • पूंजी (Equity) • दिवालियापन (Barkruptcy) • नौवहन विषयक (Admiralty) • विवाह-विच्छेद (Divorce) • परीक्षा (Probation)
रेसीप्रोकेटिंग टैरटरी का भारतीय संविधान में उल्लेख (Reciprocating Territory Mentioned in Indian Constitution)	<p>उल्लेख : The Code of Civil Procedure, 1908 की धारा 44ए</p> <p>प्रावधान : The Code of civil Procedure, 1908 की धारा 44ए के अनुसार केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में अधिसूचना (Notification in the Official Gazette) द्वारा किसी विदेशी क्षेत्र को रेसीप्रोकेटिंग टैरटरी घोषित कर सकता है।</p>
भारत सरकार द्वारा घोषित रेसी प्रोकेटिंग टैरटरी	<p>भारत की रेसीप्रोकेटिंग टैरटरी में शामिल विदेशी क्षेत्र हैं:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • यूके • बांग्लादेश • त्रिनिदाद एवं टोबैगो • हांग कांग • अदन • सिंगापुर • मलेशिया • न्यूजीलैण्ड • फिजी • यूएई (भारत की नवीनतम रेसीप्रोकेटिंग टैरटरी)
यूएई, भारत की नवीनतम रेसीप्रोकेटिंग टैरटरी	<ul style="list-style-type: none"> • वर्ष 1999 में भारत और यूएई के बीच सिविल और कमर्शियल मामलों में सहयोग हेतु समझौता हुआ था। उसी समझौते के एक हिस्से के रूप में भारत ने यूएई को रेसीप्रोकेटिंग टैरटरी के रूप में घोषित किया है। • यूएई को रेसीप्रोकेटिंग टैरटरी घोषित करने से, यूएई में कार्यरत कोई भारतीय जो वहां किसी सिविल मामले में दोषी करार (Convicted) दिया जा चुका है, पर भारत में न्यायिक कार्यवाही संभव हो सकेगी।

- यूएई के निम्नलिखित न्यायालयों को Superior Court की श्रेणी में रखा गया है-

फेडरल कोर्ट

- फेडरल सुप्रीम कोर्ट
- अबूधाबी अमीरात, शरजा, अजमान, उम-एल-कुवैत व फुजेरा
- फास्ट और अपील न्यायालय

सिविल कोर्ट

- अबू धाबी ज्यूडिशियल डिपार्टमेंट
- दुबई कोर्ट
- रस अल खैमाह ज्यूडिशियल डिपार्टमेंट
- अबू-धाबी ग्लोबल मार्केट कोर्ट
- दुबई इंटरनेशनल फाइनेशियल सेन्टर कोर्ट

यूएई एक दृष्टि में

- स्थिति : यूएई, अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है।
- स्पर्श करने वाले देश : साऊदी अरब, ओमान, कतर
- महत्वपूर्ण तथ्य : यूएई के उत्तर में पर्शियन गल्फ, उत्तर-पूर्व में हारमूज स्ट्रेट तथा पूर्व में गल्फ ऑफ ओमान है।
- वर्ष 1971 में यूएई 6 अमीरात का फडरेशन था-
 1. अबू-धाबी (Abu-Dhabi)
 2. दुबई (Dubai)
 3. शारजा (Sharjah)
 4. अजमान (Ajman)
 5. उम-एल-कुवैन (Umm-Al-Quwin)
 6. फुजेरा (Fujairah)
- वर्ष 1972 में एक और अमीरात यूएई में शामिल हुआ, जिसका नाम रए-एल-खैमाह (Ras Al Khaimah) है।
- यूएई खाड़ी देश (Gulf Countries) में शामिल पहला देश है, जिसने इजराइल के साथ डिप्लोमेडिक रिलेशन प्रारम्भ किये हैं।
- यूएई की अर्थव्यवस्था तेल के निर्यात, पर्यटन व मत्स्यन क्षेत्र पर आधारित है।
- गल्फ कन्ट्री उन देशों को कहा जाता है, जिनकी सीमा पर्शियन गल्फ के दक्षिणी भाग को स्पर्श करती है-बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर साउदी अरब, यूएई। इन 7 देशों में इराक को छोड़कर शेष 6 देशों ने Cooperation council की स्थापना वर्ष 1981 में की जो एक पालिटिकल एवं इकॉनॉमिकल एलाइन्स है।

11. प्रमुख अंतराष्ट्रीय आर्थिक संगठन

(Important International Economical Organisation)

नाम	स्थापना	महत्वपूर्ण तथ्य	संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट
विश्व बैंक (World Bank) सदस्य : 189 मुख्यालय: वाशिंगटन डीसी, यूएसए	वर्ष 1944 में अमेरिका के ब्रेटनवुड्स सम्मेलन के दौरान हुई।	<ul style="list-style-type: none"> • विश्व बैंक UN से जुड़ी एक प्रमुख संस्था है, जो 5 संस्थाओं का समूह है, इसीलिये इसे विश्व बैंक का समूह कहा जाता है ये 5 संस्थाएँ हैं- 1. International Bank for Reconstruction & Development (IBRD), 2. International Finance Corporation (IFC), 3. International Development Association (IDA), 4. Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), 5. International Centre For Settlement of Investment Disputes (ICSID). • नोट: IBRD को ही सामान्यतया विश्व बैंक कहा जाता है। • विश्व बैंक सदस्य राष्ट्रों (विशेषकर विकासशील देश) को पुनर्निर्माण और विकास कार्यों हेतु आर्थिक व तकनीकी सहायक उपलब्ध करता है। 	विश्व बैंक द्वारा जारी प्रमुख रिपोर्टः <ul style="list-style-type: none"> • World Development Report. • Global Economic Prospect Report. • World Development Indicators Report. • Remittance Report. • Ease of Doing Bussness Report. • Human Capital Report. • India Development Update Report. • Universal Health Coverage Report. • Logistics Performance Report.

<p>अंतराष्ट्रीय मौद्रिक संस्था (International Monetary Fund-IMF)</p> <p>सदस्य : 189</p> <p>मुख्यालय : वाशिंगटन डीसी यूएसए</p>	<p>वर्ष 1944 में अमेरिका के ब्रेटनवुड्स सम्मेलन में हुई थी।</p> <ul style="list-style-type: none"> यह एक अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखता है साथ ही भुगतान संतुलन में कठिनाई आने पर देशों को ऋण उपलब्ध कराता है। प्रमुख कार्य: <ul style="list-style-type: none"> विश्व में मौद्रिक सहयोग बढ़ाना। वित्तीय स्थिरता लाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद करना। रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। विश्व में गरीबी कम करना। 	<p>आईएमएफ द्वारा जारी रिपोर्ट-</p> <ul style="list-style-type: none"> World Economic outlook Report Global Financial Report Fiscal Monitor Report. Finance & Development Report.
<p>एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank-ADB)</p> <p>सदस्य : 68</p> <p>मुख्यालय : मनीला, फिलीपींस</p>	<p>19 दिसम्बर, 1966</p> <ul style="list-style-type: none"> यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना का उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देना है। एशियन विकास बैंक में शामिल 68 देशों में 49 देश एशिया-प्रशांत क्षेत्र के हैं और शेष 19 देश अन्य क्षेत्रों से हैं। इसकी अध्यक्षता हमेशा जापान को दी जाती है। एडीबी विकासशील देशों की उन परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करता है, जो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सहयोग के माध्यम से आर्थिक विकास की दिशा में कार्य करती है। एडीबी स्वयं को एक सामाजिक संगठन के रूप में भी परिभाषित करता है, जिसके अन्तर्गत वह समावेशी आर्थिक विकास, पर्यावरणीय रूप से आर्थिक विकास और क्षेत्रीय एकीकरण के माध्यम से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में गरीबी कम करने के लिये कार्य करता है। 	<p>एडीबी द्वारा जारी रिपोर्ट:</p> <ul style="list-style-type: none"> Asian Development Outlook Report <p>नोट: इस रिपोर्ट में एशिया के अधिकांश देशों का आर्थिक विश्लेषण और आर्थिक पुर्वानुमान प्रस्तुत किया जाता है।</p>

12. चीन की एक राष्ट्र दो प्रणाली नीति (China's One Nation Two System Policy)

प्रस्तावना	:	वर्ष 1997 में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा हांगकांग को व वर्ष 1999 में पुर्तगाल द्वारा मकाऊ को इस शर्त पर चीन को सौंपा गया था कि आगामी 50 वर्षों तक वहाँ की वर्तमान स्थिति जो पूंजीवाद व लोकतंत्र पर आधारित है, को चीन बनाये रखने की छूट (स्वायत्ता) देगा।
एक राष्ट्र दो प्रणाली नीति का वास्तविक अर्थ	:	चीन को एक राष्ट्र दो प्रणाली नीति के अन्तर्गत हांगकांग व मकाऊ जैसे स्वायत्ता प्राप्त क्षेत्र सौंपे गये थे, जिसका वास्तविक अर्थ है कि चीन केवल विदेशी मामले और रक्षा मामले को छोड़कर इन स्वायत्त क्षेत्रों की राजनीतिक व्यवस्था, मुद्रा, कानून प्रणाली, परिवहन व्यवस्था, मूलभूत अधिकार, पूंजीवादी व लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।
चीन की एक राष्ट्र दो प्रणाली नीति की वर्तमान स्थिति	:	चीन की मौजूदा कम्युनिस्ट सरकार हांगकांग व मकाऊ में व्याप्त लोकतांत्रिक और पूंजीवादी प्रणाली को समाप्त करने की नीति पर कार्य कर रही है, जिसके प्रमुख उदाहरण निम्नवत् हैं:- <ul style="list-style-type: none"> हांगकांग में प्रत्यर्पण विधेयक (Extradition Bill) लागू करने का प्रयास करना।

- हांगकांग में National Security Law लागू करना।
- अक्टूबर, 2018 में चीन ने सबसे लंबा समुद्री मार्ग खोला, जो चीन को हांगकांग व मकाऊ से जोड़ता है। अर्थात् चीन ने इन स्वायत्ता क्षेत्रों तक अपनी पहुंच को आसान बना दिया है।

13. अमेरिका – ईरान संबंध व भारत पर प्रभाव (USA-Iran Relation & its Impact on India)

अमेरिका-ईरान संबंध : अमेरिका और ईरान के मध्य सम्बन्ध तनाव पूर्ण है। ऐसा होने के दो प्रमुख कारण हैं:-

(i) परम्परागत कारण (ii) तात्कालिक कारण

परंपरागत कारण (Traditional Reason)	तात्कालिक कारण (Current Reason)
<ul style="list-style-type: none"> • पश्चिम एशिया में अमेरिकी प्रभाव की वृद्धि से ईरान की साख में कमी आना। • ईरान व सऊदी अरब की प्रतिद्वंद्विता में अमेरिका द्वारा सऊदी अरब का समर्थन करना। • ईरान पर आतंकी संगठनों का समर्थन करने व उन्हें वित्त पोषण करने का आरोप लगता रहता है। • ईरान को गैर कानूनी ढंग से परमाणु हथियार परीक्षण कार्यक्रम का अमेरिका द्वारा विरोध। • अमेरिका द्वारा यहूदी देश इजराइल का समर्थन करना, जबकि ईरान जैसे खाड़ी देशों की इजराइल से प्रतिद्वंद्विता है। 	<ul style="list-style-type: none"> • वर्ष 2015 में P5+1 के साथ ईरान के परमाणु समझौते से अमेरिका का अलग होना। • अमेरिका द्वारा ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध आरोपित करना। • ईराक की राजधानी बगदाद में अमेरिका ने ड्रोन हमले से ईरान की कुर्द फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की। • ईरान ने बदले की कार्यवाही करते हुए बगदाद में अमेरिकी दूतावास-एयरबेस पर मिसाइल से हमला किया।

वर्तमान में दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। इस परिदृश्य में भारत पर पड़ने वाले प्रभावों का स्वरूप बहुआयामी है-

- भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में ईरान एक प्रमुख सहयोगी है। यदि अमेरिका द्वारा ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाता है तो भारत में पेट्रोलियम और गैस की कीमतों में वृद्धि देखी जा सकती है।
- भारत, ईरान में अनेक परियोजनाओं पर निवेश कर रहा है ऐसे में अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की कार्यवाही करने से भारतीय कंपनियां प्रभावित होगी और उन्हें आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी।
- सामरिक दृष्टि (Strategic Vision) से भारत, ईरान को केन्द्र बनाकर मध्य एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। चाबहार में, भारतीय निवेश इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत-ईरान संबंध प्रभावित हो सकते हैं, जिससे भारत का मध्य एशियाई देशों के साथ संबंध स्थापित करने में समस्याएं आ सकती हैं।
- इसके अतिरिक्त ईरान, भारतीय उत्पादों का एक प्रमुख गंतव्य स्थल भी है। यदि ईरान को किया जाने वाला निर्यात दुष्प्रभावित हुआ तो भारत के भुगतान संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

भारत एक संप्रभु राष्ट्र है तथा अपनी विदेश नीति हेतु स्वतंत्र है अतः भारत को बिना किसी दबाव में आए अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ईरान व अमेरिका दोनों से संबंध बनाए रखना चाहिए साथ ही भारत, अमेरिका व ईरान का स्वभाविक मित्र है, ऐसे में भारत दोनों देशों के मध्य शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। सफल मध्यस्थता से भारत की साख में वृद्धि होगी साथ ही मध्य एशिया में शांति होने से संभावित युद्ध के आसार समाप्त हो जायेंगे।

14. बांग्लादेश द्वारा रोहिंग्यायो का प्रथक द्वीप पर स्थानान्तरण

रोहिंग्या की समस्या :

- म्यांमार के रखाइन प्रांत में रोहिंग्या का इतिहास 8वीं शताब्दी से पाया जाता है फिर भी म्यांमार का कानून उनको राष्ट्रीय स्वदेशी अल्पसंख्यकों की श्रेणियों के अंतर्गत मान्यता नहीं देता।
- वर्ष 2017 में म्यांमार द्वारा किये गये सैन्य कार्यवाही के बाद लगभग 1 मिलियन रोहिंग्या, म्यांमार के रखाइन प्रांत से भाग कर बांग्लादेश में शरण ली जिनमें ज्यादातर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग थे।
- म्यानमार से रोहिंग्या लोगों के बहिर्गमन के कारण बांग्लादेश का तटीय शहर काक्स बाजार (Cox's Bazar) शरणार्थी बस्ती के रूप में बदल गया। जिसके कारण काक्स बाजार के जनसंख्या घनत्व में भारी वृद्धि हो गयी। इस स्थिति में बांग्लादेश सरकार आश्रम परियोजना के तहत रोहिंग्या शरणार्थियों को एक निर्जन द्वीप जिसका नाम भासन चार द्वीप (Bhasan Char Island) में स्थानान्तरित करने का फैसला किया।

भासन चार द्वीप एक :

- बंगाल की खाड़ी में मेघना नदी के मुहाने पर गाद के जमा होने से लगभग 20 वर्ष पूर्व भासन चार द्वीप का निर्माण हुआ दृष्टि में था।

- यह द्वीप बाढ़, कटाव और चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है इसलिए बांग्लादेश सरकार ने इन द्वीप के तट पर लगभग तीन मीटर ऊँचे तटबंध का निर्माण किया है।
- भासन चार द्वीप पर चिंता :**
 - यह द्वीप मानव बस्तियों के लिये सुरक्षित नहीं माना जाता इसलिए मानवाधिकार संगठन इस पुनर्वास के विरुद्ध है। साथ ही उनका मानना है कि रोहिंग्या लोगों को विस्थापन के लिए विवश किया गया है। UN ने कहा है कि इस द्वीप पर किसी भी शरणार्थी को भेजे जाने से पहले एक व्यापक तकनीकी सुरक्षा आकलन किया जाना बहुत जरूरी है।
- भारत की स्थिति :**
 - भारत में लगभग 40 हजार से अधिक रोहिंग्या निवास करते हैं। चूंकि भारत शरणार्थियों पर “संयुक्त राष्ट्र अभिसमय” पर हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है, इसलिए शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त द्वारा रोहिंग्याओं को प्रदान की गई शरणार्थी की स्थिति भारत के लिए अनिवार्य नहीं है।
 - भारत ASEAN देशों के साथ मिलकर इस संकट को हल करने के लिए तैयार है परन्तु प्रत्यक्ष रूप से भारत न तो बांग्लादेश से और न ही म्यांमार से इस विषय पर प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का दबाव डाल सकता है।

15. चीन की सलामी-स्लाइसिंग रणनीति (China's Salami-Slicing Tactics)

Salami Slicing Tactics : चीन क्षेत्रीय विस्तार हेतु कई रणनीतियों का प्रयोग करता है जैसे -
का अर्थ

⇒ One Belt One Road

⇒ String of Pearls (Indian Ocean)

⇒ Debt Trap

इन रणनीतियों के अतिरिक्त, चीन की क्षेत्रीय विस्तार की एक प्रमुख नीति Salami-Slicing Tactics भी है जिसके अन्तर्गत चीन अपने पड़ोसी देशों में अपनी भौगोलिक सीमा (स्थल व समुद्र) का विस्तार करने की कोशिश करता है।

Salami-Slicing Tactics : पड़ोसी देशों की भौगोलिक सीमा के आस-पास **रणनीतिक असंतुलन** (Strategic Disturbance) पैदा करना और असंतुलन की आड़ में उस क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत कर, बल पूर्वक अतिक्रमण (Forcefully Encroachment) कर क्षेत्र को अपने में मिलाना

Salami-Slicing Tactics : चीन की सलामी-स्लाइसिंग रणनीति के तीन भाग हैं-

के भाग

(i) यथास्थिति को सूक्ष्मता से बदलना

(ii) जमीन पर तथ्य को बदलना

(iii) परिवर्तित वास्तविकता पर अपना दावा करना

चीन, परिवर्तित वास्तविकता पर अपना दावा तीन तरीकों से करता है जिसे श्री वारफेयर संकल्पना (Three Warfare Concept) कहा जाता है।

Three Warfare Concept : चीन के Three Warfare Concept के 3 प्रमुख घटक निम्नवत् हैं -

(i) मनोवैज्ञानिक अभियान (Psychological Campaign)

(ii) मीडिया वारफेयर (Media Warfare)

(iii) मनगढ़ंत कानूनी तर्क (Fabricated Legal Argument)

- (i) **मनोवैज्ञानिक अभियान :** प्रारम्भ में चीन अपने क्षेत्रीय विस्तार को चुपचाप अंजाम देता था, जिसकी वजह से वैश्विक जगत का ध्यान इसकी ओर आकर्षित नहीं हो पाता था। वर्तमान में चीन सैन्य शक्ति की दृष्टि से काफी मजबूत स्थिति में है इसलिये वह अपने विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर उन्हें डराने व हतोत्साहित करता है।

उदाहरण : चीन ने भारत के पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में अपने विस्तारवादी मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की इसके अतिरिक्त हांगकांग की स्वायत्तता पर प्रहार किया तथा दक्षिण चीन सागर में भी अपने विस्तारवादी कदमों को आगे बढ़ाया

वर्तमान स्थिति : चीन के इन प्रयासों को लेकर अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जापान, भारत, हांगकांग तथा ASEAN देश एक जुट हो गये।

- (ii) **मीडिया वारफेयर :** इसके जरिए चीन स्वयं को एक घायल व पीड़ित देश के रूप में प्रस्तुत कर, वैश्विक जनमत को अपने पक्ष में करने तथा अपने विरोधियों की कमजोरी को प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। इस प्रकार इस रणनीति के जरिए वह दुनिया को यह दिखाने की कोशिश करता है कि साम्राज्यवादी व उपनिवेशवादी शक्तियों द्वारा उसके भू-भाग पर कब्जा किया गया था अतः उसे अपने खोए हुए भू-भाग व अतीत की महानता को पुनः प्राप्त करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। वर्ष 2014 में चीन ने अपनी इस अवधारणा को **चाइनीज ड्रीम** (Chinese

Dream) की संज्ञा दी। इस रणनीति का प्रयोग चीन अपने देश की जनता को अपने पक्ष में करती है।

उदाहरण : तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, मकाऊ, दक्षिण चीन सागर में स्थिति द्वीप

- (iii) **मनगढ़त कानूनी तर्क** : इस रणनीति के जरिए वह अपने मनगढ़त कानूनी तर्कों को न्याय संगत सिद्ध करने की कोशिश करता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा का उल्लंघन करना इस रणनीति का एक अहम हिस्सा है

उदाहरण : डोकलम, 9 डैश लाइन

चीन द्वारा **Three Warfare Concept** : चीन श्री वारफेयर की रणनीति का प्रयोग अपने आधिकारिक मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से करता है।
का प्रयोग

16. अब्राहम समझौता (Abraham Accord)

अब्राहम समझौता:

15 सितम्बर 2020 को दो अरब देशों यथा **संयुक्त अरब अमीरात** और **बहरीन** ने अमेरिका की मध्यस्थता के चलते इजराइल के साथ **राजनयिक सम्बन्धों (Diplomatic Relations)** की स्थापना हेतु अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किया। विगत 26 वर्षों में इजराइल और अरब देशों के मध्य हुआ यह पहला समझौता है।

अब्राहम समझौते के महत्वपूर्ण पक्ष:

- इस समझौते के बाद यूएई और बहरीन, इजराइल में अपने दूतावास स्थापित कर सकेंगे। साथ ही पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में भी आपसी सहयोग को बढ़ावा देंगे।
- इजराइल ने वेस्ट बैंक में अपनी बस्तियाँ बसाने की योजना स्थगित कर दी।
- इस समझौते के माध्यम से पूरे विश्व के मुसलमानों के लिए इजराइल में ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करने और येरूशलम में अल अक्सा मस्जिद (इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल) में प्रार्थना करने का रास्ता खुल गया।
- दशकों से चल रहे इजराइल-अरब शत्रुता समाप्त होने के मार्ग प्रशस्त हुए हैं तथा एक व्यापक **इजराइल-अरब मैत्री का युग** प्रारम्भ होने की पूर्ण संभावनाएं बनी हैं।
- अमेरिकी **राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प** की एक वैश्विक राजनेता के रूप में छवि मजबूत होने की उम्मीद उनके समर्थकों द्वारा की जा रही है।
- इजराइल के **प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू** की अरब राजनीति को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा रही है।
- इस समझौते में फिलिस्तीन समस्या को नजरअंदाज किया गया है, जिससे भविष्य में फिलिस्तीन संकट और गहरा सकता है।
- इस समझौते को इजराइल की जनता ने व्यापक जन समर्थन दिया है जबकि अमेरिका की मध्यस्थता के चलते बहरीन व यूएई का झुकाव अमेरिका की तरफ अधिक है क्योंकि उनके लिए निकट भविष्य में अमेरिका से आधुनिक हथियार खरीदने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह स्थिति इजराइल की अरब क्षेत्र में सैन्य बढ़त को प्रभावित कर सकता है।
- यूएई और बहरीन में इस समझौते को व्यापक जन समर्थन मिलना भी चिन्ता का विषय है क्योंकि बहरीन के शिया बाहुल्य विपक्षी समूह इस समझौते का विरोध कर रहे हैं।
- इस समझौते से क्षेत्रीय शिया और सुन्नी समूहों के मध्य मतभेदों में वृद्धि होने की सम्भावना बनी हुई है। अब्राहम समझौते का भारत पर पड़ने वाले प्रभावों के निम्न रूप में देखा जा सकता है।

भारत पर प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव

- भारत के इजराइल तथा खाड़ी देशों से सम्बन्धों का विस्तार होगा।
- भारत को खाड़ी देशों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा आपूर्ति में स्थिरता प्राप्त होगी।
- अब भारत-इजराइल सामरिक सम्बन्धों में बाधा पहुँचाने वाले तत्व कम होने से एक सुदृढ़ता प्राप्त होगी।
- अरब देशों में भारतीय विदेश नीति का प्रभावी संचालन सम्भव होगा जिससे पाकिस्तान को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी।
- इजराइल व अरब देशों के सम्बन्धों की इस नई शुरुआत से भारत के व्यापार व विदेश नीति को सेन्ट्रल एशिया में मजबूत करने में सहायता मिलेगी।

नकारात्मक प्रभाव

- भारत का फिलिस्तीन के प्रति समर्थन में कमी आ सकती है।
- भारत और ईरान के रिश्तों में दूरी आ सकती है जिसका फायदा चीन उठा सकता है।
- अरब-इजराइल विवाद के बीज वर्ष 1917 की **बैल्फोर घोषणा (Balfour Declaration)** द्वारा ब्रिटिश सरकार ने बो दिये थे। इस घोषणा में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदियों को एक राष्ट्रीय घर देने का वचन दिया था।
- 29 नवम्बर 1947 को Resolution 181 के अन्तर्गत फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्य में विभाजित करने की घोषणा की गई जिसके अन्तर्गत येरूशलम (धार्मिक महत्व का क्षेत्र) को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखा गया। यह विभाजन व्यवस्था को अरब देशों ने अस्वीकार कर दिया।

अरब-इजराइल विवाद

- मई 1948 में जब इजराइल ने स्वतन्त्रता की घोषणा की उसके बाद 6 अरब देशों (मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, ईराक) ने यहूदी देश इजराइल पर आक्रमण कर दिया। इजराइल व इन 6 अरब देशों के मध्य 15 महीने तक युद्ध चलता रहा।
- इस युद्ध को संयुक्त राष्ट्र ने युद्धविराम सन्धि के तहत समाप्त करवाया तथा इजराइल को **तटीय मैदान, गैलिलो** तथा **नेगेव** दिया गया। जॉर्डन को **वेस्ट बैंक** तथा मिस्र को **गाजा पट्टी क्षेत्र** पर अधिकार प्राप्त हुआ। येरूशलम का भी विभाजन हुआ और जॉर्डन को **पूर्वी येरूशलम** एवं इजराइल को **पश्चिमी येरूशलम** पर नियंत्रण प्राप्त हुआ।
- वर्ष 1967 में Six Day War में इजराइल को भू-राजनीतिक बढ़त प्राप्त हुई। इस six day War में इजराइल ने जॉर्डन से - वेस्ट बैंक व पूर्वी येरूशलम प्राप्त किया
सीरिया से - गोलन हाइट्स प्राप्त किया
मिस्र से - गाजापट्टी व सिनाया प्रायद्वीप प्राप्त किया।
- अगस्त-सितम्बर 1967 में सूडान की राजधानी **खार्तूम** में अरब देशों में Six Day War पर बैठक की और परिणामस्वरूप अरब देशों ने तीन नकारात्मक सिद्धान्त (The Three Nocs) का प्रस्ताव पेश किया जिसके अन्तर्गत-
 1. इजराइल के साथ कोई शान्ति नहीं होगी
 2. इजराइल के साथ कोई वार्ता नहीं होगी।
 3. इजराइल को किसी प्रकार की मान्यता नहीं दी जायेगी।

इजराइल का अरब देशों के समझौते एक दृष्टि में

वर्ष	देश के मध्य समझौता	महत्वपूर्ण तथ्य
1969	इजराइल-मिस्र	मिस्र पहला देश बना जिसने इजराइल के साथ शान्ति समझौता किया।
1997	इजराइल-जॉर्डन	जॉर्डन ने तीन नकारात्मक सिद्धान्त से बाहर आकर इजराइल से शान्ति समझौता किया।
23 अक्टूबर 2020	इजराइल-सूडान	अमेरिकी मध्यस्थता के चलते इजराइल और सूडान के मध्य शान्ति समझौते की घोषणा की गयी जिसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका ने 14 दिसम्बर 2020 को सूडान को State Sponsors of Terror List से आधिकारिक रूप से बाहर कर दिया। नोट: वर्ष 1993 से हमस व हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी समूहों को समर्थन देने के आरोप में सूडान को वर्ष 1993 से इस सूची में डाल दिया गया था।
11 दिसम्बर 2020	इजराइल-मोरक्को	अमेरिकी मध्यस्थता के चलते इजराइल और मोरक्को के मध्य शान्ति समझौते की घोषणा की गयी है।

17. क्वाड विशेष

- उद्भव :** : क्वाड की अवधारणा पर विचार-विमर्श लगभग डेढ़ दशक पहले शुरू हुआ परन्तु क्वाड की जरूरत वर्ष 2004 की सुनामी ने महसूस करवायी तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए अमेरिका, भारत, जापान और अस्ट्रेलिया ने नए सहयोग संगठन पर विचार विमर्श शुरू किया। उस समय इसके गठन में अहम भूमिका जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने की थी।
- सदस्य देश:** : 4 (अमेरिका, जापान, भारत व आस्ट्रेलिया)
- सदस्य देशों:** : क्वाड सदस्यों की सक्रियता के तात्कालिक कारण निम्नवत हैं:-
- की सक्रियता**
- **अमेरिका की सक्रियता के कारण :**
 - चीन और अमेरिका के मध्य व्यापार युद्ध की स्थिति का होना।
 - अमेरिका द्वारा चीन को कोरोना महामारी का जिम्मेदार मानना।
 - **जापान की सक्रियता के कारण :**
 - जापान और चीन का पुराना विवाद है।
 - दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियाँ जापान के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं।
 - **भारत की सक्रियता के कारण :**
 - चीन ने भारत के पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया है तथा भारत के भू क्षेत्र में घुसपैठ की घटनाएँ तेज की हैं।

- हिन्द महासागर में चीन के विस्तारवादी कदम।
- नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में चीन के बढ़ते आर्थिक विस्तार से भारत की सम्प्रभुता को खतरा है।

- **आस्ट्रेलिया की सक्रियता के कारण:** • चीन व आस्ट्रेलिया के मध्य व्यापार व सुरक्षा के क्षेत्र में विवाद है।

क्वाड के संदर्भ : क्वाड के सदस्य देशों के हित चीन से टकराने के कारण प्रमुख एशियाई देशों ने इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए रणनीति बनायी शुरू कर दी है। कई एशियाई देश क्वाड की सक्रियता से इसलिए खुश हैं क्योंकि वे स्वयं इस स्थिति में नहीं हैं कि चीन का खुलकर विरोध कर सकें। परन्तु क्वाड के माध्यम से इस स्थिति में अवश्य आ जायेंगे जिससे वे चीन से भू-राजनैतिक लाभ उठा सकते हैं जैसे-

- अन्य देशों की भूमिका**
- चीन के बेल्ट एण्ड रोड पहल में शामिल एशियाई देश चीन को क्वाड का भय दिखाकर लाभ उठाने की कोशिश करेंगे।
 - आसियान समूह के कुछ देश जैसे थाईलैण्ड, लाओस और वियतनाम का मेकांग नदी के जल को लेकर विवाद है।
 - दक्षिण चीन सागर में चीन लगातार वियतनाम को धमका रहा है।

इन देशों को अब लग रहा है कि क्वाड की सक्रियता के कारण उनका महत्व बढ़ेगा और चीन से वे बेहतर तरीके से बराबरी के स्तर पर बातचीत करने की स्थिति में आ सकेंगे।


क्वाड की उपयोगिता : एशिया में अमेरिका के अपने हित हैं इन्हें साधने के लिए जापान और भारत के साथ मजबूत गठजोड़ अमेरिका की प्राथमिकता है। चूँकि दोनों देशों के चीन से पुराने विवाद हैं इसलिए अमेरिका को यह गठजोड़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। हालाँकि चीन के विस्तारवादी अभियान को रोकने के लिए कुछ और एशियाई लोकतांत्रिक देशों को क्वाड में जोड़ना जरूरी है। अर्थात् अमेरिका को ताइवान और दक्षिण कोरिया को साथ लेना होगा। ताइवान और दक्षिण कोरिया का भी चीन के साथ विवाद है लेकिन यहाँ समस्या यह है कि क्वाड देशों का ताइवान के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध नहीं है वहीं दक्षिण कोरिया और जापान के बीच पुराने मतभेद हैं।

क्वाड बनाम भारत: क्वाड में सक्रिय और अग्रणी भूमिका के चलते भारत पर अमेरिका के गुट में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। क्वाड को लेकर रूस और ईरान जैसे देश संवेदनशील हैं। ईरान और अमेरिका के बीच सम्बन्ध अपने सबसे खराब स्थिति में हैं। तो वहीं रूस एशियाई भू-राजनीति में अमेरिका का घोर विरोधी है। रूस को यह भी चिन्ता है कि क्वाड और मालाबार सैन्य अभ्यास भविष्य में उसे भारत के हथियार बाजार में नुकसान पहुँचा सकता है हालाँकि भारत ने अमेरिका के विरोध के बावजूद रूस से S-400 और फ्रांस से राफेल की खरीद की है। चूँकि अमेरिका को पता है कि आने वाले समय में भारतीय सेना को सैन्य उपकरणों और हथियारों की जरूरत में बढ़ोत्तरी होगी इसलिए अमेरिका की नजर भारत की रक्षा सम्बन्धी खरीद पर है। ऐसे में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्वाड में रहते हुए रूस के साथ संतुलन बनाये रखने की है।

अन्य: क्वाड सदस्य देश अरब सागर में सैन्य अभ्यास में भाग लेने की तैयारी में है। अतः क्वाड को एक सैन्य संधि के रूप में देखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। टोक्यो में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक और उसके बाद मालाबार सैन्य अभ्यास में आस्ट्रेलिया के शामिल होने की खबर से चीन की घेराबंदी करना आसान हो जायेगा।

7. संयुक्त राष्ट्र के SDGs का लक्ष्य : जीरो हंगर

सूचकांक	जारी कर्ता	रैंक	महत्वपूर्ण तथ्य
भोजन बर्बादी सूचकांक 2020	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम	देश	वैश्विक : भोजन की बर्बादी
		देश	• वर्ष 2019 में दुनियाभर में कुल 93 करोड़ 10 लाख टन खाना बर्बाद हुआ।
		अफगानिस्तान	82 कि.ग्रा.
		पाकिस्तान	74 कि.ग्रा.
		श्रीलंका	76 कि.ग्रा.
		मालदीव	71 कि.ग्रा.
		बांग्लादेश	65 कि.ग्रा.
		भारत	50 कि.ग्रा.
		नेपाल व भूटान	19 कि.ग्रा.
		वैश्विक औसत	12 कि.ग्रा.



- वैश्विक खाद्य उत्पादन का करीब 17% हिस्सा उपभोग के बजाय बर्बाद होता है।

भारत में भोजन बर्बादी की स्थिति:

- कृषि मंत्रालय के अनुसार भारत में करीबन 50 हजार करोड़ रुपये का अन्न प्रति वर्ष बर्बाद होता है। इतने में अनाज बिहार जैसे राज्य की आबादी 1 वर्ष तक भोजन कर सकती है और जितना भोजन हम प्रति वर्ष बर्बाद करते हैं, उतना भोजन इंग्लैण्ड में प्रतिवर्ष खपत होता है।

- भारत दूसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश होने के बावजूद वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में 94वें स्थान पर था।
- देश में भोजन की बर्बादी रोकने के संबंध में कोई कानून नहीं है और न ही इसे रोकने को लेकर नागरिकों में पर्याप्त सजगता है।
- भोजन बर्बाद करने की प्रवृत्ति सामाजिक अपसंस्कृति का रूप ले चुकी है। भोजन की बर्बादी सामाजिक और नैतिक अपराध है।

भोजन की बर्बादी से उत्पन्न चुनौतियाँ:

- वर्ष 2030 तक Zero Hunger के SDGs लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई होगी।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया में प्रति 9 व्यक्ति में एक व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में भोजन और जरूरी पोषक तत्वों से वंचित है। इस स्थिति में अनाज की बर्बादी करना एक दुःखद स्थिति है।
- आंकड़ों के अनुसार-पूरी दुनिया में एड्स, मलेरिया और टीबी जैसी बीमारियों से जितने लोग नहीं मरते, उससे कहीं अधिक लोग भूख से मर जाते हैं।
- बढ़ती जनसंख्या, घटती कृषि उत्पादकता व उत्पादन और अन्न की बर्बादी, दुनियाभर में “भूखजनित समस्याओं” का प्रमुख कारण है।
- अनाज की बर्बादी केवल अनाज की बर्बादी नहीं बल्कि उसे उत्पादित करने में प्रयुक्त हुई ऊर्जा, कार्बन, जल और पोषक तत्वों की भी बर्बादी होती है। अनाज उत्पादन में बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, सूखाग्रस्त इलाकों में जहाँ वर्षा जल दुर्लभ होता है, वहाँ कृषि के लिए कितने मुश्किलों से पानी जुटाया जाता है ऐसे में अन्न की बर्बादी भूमि जल स्रोतों पर दबाव को बढ़ाने का कार्य कर रही हैं।

अन्न की बर्बादी को रोकने हेतु वैश्विक प्रयास:

- आस्ट्रेलिया सरकार ने भोजन की बर्बादी रोकने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए निवेश को बढ़ाया है।
- नार्वे की सरकार ने वर्ष 2030 तक भोजन की बर्बादी को आध 1 घटाने का निर्णय लिया है।
- चीन ने भोजन की बर्बादी पर अंकुश लगाने के लिए “ऑपरेशन इम्पटी प्लेट नीति” लागू की है। जिसके अन्तर्गत थाली में खाना छोड़ने वाले लोगों और रेस्टोरेंट पर जुर्माना लगाये जाने की प्रावधान किया गया है।
- वर्ष 2016 में फ्रांस दुनिया का पहला देश बना जिसने सुपर मार्केट को, “बिना बिके भोजन” को दान करने पर जोर दिया।

अन्य की बर्बादी को रोकने में भारत की पहले:

- कोपनहेगन, लंदन, स्टोकहोम, आकलैण्ड और मिलान जैसे बड़े शहरों में अतिरिक्त भोज्य पदार्थों को अलग से संकलन कर उन्हें जरूरतमंदों के बीच वितरित कराने की व्यवस्था की गयी है।
- भारत में भी कई संस्थाओं ने आगे आकर “रोटी बैंक” की शुरुआत की है। यह बैंक जरूरतमंदों के बीच भोजन बांटने का काम करता है।
- भारत में अलीगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने अनोखी पहल की है, जिसमें होटल व रेस्तराओं में खाने की प्लेट में बिल्कुल भी खाना न छोड़ने वालों के बिल पर 5% की छूट दी

जा रही है। वहीं तेलंगाना के एक होटल ने प्लेट में खाना छोड़ने वालों से 50 रुपये जुर्माना लगाने की शुरुआत की है।

निष्कर्ष: भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए वैश्विक व राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किये जा रहे हैं वह सराहनीय है, परन्तु पर्याप्त नहीं। अतः नागरिकों में सामाजिक चेतना जागृत करने व भोजन की बर्बादी की आदत में बदलाव लाकर इस बुराई से मुक्ति अवश्य पायी जा सकती है।

18. प्रवासी भारतीय का महत्व

- **प्रवासियों की श्रेणी:** विदेशों में रहने वाले भारतीय व्यक्तियों के तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है:-

1. Non-Resident Indians (NRIs)	2. Person of Indian Origin (PIOs)	3. Overseas Citizen of Indian (OCIs)
श्रेणी	विशेषता	उदाहरण
1. NRIs	<ul style="list-style-type: none"> • उन प्रवासी भारतीय को NRIs कहा जाता है, जो सामान्य रूप से (183 दिन) भारत के बाहर रह रहे हो और वे भारतीय पासपोर्ट धारक हो। • वे भारत में होने वाले चुनावों में वोट देने का अधिकार रखते हैं। • भारत में उनके द्वारा अर्जित आय पर टैक्स देना होता है। 	भारतीय दूतावास में कार्यरत भारतीय, व्यापार, जॉब व शिक्षा के उद्देश्य से विदेशों में निवासित भारतीय जैसी लक्ष्मी निवस मित्तल
2. PIOs	<ul style="list-style-type: none"> • ये वे व्यक्ति हैं, जिनके पूर्वज में से कोई एक भारतीय नागरिक रहा हो और वर्तमान में वह दूसरे देश की नागरिकता व पासपोर्ट धारण किये हो। 	कमला हैरिस, सुनीता विलियम्स
3. OCI	<ul style="list-style-type: none"> • भारत सरकार ने दोहरी नागरिकता की बढ़ती हुई मांग के कारण ऐसे भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को OCI कार्ड की सुविधा दी है, जिससे वे अनिश्चित काल के लिए भारत में रहने और काम करने के लिए अधिकृत हो सकेंगे। OCI कार्ड उन भारतीय मूल के नागरिकों को दिया जायेगा जिनके माता-पिता, दादा-दादी व परदादा-परदादी में से कोई भारतीय नागरिक रहा है। या किसी भारतीय नागरिक के साथ विवाहित रहा हो। OCI कार्ड धारक अपने जीवन अपने सम्पूर्ण काल में अनगिनत बार भारत आ सकते हैं। 	

- प्रवासी भारतीय आंकड़ों में :**
- लोकसभा में विदेश मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत हाल के आंकड़ों के अनुसार विदेशों में 1.36 करोड़ भारतीय नागरिक है।
 - जिन देशों में सर्वाधिक भारतीय रहते हैं- 1. UAE, 2. Saudi Arabia, 3. USA, 4. Kuwait, 5. Oman.
 - खाड़ी देशों में सर्वाधिक भारतीयों के जाने का प्रमुख कारण कुशल व अर्द्ध कुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों की मांग का होना है।
 - भारतीयों के अन्य देशों में प्रवासन के तीन मुख्य कारण हैं:- 1. शिक्षा, 2. रोजगार, 3. व्यवसाय
 - विश्व बैंक के 2020 के माइग्रेशन एवं डेवलपमेंट ब्रीफ में प्रकाशित नवीनतम अनुमान के अनुसार सर्वाधिक Remittance प्राप्त करता देश हैं:- 1. India, 2. China, 3. Mexico, 4. Philipence, 5. Egypt

प्रवासी भारतीय का महत्व :
भारत व वैश्विक सन्दर्भ में

- **आर्थिक महत्व:** ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत, विदेशों में रहने वाले इन भारतीय से लगभग 78.6 बिलियन डॉलर का Remittance प्राप्त करता है। कोरोना काल में भारतीय Remittance में 9% की कमी का अनुमान है, बावजूद इसके भारत सर्वाधिक Remittance प्राप्तकर्ता देशों की सूची में प्रथम स्थान बनाये हुए है।
- **साफ्ट पावर के रूप में महत्व:** भारतीय मूल के कई व्यक्ति विभिन्न देशों में बेहद अच्छे और अहम पदों पर हैं, जो भारत की साफ्ट पावर पालिसी में बहुत सहायक है। उदाहरण के रूप में:-

व्यक्ति	देश
1. प्रविंद जगन्नाथ	प्रधामंत्री, मॉरिशस
2. कमला हैरिस	उपराष्ट्रपति, अमेरिका
3. चंद्रिका प्रसाद संतोषी	राष्ट्रपति, सूरीनाम
4. प्रियंका राधाकृष्णन	कैबिनेट सदस्य, न्यूजीलैण्ड
5. प्रीतम सिंह	नेता प्रतिपक्ष, सिंगापुर
6. वैवेल रामकलावन	राष्ट्रपति, सेशेल्स

इसके अतिरिक्त यूरोपीय देशों में विशेषकर ब्रिटेन व फ्रांस में भारतीय मूल के व्यक्ति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त कई मल्टीनेशनल कम्पनियों व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारतीय मूल के लोगों का योगदान है। उदाहरणार्थ-

व्यक्ति मल्टीनेशनल कम्पनियाँ

1. सुंदर पिचई CEO, गूगल
 2. राजा चारी (भारतीय मूल के अमेरिकी) NASA ने अन्तर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए स्पेस एक्स की तीसरी उड़ान के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है, उनमें से एक है।
- **वैश्विक जीडीपी में सकारात्मक योगदान:** वैश्विक जीडीपी में सकारात्मक योगदान देने में भारतीय की भागीदारी काफी अहम हो जाती है, क्योंकि भारत के सेवा क्षेत्र के **स्किल्ड ब्रेन** विश्व के कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों का योगदान लगातार बढ़ रहा है चाहे कोविड वैक्सीन के निर्माण कार्य हो, सस्ते व अनिवार्य वेंटिलेटर का निर्माण हो, चिकित्सा व स्पेस वैज्ञानिक हो। इसे भारत के लिए एक '**ब्रेन ट्रस्ट**' के रूप में देखा जा सकता है।
 - **भारतीय संस्कृति व कला के प्रसार में योगदान:** प्रवासी भारतीय जिन देशों के नागरिक हैं, वहाँ भारतीय संस्कृति व कला के प्रसार में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जैसे- भारतीय त्योहारों विशेषकर होली, दिपावली, बैसाखी, करवाचौथ का बड़े धूम-धाम से मनाया जाना, भारतीय संगीत, साहित्य व योग का विदेशी जन मानस में बढ़ती स्वीकार्यता, भारतीय खान-पान, परिधान का बढ़ता आकर्षण आदि।

प्रवासी भारतीयों के समक्ष :
चुनौतियाँ

- 21वीं सदी वाले विश्व में आज भी कई ऐसे देश हैं, जहाँ क्षेत्रीय व नस्लीय भेदभाव मौजूद है, जिसका प्रवासी भारतीयों को भी सामना करना पड़ रहा है, जैसे-यूरोपीय तथा अमेरिकी देशों में भारतीयों के बच्चों के साथ स्कूल में भेदभाव की घटनाएं देखी गयी हैं। इसके अतिरिक्त कई बार आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैण्ड में रहने वाले भारतीयों को **हेट क्राइम** की घटनाओं का सामना करना पड़ता है।
- दोहरी नागरिकता का मुद्दा भी प्रवासी भारतीयों के लिए अहम मुद्दा है क्योंकि वे जिस देश में पैदा हुए हैं वहाँ की नागरिकता के साथ भारतीय नागरिकता को भी प्राप्त करना है।
- वर्तमान में कोविड-19 के चलते प्रवासी भारतीयों के सामने रोजगार का गंभीर संकट उत्पन्न हुआ है।
- भारत सरकार के पास अभी तक भारतीय प्रवासियों के लिए कोई खास निर्वासन नीति नहीं है, जो उनके लिए चिंता का विषय है।
- अमेरिका, आस्ट्रेलिया जैसे देश लगातार अपनी वीजा नीति को सख्त बनार रहे हैं, जिससे प्रवासी भारतीयों के लिए रोजगार व अजीविकी की समस्या गंभीर हो रही है, इस स्थिति उबरने के लिए भी भारत सरकार के पास कोई खास रणनीति नहीं है।
- वैश्विक व राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले परिवर्तनों से प्रवासी भारतीय प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य

अनुसंधान एवं विकास एकद्विवसीय परीक्षा प्रकोष्ठ

ही प्रभावित होते हैं जैसे-ब्रेकिजट, ईरान-अमेरिका तनाव, मध्य-पूर्व एशियाई देशों में राजनैतिक अराजकता भारत में एनआरसी, सीएए आदि।

प्रवासियों के लिए	वर्ष	उठाये गये कदम
भारत सरकार द्वारा उठाये गये कदम	1984-1989	प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में भारतीय डायस्पोरा को भारत में इनवाइट कर पहली बार उन्हें एक हितधारक के रूप में देखा गया।
	1998-2004	प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में डायस्पोरा के महत्व को उजागर करते हुए उनके लिये एक अलग से मंत्रालय का गठन किया गया।
	2003	भारत सरकार द्वारा 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाना प्रारम्भ किया, जिसमें निम्न पहले भी शामिल है जैसे-भारत को जानिये विवज काम्प्टीशन का आयोजन। जिसका उद्देश्य विदेश में रह रहे भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों का भारत से जुड़ाव महसूस करवाना है। भारत सरकार ने दुनिया भर में भारत की स्थिति को मजबूत करने, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाले भारतीय प्रवासियों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करने की योजना प्रारम्भ की है वर्तमान में लगभग 60 देशों के 240 भारतीय प्रवासियों को यह सम्मान दिया जा चुका है। भारत सरकार, प्रवासी बचचों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम चला रही है, जो उन्हें भारत में रहकर विद्या अध्ययन में सहायता प्रदान करता है।
	2015	डायस्पोरा के विषय में जानकारी इकट्ठा करने के उद्देश्य से e-Migrate Application System लॉच किया जो मंत्रालय को डायस्पोरा की सभी जानकारी रखने में सहायता करता है।
	2020	कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार ने विदेशों में फंसे लोगों के लिये बन्दे भारत सहायता कार्यक्रम चलाया और लगभग 45 लाख भारतीयों को मदद पहुंचाई।
	2 से 31 अक्टूबर 2020	Vaishwik Bharatiya Vaigyanik (VAI BHAV) Summit का वर्चुअल आयोजन भारत सरकार ने किया जिसका उद्देश्य उभरती चुनौतियों के समाधान के लिये विभिन्न देशों के भारतीय शोधकर्ताओं की विशेषज्ञता और ज्ञान का लाभ उठाने के लिए व्यापक रोडमैप को सामने लाना व विभिन्न देशों में रह रहे भारतीय वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को आपस में मेल जोल बढ़ाने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना।
	अन्य पहलें	<ul style="list-style-type: none"> भारत सरकार ने प्रवासियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना और प्रवासी भारतीय बीमा योजना की शुरुआत की जो उन्हें बीमा सुविधा प्रदान करती है। भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भारतीय प्रवासियों से अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल की शुरुआत की है।

आगे की राह :

- भारत सरकार को भारतीय प्रवासियों के आवागमन की सुविधा को अधिक सुलभ और आसान बनाना चाहिए।
- भारत सरकार के प्रवासी भारतीयों के लिए वोटिंग प्रक्रिया को और अधिक सहज बनाने की आवश्यकता है।
- मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें जरूरी है कि भारत सरकार अपने ब्रेन ट्रस्ट यानी प्रवासी भारतीयों का सहयोग ले और उन्हें यह महसूस करवाए कि भारत, जो एक बड़ी शक्ति बनने की राह पर अग्रसर है, उन्हें अपना अभिन्न हिस्सा मानता है।
- आत्मनिर्भर भारत जिसमें Make for World & Vocal for Local को प्रोत्साहित किया जा रहा है, में प्रवासी भारतीय महत्वपूर्ण योगदान उपभोक्ता के रूप में और निवेशक के रूप में कर सकते हैं।
- भारत सरकार ने Product Linked Incentive Scheme के जरिये प्रवासी भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिये प्रोत्साहित कर रही है, जिससे भारत आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र बनने में उनकी भूमिका का सुनिश्चित कर सके।
- भारत सरकार को इंडियन डायस्पोरा के लिए अच्छी शैक्षिक व स्वास्थ्य के क्षेत्र में जुड़ी नीति लाने की भी आवश्यकता है ताकि वे भारत से अपने जुड़ाव को तीव्र कर सके।

19. म्यांमार में तख्ता पलट

विश्व मानचित्र में म्यांमार की स्थिति :

- यह दक्षिण-पूर्व एशिया में अवस्थित है।
- यह थाईलैण्ड, लाओस, बांग्लादेश, चीन और भारत से अपनी सीमा साझा करता है।
- इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में अण्डमान सागर है।



म्यांमार का भूगोल :

- चीन व भारत के साथ सर्वाधिक लम्बी सीमा को साझा करता है।
- भारत के North East के राज्य-अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर व मिजोरम, म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं।

Land Area : 676578 वर्ग किमी.

Coastline : 1,930 किमी.

- Highest Point : Hkakabo Razi (North पर स्थित)

- एशिया के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले देश : 1. रूस, 2. चीन, 3. भारत, 4. कजाकिस्तान, 5. सऊदी अरब, 6. इरान, 7. मंगोलिया, 8. इण्डोनेशिया, 9. पाकिस्तान, 10. टर्की, 11. म्यांमार

- राजधानी : Nay Pyi Taw यह राजधानी एक Green field Project के रूप में वर्ष 2002 में बनानी शुरू की गयी और वर्ष 2012 में पूरी की गयी।

नोट: 4 जनवरी, 1948 से 6 नवम्बर, 2005 तक यंगून, म्यांमार की राजधानी रही उसके बाद वर्ष 2005 में Nay Pyi Taw को म्यांमार की राजधानी घोषित कर दिया गया है।

अनुसंधान एवं विकास एकदिवसीय परीक्षा प्रकोष्ठ

- आर्थिक निर्भरता : कृषि पर निर्भरता
- मुख्य फसलें : चावल, फलियाँ, तिल, मूंगफली, गन्ना, हार्डवुड, मछली, मछली उत्पाद।
- उद्योग : तांबा, टिन, टंगस्टन, लोहा, सीमेंट, निर्माण सामग्री, दवाइयाँ, उर्वरक, तेल और प्राकृतिक गैस, गारमेन्ट्स, जेड और रत्न कृषि प्रसंस्करण, लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद।
- नदी : इरावदी नदी, चिनविन्द नदी
- मुद्रा : Myanmar Kyat
- जनसंख्या : 54 मिलियन (5.4 करोड़)
- भाषा : यहाँ की अधिकांश जनसंख्या बर्मी भाषा बोलती है।
- धर्म : बहु संख्यक आबादी बौद्ध धर्म की अनुयायी है।
- जातीय समूह : देश में कई जातीय समूह भी हैं, जिनमें रोहिग्या मुसलमान भी शामिल हैं, लेकिन म्यांमार के संविधान में उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त नहीं है।

म्यांमार की राजनैतिक

घटनाक्रम

वर्ष

1824 से 1948
4 जनवरी, 1948

स्थिति

ब्रिटिश कालोनी
ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की

नोट: कभी भी Commonwealth Nations का हिस्सा नहीं रहा।

1962

सेना द्वारा तख्तापलट

1962-2011

म्यांमार को सशस्त्र बलों द्वारा शासित किया गया।

2008

सेना द्वारा म्यांमार का संविधान तैयार किया गया।

नोट: इस संविधान के अनुसार म्यांमार की संसद में सेना के पास कुल सीटों का 25% हिस्सा है।

2011

नई सरकार के साथ लोकतांत्रिक शासन की वापसी हुई परन्तु दूसरी बार सेना ने तख्ता पलट किया।

2015

देश का पहला स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुआ, जिसमें **आंग सान सू** की के National League for Democracy की जीत हुई और इसमें कई दलों ने हिस्सा लिया था। उम्मीद की गयी कि म्यांमार लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।

2021

जब नव निर्वाचित संसद का पहला सत्र आयोजित किया जाना था तभी सेना द्वारा संसदीय चुनावों में भारी धोखाधड़ी का हवाला देते हुए 1 फरवरी, 2021 को म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार का तख्तापलट कर दिया गया और सेना ने सत्ता प्राप्त कर ली साथ ही देश में एक वर्ष की अवधि के लिए आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी गयी तथा स्टेट काउन्सिलर (राष्ट्र प्रमुख) आंग सान सू की को हिरासत में लेकर उन्हें उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया।

तख्तापलट के कारण

प्रमुख कारण

: आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी द्वारा संवैधानिक सुधार की योजना को राजनीति और शासन में सैन्य भूमिका को कम करने के रूप में देखा जा रहा था, इसमें सेना को यह आभास हो गया कि सीमित लोकतांत्रिक प्रयोग से भी आंग सान सू की लोकप्रियता में वृद्धि के साथ

		<p>सैन्य हितों पर भारी खतरा मण्डरा रहा है।</p> <p>अन्य कारण : वर्ष 2020 में हुए चुनाव में NLD को 80% वोट मिले। ये वोट सरकार पर रोहिंग्यां मुसलमानों के नरसंहार के लगने वाले आरोपी के बावजूद मिले। अतः सेना समर्थित विपक्षी पार्टियों ने आन सान सू पर चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाया।</p>
<p>तख्तापलट का भारत पर प्रभाव</p>		<p>म्यांमार में तख्ता पलट का भारत पर प्रभाव निम्न रूप से देखा जा सकता है:-</p>
	<p>सामाजिक प्रभाव</p>	<p>: • भारत, म्यांमार के साथ 1640 किमी. की सीमा साझा करता है। इस सीमा पर कई ऐसे कबाइली समूह हैं, जो अलगाववादी है। ये म्यांमार की सरकार और भारत सरकार के खिलाफ रहते हैं। उत्तर-पूर्व के कई अलगाववादी और उग्रवादी संगठन म्यांमार की जमीन से ही भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित करते हैं। म्यांमार में तख्तापलट के कारण वहां की सेना अपने आंतरिक कार्यों में व्यस्त रहेगी। इस स्थिति का लाभ उठाकर अलगाववादी और उग्रवादी संगठन सक्रिय हो कर भारत की शांति व सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। अतः भारत को उत्तर-पूर्व सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखने के लिए म्यांमार के समर्थन और उसके साथ समन्वय करने की आवश्यकता है।</p>
	<p>आर्थिक प्रभाव</p>	<p>: • भारत ने म्यांमार के साथ कई अवसंरचना और विकास सम्बन्धी परियोजनाओं की शुरुआत की है जैसे-</p> <p>• भारत द्वारा त्रिपक्षीय राजमार्ग (भारत-म्यांमार-थाईलैण्ड) को विकसित करने में आर्थिक सहायता दी गयी है।</p> <p>• भारत, म्यांमार में विकसित की जा रही कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट नामक परियोजना के विकास में सहायता कर रहा है यह कलादान परियोजना कोलकाता को म्यांमार के सित्वे बन्दरगाह से जोड़ेगी और फिर म्यांमार की कलादान नदी के जलमार्ग से होते हुए हाईवे का निर्माण होगा, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा तक जायेगा।</p> <p>• भारत सित्वे बंदरगाह पर एक SEZ निर्माण की योजना पर कार्य कर रहा है।</p> <p>• भारत ने म्यांमार में 1.2 बिलियन डालर का निवेश किया है, जो स्पष्ट करता है कि दक्षिण-पूर्व एशिया में म्यांमार भारत के लिए कितना महत्व रखता है।</p>
<p>म्यांमार में तख्ता पलट पर वैश्विक प्रतिक्रिया</p>	<p>जी-7 की प्रतिक्रिया : • जी-7 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर म्यांमार की सेना को तुरन्त आपातकाल खत्म करने को कहा है तथा लोकतंत्र की बहाली की अपील की है।</p> <p>नोट: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी यूएसए, यूके, इटली, जापान</p> <p>ASEAN की प्रक्रिया : • ASEAN देशों की अध्यक्षता कर रहे बुर्नेई ने म्यांमार के सभी पक्षों के बीच संवाद और सामंजस्य का आव्हान किया है तथा पुनः सामान्य स्थिति बहाल करने का आग्रह किया है।</p> <p>नोट: म्यांमार, थाईलैण्ड, कम्बोडिया, लाओस, वियतनाम मलेशिया, सिंगापुर, बुर्नेई, इण्डोनेशिया और फिलीपीन्स</p>	

- अमेरिका की प्रतिक्रिया : • नव-निर्वाचित राष्ट्रपति जो-बाइडेन ने म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार पर प्रतिबन्धों को फिर से लागू करने की धमकी दी है और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मामले पर एकजुटता की मांग की है।
- चीन की प्रतिक्रिया : • म्यांमार मामले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अहम बैठक हुई लेकिन इस आपातकालीन बैठक में 15 सदस्यों वाली काउन्सिल को चीन की सहमति हासिल नहीं हो पाई चीन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों में से एक है, जिसके पास वीटो का अधिकार है। चीन का कहना है कि तख्तापलट के बाद यदि म्यांमार पर पाबन्दिया लगायी गई या अन्तर्राष्ट्रीय दबाव बनाया गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। म्यांमार को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के दबाव से बचाने के लिए चीन ने वीटो का प्रयोग किया।
- नोट: चीन पहले भी म्यांमार को बचाने की कोशिश करता रहा है। करता रहा है क्योंकि चीन म्यांमार को अपना मित्र देश मानता है और साथ ही म्यांमार में भारी भरकम निवेशकर्ता देश भी है।
- भारत की प्रतिक्रिया : भारत ने 30 वर्ष पूर्व हुए म्यांमार में तख्ता पलट की सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी, परन्तु वर्तमान में भारत की प्रतिक्रिया निम्न कारणों से अतीत से भिन्न होने वाली है:-
- म्यांमार के साथ सैन्य संबंध
 - समान महत्व
 - रणनीतिक महत्व
 - विकासात्मक परियोजनाएं
 - एक्ट ईस्ट नीति
 - भौगोलिक स्थिति
 - रोहिग्या मुद्रा
- म्यांमार के साथ सैन्य संबंध: भारत का म्यांमार की सेना के साथ बहुत करीबी सुरक्षा संबंध है। म्यांमार की सेना, अलगाववादी व उग्रवादी संगठनों से भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा को सुरक्षित रखने में सहायता करती है।
- समान महत्व : म्यांमार की वर्तमान यात्रा में भारतीय समकक्षों ने स्टेट काउंसिलर आंग सान सू की के साथ मुलाकात की साथ ही सेना के जनरल मिन ऑन्ग हालाइंग के साथ भी मुलाकात की जिससे स्पष्ट है कि भारत के लिए दोनों महत्व रखते हैं।
- रणनीतिक महत्व : भारत की म्यांमार के विरोध में की गयी प्रतिक्रिया से केवल चीन को लाभ होगा क्योंकि म्यांमार को अंतर्राष्ट्रीय दबाव व प्रतिबंधों से बचाने के लिए चीन ने सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग किया है।
- विकासात्मक परियोजनाएं : त्रिपक्षीय राजमार्ग, कलादान मल्टी माडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट, सिल्वे बन्दरगाह पर सेज का निर्माण कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं, जिसमें भारत ने भारी भरकम निवेश किया है।
- एक्ट ईस्ट नीति : भारत के लिए म्यांमार, एक्ट ईस्ट नीति का महत्वपूर्ण स्तम्भ है तथा भारत, म्यांमार को पूर्व का द्वार (Gateway

- भौगोलिक स्थिति : to the East) और आसियान देश के रूप में देखता है। 1600 किमी. से अधिक लम्बी थल सीमा का साझा करना, बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा साझा करना व बिम्सटेक और केमांग गंगा सहयोग जैसे भौगोलिक पहले सम्मिलित है।
- रोहिग्या मुद्रा : भारत रोहिग्या शरणार्थियों के मुद्दे को हल करना चाहता है, जो बांग्लादेश आ गये हैं और उनमें से कुछ भारत में भी रह रहे हैं। रोहिग्या शरणार्थियों के मुद्दे का समाधान म्यांमार सरकार के सहयोग के बिना संभव नहीं होगा।
- व्यापार : म्यांमार के फार्मा क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र व सेवा क्षेत्र में भारतीय कम्पनियां सहयोग कर रही है।

उपरोक्त स्थितियां भारत को म्यांमार के तख्तापलट के असंवैधानिक कृत्य पर तीखी प्रतिक्रिया देने से रोक रही है। अतः भारत हमेशा से म्यांमार में लोकतांत्रित प्रक्रियाओं का समर्थन करता रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत ने सन्तुलन कायम करने का प्रयास किया है। यद्यपि भारत ने म्यांमार के हालिया घटनाक्रम पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है, बावजूद इसके भारत, म्यांमार की सेना से भी अपने संबंध सकारात्मक रखने का प्रयास कर रहा है। इसका कारण है कि भारत के कई महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक हित म्यांमार से जुड़े हैं।



1. प्रमुख फंड [Important Funds]

- (i) फंड का नाम : पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड [Animal Husbandry Infrastructure Development Fund].
- मंजूरी : 24 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली “आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति” (Cabinet Committee on Economical Affairs-CCEA) द्वारा दिया गया।
 - फंड की स्थापना का उद्देश्य : फंड की स्थापना के दो प्रमुख उद्देश्य हैं-
 - (i) निजी क्षेत्र में डेयरी एवं मीट प्रसंस्करण के लिए गुणवत्ता पूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास।
 - (ii) पशु आहार संयंत्रों की स्थापना में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उचित सुविधा उपलब्ध कराना।
 - फंड के लिए आवंटित धनराशि: 15 हजार करोड़ रुपये
 - महत्वपूर्ण तथ्य : इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की पात्रता निर्धारित की गयी है जो निम्नवत् है:-
 - किसान उत्पादक संगठन [Farmers Producers Organization-FPO]
 - एमएसएमई [MSMEs]
 - निजी कम्पनियां [Private Companies]
 - निजी उद्यमी [Private Entrepreneur]
 - इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को कुल राशि का 10% स्वयं देना होगा शेष 90% राशि अनुसूचित बैंक (Schedule Banks) द्वारा ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।
 - इस योजना के तहत सरकार पात्र लाभार्थियों को 3% की ब्याज सब्सिडी भी उपलब्ध करायेगी।
 - इस योजना का लाभ लेने वाले पात्र लाभार्थियों को 2 वर्ष की अवधि में मूलधन को वापिस करना होगा जबकि पूर्ण भुगतान की अधिकतम अवधि 6 वर्ष की निर्धारित की गयी है।
- (ii) फंड का नाम : एमएसएमई के लिए संकटग्रस्त परिसंपत्ति फंड-उप-ऋण [Distressed Asset Fund - Subordinated Debt For MSMEs]
- मंजूरी : 2 जून 2020 को केन्द्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दी गयी।
 - फंड की स्थापना का उद्देश्य: ऐसे प्रमोटरस जो अपने संकटग्रस्त एमएसएमई में निवेश हेतु बैंक से ऋण लेना चाहते हैं उन्हें गारंटी कवर उपलब्ध कराना इस फंड की स्थापना का उद्देश्य है।
 - फंड के लिए आवंटित राशि: 20 हजार करोड़ रुपये
 - महत्वपूर्ण तथ्य :
 - इस योजना के अन्तर्गत वे प्रमोटर ही पात्र होंगे जिनके एमएसएमई चालू हालत में है, परन्तु संकटग्रस्त है और वे 30 अप्रैल 2020 तक एनपीए की श्रेणी में आ गये हैं।
 - पात्र एमएसएमई प्रमोटर को उनकी हिस्सेदारी (इक्विटी व ऋण मिलाकर) का 15% के बराबर या 75 लाख रुपये जो भी कम हो, का क्रेडिट (ऋण) दिया जायेगा। इस ऋण राशि को प्रमोटर को एमएसएमई इकाई की इक्विटी के रूप में निवेश करना होगा जिससे उनकी इकाई में तरलता बढ़ेगी और ‘ऋण-इक्विटी अनुपात’ को बनाये रखने में सहायता मिलेगी।
 - इस उप-ऋण के लिए 90% गारंटी कवरेज संबंधित फंड से दिया जायेगा जबकि 10% संबंधित प्रमोटर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
 - लाभार्थियों को मूलधन के भुगतान पर 7 वर्ष की मोहलत दी जायेगी जबकि पूर्ण भुगतान की अधिकतम अवधि 10 वर्ष होगी।
 - इस फंड का संचालन ‘क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट’ द्वारा किया जायेगा। इस ट्रस्ट की स्थापना एमएसएमई मंत्रालय व सिडबी द्वारा की गयी है।

2. नारियल की एमएसपी

नारियल का प्रकार	एमएसपी 2019	एमएसपी 2020	वृद्धि
Milleng Copra	₹ 9521 प्रतिक्विंटल	₹ 9960 प्रतिक्विंटल	₹ 439
Ball Copra	₹ 9920 प्रतिक्विंटल	₹ 10,300 प्रतिक्विंटल	₹ 380

महत्वपूर्ण तथ्य:

- नारियल के मूल्यों में वृद्धि की घोषणा मार्च 2020 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमिटी ऑन इकानिमिकल अफेयर्स (CCEA) द्वारा की गयी।
- नारियल के एमएसपी में वृद्धि की सिफारिश Commission For Agricultural Cost & Price-CACP द्वारा की गयी थी।
- बजट 2018-19 में सरकार ने एमएसपी मूल्यों में उसकी लागत का डेढ़ गुना वृद्धि करने की घोषणा की थी ताकि किसानों की आय में वृद्धि की जा सके।
- भारत नारियल के कुल उत्पादन व उत्पादकता के मामले में विश्व में प्रथम स्थान रखता है।

3. भारत में डिजिटल कर [Digital Tax in India]

- ई-कामर्स कम्पनियाँ : ऐसी कम्पनियाँ जो इन्टरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने एवं बेचने का कार्य करती हैं, ई-कामर्स कम्पनियाँ कहलाती हैं।
- ई-कामर्स कम्पनियों की कार्यशैली : ये कम्पनियाँ किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि वस्तु का उत्पादन करने वाली कम्पनियों को डिजिटल प्लेटफार्म पर अपने उत्पाद बेचने की सुविधा देती हैं और इस सुविधा के बदले में ई-कामर्स कम्पनियाँ सम्बन्धित कम्पनियों से सेवा शुल्क प्राप्त करती हैं।
- ई-कामर्स कम्पनियों से लाभ : ई-कामर्स कम्पनियाँ उपभोक्ता के साथ-साथ वस्तुओं और सेवाओं के निर्माताओं को भी लाभान्वित करती हैं, जिसे निम्न आधार पर देखा जा सकता है:-

■ उपभोक्ता वर्ग को लाभ:

- ऑफलाइन खरीददारी की तुलना में ऑनलाइन प्लेटफार्म पर खरीददारी करने से समय की बचत होती है।
- ऑनलाइन प्लेट फार्म में उत्पादों पर भारी-भरकम डिस्काउन्ट व भौति-भौति के ऑफर मिलते हैं।
- लेटेस्ट फैशन के उत्पादों की बहुसंख्या में वराइटी एक ही स्थान पर उपलब्ध होती है।
- फ्री होम डिलीवरी व उत्पाद में कोई डिफेक्ट होने पर उत्पाद को आसानी से बदलने की सुविधा होती है।
- पूरा परिवार एक साथ शॉपिंग कर सकता है, जबकि दुकानों पर पूरे परिवार को सथा ले जाना सम्भव नहीं होता।
- ऑफलाइन शॉपिंग के दौरान फ्यूल पर व्यय, पार्किंग चार्जस व परिवहन लागत आदि पर व्यय करना पड़ता है, जबकि ऑनलाइन शॉपिंग इस प्रकार के व्ययों से मुक्त रहती है।

■ उत्पादक वर्ग को लाभ:

- न केवल देश बल्कि विदेशी उपभोक्ताओं तक पहुँच सम्भव होती है।
- उत्पादक वर्ग की 'आपूर्ति श्रृंखला' पर न्यूनतम निर्भरता होने के कारण वह उत्पादों के मूल्यों में कमी करता है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ उत्पादों की बिक्री पर पड़ता है।
- हस्तशिल्प उत्पादों जिन्हें सीमित बाजार भी प्राप्त नहीं होते वे राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों तक अपनी पहुँच बना पाते हैं।
- उत्पादों के विज्ञापन पर तुलनात्मक रूप से कम व्यय करना पड़ता है।

- प्रमुख ई-कामर्स कम्पनियाँ : अमेज़न (Amazon), फ्लिपकार्ट (Flipkart), अलीबाबा (Alibaba), मित्रा (Mytra), स्नेपडील (Snapdell), होमडिपोट (Home Depot), ई.बे. (e-Bay)

- विश्व के प्रमुख ई-कामर्स : 1. यूएसए, 2. चीन, 3. भारत

नोट: विश्व के सर्वाधिक इंटरनेट उपभोक्ता वाले देश हैं-1. चीन, 2. भारत, 3. यूएसए

- डिजिटल कर व भारत : वित्त विधेयक 2020-21 के अन्तर्गत भारत सरकार ने दो करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार करने वाली सभी विदेशी ई-कामर्स कम्पनियों द्वारा किये जाने वाले वस्तु व्यापार एवं सेवाओं पर 2% डिजिटल सर्विस कर लगाने का निर्णय लिया है, जिसे 1 अप्रैल, 2020 से लागू किया गया है। इस प्रकार भारत में कार्यरत दुनिया के सभी देशों की ई-कामर्स कम्पनियाँ इस कर के दायरे में आ गयी हैं।

अनुसंधान एवं विकास एकद्विवसीय परीक्षा प्रकोष्ठ

- डिजिटल कर पर अन्य देशों का दृष्टिकोण :**
- जून, 2019 में जापान के शहर **फुकुओका** में आयोजित जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों और दुनिया के शीर्ष वित्तीय नीति-निर्माताओं की शिखर बैठक में “डिजिटल वैश्विक कारोबार” पर डिजिटल टैक्स लगाने को लेकर आम सहमति बनी थी।
 - 28-29 जून, 2019 को जापान के **ओसाका शहर** में जी-20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने **डिजिटल कर व डेटा लोकलाइजेशन** का समर्थन किया था।
 - अमेरिका सहित दुनिया के कुछ विकसित देशों की प्रमुख डिजिटल कंपनियाँ इस नए डिजिटल टैक्स के खिलाफ हैं। अमेरिका की बहुप्रतिष्ठित कंपनियाँ **अमेज़ॉन, फेसबुक व गूगल अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR)** में इस नये कर का विरोध कर रही हैं।
- डिजिटल कर के लाभ भारत के परिप्रेक्ष्य में :**
- कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के चलते सभी आर्थिक गतिविधियाँ ठप हो जाने से सरकार के कर राजस्व में भारी कमी आयी है। इस राजस्व की कमी को भरने का सर्वश्रेष्ठ उपकरण **डिजिटल कर** हो सकता है।
 - वैश्विक महामारी के दौरान सम्पूर्ण विश्व में उपभोक्ताओं की आदत और व्यवहार में बदलाव आया है, जिसके चलते ऑनलाइन खरीददारी की प्रवृत्ति में वृद्धि आयी है। अतः डिजिटल कर लगाना समय व आवश्यकतानुरूप है।
 - भारतीय कंपनियों के लिए स्वयं को ई-कामर्स कंपनियों के साथ जोड़कर वैश्विक उपभोक्ताओं तक पहुँचने का यह उत्कृष्ट अवसर है।
 - भारत उन शीर्ष देशों की सूची में शामिल है, जहाँ इन्टरनेट उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक है अतः भारतीय कंपनियों के लिए देश व विदेश के उपभोक्ताओं तक अपने उत्पादों की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु उन्हें ई-कामर्स कंपनियों के साथ जुड़ का व्यवसाय करना लाभप्रद होगा।
 - भारत में वर्ष 2017 में ई-कामर्स बाजार महज 24 अरब डालर का था, जिसकी वर्ष 2021 तक 84 अरब डॉलर होने की संभावना है। अतः भारत डिजिटल टैक्स आरोपित कर विदेशी ई-कामर्स कंपनियाँ, जो बहुत अधिक मुनाफा कमाती हैं, से स्वयं भी आर्थिक रूप से लाभान्वित हो सकती है।

4. बागान एवं बागवानी फसलें

(Planation & Horticulture Crops)

- बागान फसलों (Plantation) :** कृषि मंत्रालय के अनुसार- “बागान फसलों के अन्तर्गत नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ एवं काजू को रखा जाता है।”
- Crops) का अर्थ** वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार- “चाय, कॉफी व रबर को बागान फसलों के अन्तर्गत शामिल किया जाता है।”
- इस प्रकार बागवानी फसलें में उन फसलों को शामिल किया जाता है, जो एक बड़े क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं और यह मुख्यता कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों को तैयार करने में प्रयुक्त की जाती हैं। बागवानी फसलों में शामिल हैं-
- नारियल (Copra)
 - ताड़ (Palm)
 - कोकोआ (Cocoa)
 - काजू (Cashewnut)
 - चाय (Tea)
 - कॉफी (Coffee)
 - रबर (Rubber)
 - मसाले (Spices) इलायची, सूखी मिर्च, धनिया, सूखी हल्दी आदि।
- बागवानी फसलों (Horticulture: Crops) का अर्थ** बागवानी फसलें उन फसलों को कहा जाता है, जिनके लिए विस्तृत कृषि भूमि की आवश्यकता नहीं होती और वे शीघ्र तैयार हो जाती हैं परिणामतः त्वरित आय प्रतिफल देने लगती हैं। इन फसलों में शामिल हैं-
- फलों की कृषि (Pomology)
 - फूलों की कृषि (Floriculture)
 - सब्जियों की कृषि (Olericulture)

महत्वपूर्ण तथ्य

नोट: भारत में क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर प्रथम स्थान सब्जियों का व द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर फल व फूल की कृषि की जाती है।

- वर्तमान में औषधीय एवं सजावटी पौधों, मशरूम, बांस, मसाला व सभी बागान फसलों को 'बागवानी, कृषि' (Horticulture Crops) के अन्तर्गत स्थान प्राप्त है अर्थात् कोई भी बागान फसल (Planlation Crops) बागवानी फसलें (Horticulture Crops) जरूर होगी, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सभी बागवानी फसलें, भी बागान फसल हो।

• शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य है	1. पश्चिम बंगाल, 2. उत्तर प्रदेश, 3. मध्य प्रदेश, 4. बिहार, 5. गुजरात।
• शीर्ष फल उत्पादक राज्य हैं	1. आन्ध्र प्रदेश, 2. महाराष्ट्र, 3. उत्तर प्रदेश, 4. गुजरात, 5. मध्य प्रदेश।
• शीर्ष फूल उत्पादक राज्य हैं	1. तमिलनाडु, 2. मध्य प्रदेश, 3. आन्ध्र प्रदेश, 4. पश्चिम बंगाल, 5. छत्तीसगढ़।
• शीर्ष मासाला उत्पादक राज्य हैं	1. मध्य प्रदेश, 2. राजस्थान, 3. गुजरात, 4. आन्ध्र प्रदेश, 5. कर्नाटक
• समग्र बागवानी फसलों के शीर्ष उत्पादक राज्य हैं	1. उत्तर प्रदेश, 2. पश्चिम बंगाल, 3. मध्य प्रदेश, 4. आन्ध्र प्रदेश, 5. गुजरात।
• समग्र बागवान फसलों के शीर्ष उत्पादक राज्य हैं	1. केरल, 2. कर्नाटक, 3. तमिलनाडु, 4. आन्ध्र प्रदेश, 5. महाराष्ट्र।


नोट: उपरोक्त आंकड़े वर्ष 2018-19 के 3rd A.E. के हैं।

5. सीमा समायोजन कर (Border Adjustment Tax-BAT)

- सीमा समायोजन कर (BAT) :** किसी आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर सीमा शुल्क के अतिरिक्त लगने वाले शुल्क को सीमा का अर्थ :
- सीमा समायोजन कर को अपनाने के उद्देश्य :** समायोजन कर (BAT) कहते हैं।
- जून 2020 को नीति आयोग के सदस्य वी. के. सारस्वत ने सीमा समायोजन कर अपनाने की बात कही थी। इस कर को अपनाने के प्रमुख कारण हैं:-
- घरेलू उद्योगों को आयातित वस्तुओं से संरक्षण प्रदान करना क्योंकि घरेलू उद्योगों पर विद्युत शुल्क, स्वच्छ ऊर्जा सेस, मंडी कर आदि कर लगने से वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जिसके चलते घरेलू उत्पाद आयातित उत्पाद की तुलना में महंगे हो जाते हैं और वे आयातित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते और चलन से बाहर हो जाते हैं।
 - अमेरिका और चीन के मध्य ट्रेड वार कोविड-19 के बाद भी जारी रहेगा अतः भारत को भी अपने घरेलू बाजार को आयातित वस्तुओं से संरक्षित करने की आवश्यकता है।
 - यह कर, भारत को लोकल के लिए वोकल, मेक इन इण्डिया व आत्मनिर्भर भारत की संकल्पनाओं के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होगा।

6. भारत सरकार द्वारा FDI नीति 2017 में संशोधन (Amendment in FDI Policy 2017 by Indian Govt.)

- FDI का अर्थ :** FDI उस स्थिति को कहा जाता है, जब कोई विदेशी कम्पनी किसी अन्य देश की कम्पनी की कुल पूंजी का 10% या उससे अधिक का निवेश करती है। इस स्थिति में वह विदेशी कम्पनी, निवेश की गयी कम्पनी में स्वामित्व (Ownership) प्राप्त करती है और सम्बन्धित कम्पनी के दैनिक ऑपरेशन में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल होती है।
- नोट:** 1991 के बाद भारत में वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया जिसके परिणाम स्वरूप देश में FDI की प्रक्रिया तेज हुई।
- FDI के लाभ :** किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में FDI की क्या भूमिका है? को निम्न आधार पर समझा जा सकता है-



FDI के मार्ग : भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दो माध्यमों से प्रवेश प्राप्त करता है: (i) स्वचलित मार्ग (Automatic Route), (ii) सरकारी मार्ग (Government Route)

- (i) **स्वचलित मार्ग** : इस मार्ग से निवेश करने के लिए विदेशी निवेशकों को आरबीआई तथा सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, परन्तु 30 दिन के भीतर देश के केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) को सभी तथ्यों की जानकारी उपलब्ध करानी होती है इसलिए इसे **Mumbai Route** भी कहते हैं।
- (ii) **सरकारी मार्ग** : इस मार्ग के तहत एफडीआई के लिए **फॉरेन इनवेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल (FIFP)** पर आवेदन करना पड़ता है। इस आवेदन को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce & Industry) को भेजा जाता है, फिर ये मंत्रालय Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT) के साथ परामर्श कर एफडीआई आवेदन को स्वीकार करता है या खारिज करता है। सरकारी मार्ग को **Delhi Route** भी कहा जाता है।

नोट: May 2017 में FIPB के स्थान पर FIFP को लाया गया है।

- कोविड-19 के दौरान FDI नीति, 2017 में संशोधन** : • **संशोधन का कारण:** कोविड-19 महामारी के बीच दौरान भारत के शेयर बाजारों में भारी गिरावट आयी जो सेंसेक्स 14 जनवरी 2020 को 41,952 के आकड़े को छू रहा था वहीं 23 मार्च, 2020 को गिरकर 25,981 अंक पहुंच गया। शेयर बाजार में इस भारी गिरावट से भारत की दिग्गज कंपनियों के शेयरों के भाव में तेजी से गिरावट आयी। जिससे कम्पनियों की वैल्यूएशन काफी कम हो गयी। इसी स्थिति का फायदा उठाकर चीनी निवेशकों ने भारतीय कंपनियों में निवेश के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना आरंभ कर दिया इसे भारतीय अर्थशास्त्रियों ने **अवसरवादी अधिग्रहण (Opportunistic Acquisition)** की संज्ञा दी। अर्थात् चीनी कम्पनियां भारतीय कम्पनियों के घटे हुए वैल्यूएशन का फायदा उठाकर अधिकाधिक हिस्सेदारी अपने हाथ में लेकर कंपनियों पर नियंत्रण करने के प्रयास में थी। **उदाहरण:** चीन के Peoples Banks of China ने भारत के सबसे बड़े **निजी बैंक एचडीएफसी** में अपनी हिस्सेदारी 0.8% से बढ़ाकर 1.01% कर लिया। यह स्थिति इसलिये चौकाने वाली थी क्योंकि जब सम्पूर्ण विश्व कोविड-19 महामारी से लड़ रहा था, उस समय चीन आर्थिक प्रभुत्व बढ़ाने में लगा था। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि भारत, चीन के अवसरवादी अधिग्रहण को शीघ्र अति शीघ्र रोके इसलिए एफडीआई नीति 2017 में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी।
- **एफडीआई नीति में संशोधन:** केन्द्र सरकार ने 18 अप्रैल, 2020 को एफडीआई नीति 2017 के पैरा 3.1.1 में संशोधन किया है जो निम्नवत् है:-

संशोधन के पूर्व की स्थिति	संशोधन के बाद की स्थिति
FDI नीति 2017 के पैरा 3.1.1 के अनुसार कोई भी अनिवासी निकाय या कंपनी (Overseas Body or Company) भारत में निवेश कर सकती है। परन्तु बांग्लादेश व पाकिस्तान का कोई नागरिक या उनके द्वारा गठित कोई भी कंपनी केवल सरकारी रूट के तहत रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा या अन्य सेक्टरों व गतिविधियों में निवेश कर सकती है।	FDI नीति 2017 के पैरा 3.1.1 में संशोधन कर 3.1.1(ए) जोड़ा गया, जिसके तहत भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले देशों को भारत में सरकारी मार्ग से ही निवेश की अनुमति है अर्थात् इन देशों को भारत सरकार की अनुमति लेकर ही भारतीय कंपनियों में निवेश यानी शेयर खरीदने की अनुमति होगी। यह संशोधित नियम “लाभार्थी स्वामी” (Beneficiary Owner) पर भी लागू होगा अर्थात् भले ही भारत में निवेश करने वाली कंपनी भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले देश की नहीं हो, परन्तु यदि इसका मालिक, उन देशों का नागरिक है, तो उस पर भी यह संशोधित नियम लागू होंगे।

नोट: भारत में जिन सेक्टरों में एफडीआई की अनुमति किसी देश को नहीं दी गयी है अर्थात् एफडीआई के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है- गैम्बलिंग, बेटिंग व्यवसाय, लॉटरी, चिटफंड में निवेश, निधि कंपनी, कृषि व बागवानी गतिविधिया, आवास एवं रियल इस्टेट, सिगार व सिगरेट इत्यादि।

चीन का तर्क

- : FDI नीति 2017 के पैरा 3.1.1 में बांग्लादेश व पाकिस्तान की इकाईयों को भारत में सरकारी अनुमति से निवेश करने की इजाजत है तो जाहिर है मौजूदा संशोधन भारत में चीन से बढ़ते, अवसरवादी अधिग्रहण के खतरे को ध्यान में रखकर किया गया है, जिस पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जो निम्नवत् है:-
- चीन के अनुसार भारत द्वारा किया गया एफडीआई नीति में संशोधन WTO के व्यापार सिद्धांत के खिलाफ है।
 - चीन के अनुसार FDI से भारत को ही लाभ है क्योंकि चीन, भारत से सीमा साझा करने वाले अन्य देशों की तुलना में भारत में सर्वाधिक एफडीआई करता है, जिससे भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होता है साथ ही चीनी निवेश से भारत के प्रमुख उद्योगों जैसे मोबाइल उद्योग, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग आदि के विकास को बढ़ावा मिलता है। अतः भारत का यह कदम व्यापार एवं निवेश के उदारीकरण के प्रतिकूल है।

भारत का तर्क

- : • भारत सरकार के मुताबिक एफडीआई नीति में संशोधन किसी वैश्विक प्रतिबद्धता का उल्लंघन नहीं है क्योंकि यह किसी देश से आने वाले निवेश को प्रतिबंधित नहीं करता बल्कि निवेश प्रस्तावों के पूर्व सरकारी स्वीकृति को अनिवार्य करता है।

अन्य देशों की प्रतिक्रिया

- : • भारत, चीन के अवसरवादी अधिग्रहण के खतरे से आशंकित होकर एफडीआई नीति में संशोधन करने वाला विश्व का पहला देश नहीं है। कई पश्चिमी विकसित देशों ने भी चीनी निवेशकों को गतिविधियों से आशंकित होकर यह कदम उठाया है, जिसमें यूरोपीय संघ (EU) व आस्ट्रेलिया प्रमुख हैं।

7. MSMEs की नई परिभाषा : योगदान व महत्व

MSMEs का महत्व

- : गाँधी जी मानते थे कि भारत का विकास उनके गांवों के विकास से ही निर्धारित होगा। उनका विचार विकेन्द्रीकरण और क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता से जुड़ा था, जिसके लिए MSMEs क्षेत्र एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

MSMEs का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान

- : • MSMEs का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान इस बात का अंदाजा एक उदाहरण से लगाया जा सकता है वर्ष 2007-08 के वैश्विक आर्थिक मंदी के समय देश की अर्थव्यवस्था के लिए इस

अनुसंधान एवं विकास एकद्विवर्षीय परीक्षा प्रकोष्ठ

क्षेत्र ने रीढ़ की हड्डी की भूमिका अदा की थी तथा अधिकतम रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र बनकर उभरा था। वर्तमान में MSMEs का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, निम्न आधार पर समझा जा सकता है:-

- देश में कुल MSMEs इकाइयां : 63.4 मिलियन
- देश में राजगार सृजन में योगदान : 100 मिलियन (10 करोड़)
- देश के कुल निर्यात में MSMEs का योगदान : 40%
- MSMEs का जीडीपी के विनिर्माण क्षेत्र में योगदान : 6.11%
- देश की जीडीपी में सेवा क्षेत्र के कुल योगदान : 24.63%

में MSMEs का हिस्सा

MSMEs द्वारा बनाये जाने वाले उत्पाद : MSMEs लगभग 6500 से भी अधिक उत्पाद का उत्पादन करते हैं, जिनमें प्रमुख हैं-पैकिंग फूड, दूध, अण्डा, होटल, रेस्ट्रा, मछली, मोटर वाहन, साइकल, फर्नीचर, कास्मेटिक, ब्यूटी पार्लर, सलून, कापी, पेन, पेपर, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक सामान, दर्जी, लैब हार्डवेयर का सामान, कारपेन्टर का सामान, लैडर उत्पाद।

MSMEs की नई परिभाषा : 1 जुलाई, 2020 से सरकार ने MSMEs की परिभाषा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं, जो निम्नवत् है:-

श्रेणी	प्रतिवर्ष निवेश	प्रतिवर्ष टर्नओवर	वार्षिक कर % में
सूक्ष्म (Micro)	1 करोड़ से कम का निवेश	5 करोड़ से कम का टर्न ओवर	8%
लघु (Small)	10 करोड़ से कम का निवेश	50 करोड़ से कम का टर्न ओवर	10%
मझोले (Medium)	50 करोड़ से कम का निवेश	250 करोड़ से कम का टर्न ओवर	12%

नोट: 50 करोड़ से अधिक के वार्षिक निवेश व 250 करोड़ से अधिक के वार्षिक टर्न ओवर वाली कम्पनियों को हैवी इन्डस्ट्री या वृहद उद्योग कहते हैं।

MSMEs की परिभाषा में परिवर्तन के कारण : MSMEs की परिभाषा में परिवर्तन करने के मुख्य कारण निम्नवत् है-

- कोविड-19 महामारी के दौरान देशव्यापी लोकडाउन ने MSMEs क्षेत्र को भारी आर्थिक क्षति पहुंचाई। जिसके चलते सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा में इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया। इस आर्थिक पैकेज का लाभ अधिक से अधिक इकाइयों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने वार्षिक निवेश व टर्नओवर के स्लैब को परिवर्तित किया है।
- MSMEs इकाइयों को कर का लाभ उपलब्ध कराना भी इस परिवर्तन का मुख्य कारण रहा है।
- MSMEs क्षेत्र की इकाइयों को उत्पादन हेतु प्रोत्साहन करने के लिये यह आवश्यक था कि अधिक से अधिक इकाइयों को सरकारी आर्थिक पैकेज का लाभ दिया जाये।

MSMEs के लिए CHAMPIONS नामक तकनीकी मंच/पोर्टल की शुरुआत : • **पोर्टल का प्रारम्भ** : 1 जून, 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा MSMEs क्षेत्र के तकनीकी क्षमता उन्नयन हेतु CHAMPIONS (Creation & Harmonious Application of Modern Process for Increasing the Output & National Strength) नामक पोर्टल लॉन्च किया गया।

• **पोर्टल का उद्देश्य** : यह पोर्टल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की एक नई पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है:-

- यह पोर्टल एक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली है, जो MSMEs को वर्तमान कठिनाइयों (कोविड-19) से उबारने तथा उन्हें राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय चैंपियन बनाने में मदद करेगी।
- शिकायत निवारण (Grievance Redressal) के अन्तर्गत कोविड-19 जनित कठिन परिस्थिति में MSMEs की वित्तीय, कच्चे माल, श्रम, विनियामक स्वीकृतियों आदि से संबंधित समस्याओं का समाधान करना।
- MSMEs इकाइयों को नए अवसरों को तलाशने में मदद करना जिसमें

चिकित्सीय उपकरणों तथा सहायक उपकरणों जैसे- PPE किटो, मास्क आदि का विनिर्माण एवं उनकी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति करने में सहायता करना शामिल है।

- MSMEs क्षेत्र में नए क्षेत्रों की पहचान करना तथा प्रोत्साहित करना अर्थात् क्षमतावान MSMEs इकाइयों की पहचान करना, जोकि वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौर में स्वयं को स्थापित रखने और निरंतर आगे बढ़ते रहने की क्षमता से संपन्न होने के साथ-साथ राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चैपियन बन सकती है।

संक्षेप में CHAMPIONS पोर्टल आधारभूत रूप से MSMEs इकाइयों को उनकी शिकायतों का समाधान करने, प्रोत्साहन देने, सहायता प्रदान करने तथा नवस्थापित MSMEs इकाइयों को सुझाव एवं मार्गदर्शन देने के माध्यम से बड़ी इकाइयों में परिवर्तित करने में मदद करेगा।

- **पोर्टल की:** • यह पोर्टल भारत सरकार की मुख्य केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और अन्य विशेषताएं निगरानी प्रणाली (Centralized Public Grievance Redress & Monitoring System- CPGRAMS) से रियल टाइम में जोड़ा गया है। यानी अगर किसी ने CPGRAMS पर शिकायत कर दी, तो यह सीधे CHAMPIONS पोर्टल पर आ जाएगी जिससे शिकायतों के निपटाने की व्यवस्था में तेजी आएगी।
- यह पोर्टल आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग से लैस किया गया है।

8. वेज एंड मींस एडवांस (Ways & Means Advances : WMA)

वेज एंड मींस एडवांस (WMA) का अर्थ : जब किसी कम्पनी को मुद्रा प्रबन्धन के क्रम में नकद अंतः प्रवाह (Cash Inflow) की तुलना में नकद बाह्य प्रवाह (Cash Out Flow) ज्यादा हो जाता है उस स्थिति में कम्पनी कामचलाऊ पूंजी (Working Capital) के लिए बैंक का रुख करती है ठीक उसी प्रकार जब राज्य सरकारों के पास नकद प्रवाह में असंतुलन की स्थिति होती है तो वे RBI से अल्पकालिक धन की मांग करते हैं। RBI द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले इसी तत्कालिक धन को 'वेज एंड मींस एडवांस' कहते हैं।

वेज एंड मींस एडवांस प्रक्रिया : वेज एंड मींस एडवांस की अपनी शर्तें होती हैं जैसे-

- RBI द्वारा राज्य सरकारों को दिया गया तत्कालिक धन राज्यों को **तीन महीने के भीतर लौटाना** होता है।
- राज्य सरकारों को इस धनराशि पर प्रचलित **रेपो दर के हिसाब से ब्याज** देना होगा।
- वेज एंड मींस एडवांस के माध्यम से दिया जाने वाला ऋण राज्यवार अलग-अलग होता है अर्थात् यह ऋण सीमाएँ राज्य के **कुल व्यय, राजस्व घाटे एवं राज्य की राजकोषीय स्थिति** पर निर्भर करता है, वैसे राज्यवार सीमाओं को समय-समय पर संशोधित भी किया जाता है।
- कभी-कभी राज्यों को उनकी निर्धारित सीमा से अधिक धन प्रदान किया जाता है, तो उसे ओवरड्राफ्ट कहा जाता है, जिस पर रेपो दर के अलावा दो प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज चुकाना होता है।

नोट: वेज एवं मींस एडवांस के अतिरिक्त राज्य सरकारें प्रतिभूतियां जारी करके **बाजार** से भी ऋण प्राप्त कर सकती है।

वर्तमान में WMA के चर्चा में आने का कारण : कोविड-19 महामारी की वजह से आर्थिक गतिविधियां ठप हो गयी थी, जिससे राज्यों को प्राप्त होने वाले राजस्व में भारी कमी देखने को मिलती है और राज्य वर्तमान समय में नकदी की समस्या से जूझ रहे हैं। इसी समस्या के समाधान हेतु RBI ने 21 अप्रैल, 2020 को राज्यों के WMA की घोषणा की, जिसमें 31 मार्च, 2020 की तुलना में 21 मार्च, 2021 के लिए 60% अधिक राशि का प्रावधान किया गया है।

9. स्पेशल मेन्शन एकाउण्ट और एनपीए (Special Mention Account (SMA) & NPA)

उद्देश्य : बैंकों का एनपीए बनने से पूर्व प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune System) विकसित कर एनपीए बनाने से रोकना।

एसएमए का अर्थ :

- यह ऐसे एकाउन्ट है, जिसे RBI द्वारा जारी वर्ष 2014 की गाइड लाइन्स के अनुरूप सभी बैंकों को बनाना अनिवार्य है।
- इस एकाउन्ट में बैंकों को ऐसे ऋण धारकों को चिन्हित करना होता है, जिनकी निकट भविष्य में एनपीए बनने की संभावना है अर्थात् बैंकों द्वारा एनपीए या स्ट्रेस्ड एसेट बनने की सम्भावना रखने वाले खातों की पहचान करना है।

एसएमए का वर्गीकरण : RBI द्वारा स्पेशल मेन्शन अकाउंट को तीन वर्गों में बांटा गया है, जो निम्नवत् हैं:-

एसएमए का वर्गीकरण	महत्वपूर्ण तथ्य
(i) SMA-0	यदि किसी लोन खाते में मूलधन या ब्याज की किश्त का भुगतान निर्धारित तिथि से 30 दिनों के भीतर नहीं होता है तो उसे SMA-0 के तौर पर चिन्हित किया जायेगा।
(ii) SMA-1	अगर किसी लोन खाते का भुगतान 31 से 60 दिनों तक न हो तो उसे SMA-1 के रूप में चिन्हित किया जाता है।
(iii) SMA-2	अगर मूलधन या ब्याज का भुगतान 61 से 90 दिनों तक नहीं मिलता तो बैंकों को उन लोन खातों के SMA-2 के रूप में चिन्हित करना होगा।

एनपीए का अर्थ व वर्गीकरण :

- किसी ऋण खाते में यदि उसके मूलधन या ब्याज की किश्त 90 दिनों तक नहीं मिलती तो बैंकों को उस लोन को एनपीए घोषित करना पड़ता है। सामान्य अर्थ में बैंकों की परिसम्पत्तियों की तुलना में उत्तरदायित्व (Liability) अधिक हो तो यह स्थिति एनपीए की कहलाती है।
- बैंकों द्वारा एनपीए खाते को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जो निम्नवत् हैं:-

एनपीए का वर्गीकरण	महत्वपूर्ण तथ्य
(i) सब स्टैंडर्ड एसेट्स	जब कोई ऋणखाता 1 वर्ष या इससे कम अवधि तक एनपीए की श्रेणी में रहता है, तो इसे सब स्टैंडर्ड एसेट्स कहा जाता है।
(ii) डाउटफुल एसेट्स	जब एनपीए खाता 1 वर्ष से अधिक समय तक सब स्टैंडर्ड एसेट्स की श्रेणी में बना रहता है, तो इसे डाउटफुल एसेट्स कहा जाता है।
(iii) लास एसेट्स	जब बैंक यह मान लेते हैं कि अब कर्ज वसूल नहीं हो सकता तो उसे लास एसेट्स की श्रेणी में डाल दिया जाता है।

10. बजट 2020-2021 में नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था

कर योग्य आय का स्लैब (रूपये में)	व्यक्तिगत आयकर दरें	नई कर दरें
0-2.5 लाख	0%	0%
2.5 से 5 लाख	5%	5%
5 से 7.5 लाख	20%	10%
7.5 से 10 लाख	20%	15%
10 से 12.5 लाख	30%	20%
12.5 से 15 लाख	30%	25%
15 लाख से अधिक	30%	30%

नोट: यह कर व्यवस्था करदाताओं के लिए वैकल्पिक है।

11. उत्तर-पूर्व राज्य का पहला सेज

घोषणा	:	16 दिसम्बर, 2019
मंत्रालय	:	केन्द्रीय वाणिज्य एक उद्योग मंत्रालय द्वारा
सेज के विकास की जिम्मेदारी	:	त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
अनुमानित राशि	:	1550 करोड़ रुपये
स्थान	:	जलेफा गांव, दक्षिण त्रिपुरा जिला (त्रिपुरा)
सेज में स्थापित इकाईयां	:	रबर आधारित उद्योग, कपड़ा और परिधान उद्योग, बांस उद्योग, कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योग आदि।
महत्वपूर्ण तथ्य	:	यह सेज प्रधानमंत्री मोदी की एक्ट ईस्ट नीति के तहत यह पूर्वोत्तर राज्य में स्थापित होने वाला पहला सेज है।

12. GST Compensation

- 1 जुलाई 2017 से नयी कर व्यवस्था “जीएसटी” लागू होने के बाद 5 वर्षों तक राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को कर से प्राप्त होने वाले राजस्व में 14% वार्षिक की कमी होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति की गारंटी देता है। यह प्रावधान इस कारण लागू किया गया था कि राज्यों को GST लागू होने की स्थिति में कर संग्रह में होने वाले नुकसान के मोर्चे में राहत प्रदान की जा सके।
- क्षतिपूर्ति राशि एकत्रित करने के लिए लग्जरी व समाज के लिए नुकसानदेह माने जाने वाले वस्तु/सेवा पर उपकर (Cess) का प्रावधान किया गया है। इस उपकर से प्राप्त राशि का प्रयोग केन्द्र सरकार राज्यों की GST क्षतिपूर्ति का भुगतान करने में करती है।
- महत्वपूर्ण आकड़े

वित्तीय वर्ष	उपकर से प्राप्त राशि	राज्यों व के. प्र. को दी गयी राशि	केन्द्र के पास शेष बची राशि
2017-18	62,611	41,146	21,465
2018-19	95,681	69,275	25,806
2019-20	95,444	1,65,302	
			47,271

नोट: वर्ष 2017-18 व 2018-19 में केन्द्र सरकार के पास 47,271 करोड़ रुपये (21,465 + 25,806) की राशि शेष थी जिसका प्रयोग वर्ष 2019-20 में क्षतिपूर्ति भुगतान में प्रयोग किया गया।

13. Light House Project

प्रारम्भ :

1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से।

मकानों के निर्माण में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना ताकि निर्माण के समय को कम कर गरीबों के लिए अधिक लचीले, किफायती और अरामदायक घर बनाए जा सकें। संक्षेप में, लाइट हाउस प्रोजेक्ट निर्माण प्रौद्योगिकी में नवाचार का श्रेष्ठ उदाहरण है। यह परियोजना शहरी क्षेत्रों में भूमि की सीमित उपलब्धता के दौर में कम भूमि पर आधुनिक तकनीक से बहुमंजिले आवासों के निर्माण से सम्बन्धित है। इस परियोजना की विशेषता यह है कि इन आवासों का सम्पूर्ण ढांचा न केवल हल्का वजन भूकम्परोधी भी है।

महत्वपूर्ण तथ्य :

- प्रधानमंत्री द्वारा बड़े पैमाने पर नई और वैकल्पिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2019 में Global Housing Technology Challenge - India [GHHC-I] का उद्घाटन करते हुए वर्ष 2019-20 को निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष (Construction Technology Year) घोषित किया। इस आयोजन के एक हिस्से के रूप में "Light House Project" की आधारशिला 1 जनवरी 2021 को रखी गयी।
- हल्के मकानों से जुड़े इस Light House Project के तहत केन्द्र सरकार ने देश के 6 राज्यों के 6 शहरों को चयनित कर प्रत्येक शहर में 1000 घर का निर्माण किया जाएगा

राज्य	शहर	निर्माण प्रौद्योगिकी की तकनीकी
1. मध्यप्रदेश	इन्दौर	ईट और मोर्टार दीवारों के स्थान पर पूर्व निर्मित सैण्डविच पैनल प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। नोट : चीन की तकनीक का प्रयोग
2. गुजरात	राजकोट	घर को आपदाओं को झेलने में अधिक समर्थ बनाना। नोट : फ्रांस की तकनीक का प्रयोग
3. तमिलनाडु	चेन्नई	पहले से ढले हुए (प्रोकास्ट) कंक्रीट प्रणाली का उपयोग किया जायेगा, घर का निर्माण तेजी से और सस्ता होगा। नोट : USA और फिनलैंड की तकनीक का प्रयोग
	जिससे	

4. झारखण्ड रॉची प्रत्येक कमरे को अलग से बनाकर फिर पूरी संरचना को उसी तरह से जोड़ा जायेगा। जैसे- लोग ब्लॉक के खिलौने को जोड़े हैं।
नोट : जर्मनी की 3D निर्माण प्रणाली का प्रयोग
5. त्रिपुरा अगरताल स्टील के फ्रेमों के साथ घरों का निर्माण जो भूकम्प के बड़े जोखिमों को झेल सकेगी।
नोट : न्यूजीलैण्ड की तकनीक का प्रयोग
6. उत्तर प्रदेश लखनऊ ऐसे मकान जिसमें प्लास्टर और पेण्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी और तेजी से मकान बनाने के लिए पहले से तैयार की गयी पूरी दीवारों का उपयोग किया जायेगा।
नोट : कनाडा की तकनीक का प्रयोग
- Light House Project के अन्तर्गत निर्मित प्रत्येक घर की लागत 12.59 लाख रूप में है जिसके दो हिस्सेदार होंगे

केन्द्र सरकार	लाभार्थी
₹ 7.83 लाख	₹ 4.76 लाख

14. कृषि अवसंरचना निधि

लॉन्च करने की तिथि : 9 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रारम्भ

नोट : मई 2020 में घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज में कृषि अवसंरचना निधि के निर्माण की घोषणा की गयी थी जिसका विस्तृत रूप रेखा 15 मई 2020 को निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत की और कैबिनेट ने 8 जुलाई 2020 को इस योजना का अनुमोदन कर दिया।

उद्देश्य : कृषि से सम्बन्धित सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण तथा फसल की कटाई के उपरान्त फसल प्रबन्धन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने जैसे-कोल्ड स्टोरेज, गोदाम व खाद्य प्रसंस्करण इकाईयाँ आदि के लिए वित्त पोषण, बैंकों के माध्यम से किया जाएगा।

परियोजना हेतु धनराशि : 1 लाख करोड़ रुपये

परियोजना की समयवाधि : 2020-21 से 2029-30 (10 वर्षों के लिए)

धनराशि का प्रयोग	वर्ष	धनराशि (हजार करोड़ में)
	2020-21	10
	2021-22	30
	2022-23	30
	2023-24	30
	कुल	1 लाख करोड़ रुपये

महत्वपूर्ण प्रावधान : इस योजना के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। इन ऋणों को प्राप्त करने वाली संस्थाएं हैं-

- ⇒ प्राथमिक कृषि साख समितिया [Primary Agriculture Credit Societies]
- ⇒ विपणन सहकारी समितिया [Marketing Co-operative Societies]
- ⇒ किसान उत्पादक कृषि संगठन [Farmers Producers Agriculture Organization (FPAO)]
- ⇒ स्वयं सहायता समूह [Self Help Group]
- ⇒ किसान संयुक्त देयता समूह [Farmer Joint Liability Group]
- ⇒ बहुउद्देशीय सहकारी समितिया [Multipurpose Co-operative Societies]
- ⇒ कृषि उद्यमी [Agrapreheure]
- ⇒ स्टार्ट अप (Start-up)
- ⇒ केन्द्र/राज्य/लोकल बॉडीज द्वारा प्रायोजित पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स
- इस योजना के तहत लिये गये ऋणों पर 3% की छूट दी जाएगी जो अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध होगी

- परियोजना से लाभ:**
- किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक
 - किसानों को लाभ पहुंचाने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास
 - कृषि उत्पादों को स्टोर करने की क्षमता में वृद्धि
 - कृषि अपव्यय को समाप्त करने में सहायक
 - खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को बनाये रखने में सहायक
 - फूड प्रोसेसिंग उद्योग के विकास से रोजगार सृजन व ग्रामीण अवसंरचना के विकास को बल मिलेगा
 - भारत के कुल निर्यात में कृषि उत्पादों के योगदान को बढ़ावा देने में सहायक
- परियोजना का प्रबंधन:** कृषि अवसंरचना निधि का प्रबंधन और निगरानी “आनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली प्लेटफार्म” क माध्यम से किया जाएगा।

15. क्रिप्टोकॉरेंसी (Crypto Currency)

- क्रिप्टो करेंसी का अर्थ :** क्रिप्टो करेंसी कम्प्यूटरीकृत अद्वितीय कूटबद्ध डिजिटल करेंसी है (Crypto Currency is a Computerized Unique Encrypted Digital Currency) यह धारक के डिजिटल वॉलेट में प्रदर्शित होती है। धारक इसका उपयोग उन सभी स्थानों पर जहाँ ये स्वीकार्य है, पर लेन-देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक विधि में कर सकता है।
- क्रिप्टो करेंसी वैध मुद्रा से किन आधारों पर भिन्न है?** : क्रिप्टो करेंसी का सामान्य वैध मुद्राओं (Legal Tender Money) से भिन्नता निम्न आधार पर की जा सकती है:-

आधार

व्याख्या

विकेन्द्रीकृत मुद्रा (Decentralized Currency)

इस करेंसी पर किसी देश की सरकार या वहाँ के केन्द्रीय बैंक का नियंत्रण नहीं होता।

खुला स्रोत मुद्रा (Open Source Currency)

इस करेंसी की आपूर्ति को किसी भी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता।

पीयर टू-पीयर भुगतान पर आधारित (Based on Peer to Peer Payment)

यह करेंसी एक व्यक्ति/संस्था से दूसरे व्यक्ति/संस्था तक डिजिटल माध्यम से भुगतान किया जाता है। अर्थात् लेन-देन गोपनीय रहता है।

स्थायी सम्पत्ति का अभाव (Lackness of backup Asset) है। डिजिटल करेंसी में ऐसा नहीं है।

केन्द्रीय बैंक को मुद्रा छापने के लिए उसके मूल्य के बराबर सोना रिजर्व में रखना होता

- क्रिप्टो करेंसी में जोखिम :**
- क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्राओं में **कीमत जोखिम** (Price Risk) काफी अधिक पाया जाता है अर्थात् सटोरियों द्वारा इसकी कीमत को प्रभावित किया जा सकता है, जिसके कारण इस प्रकार की करेंसियों में **विश्वसनीयता का जोखिम** बना रहता है।
 - नियामकीय संस्था न होने के कारण इसमें जवाब देहता का अभाव होता है।
 - यह करेंसी गोपनीय होती है अतः इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, जैसे-आतंकी वित्तपोषण, मादक पदार्थों एवं हथियारों के व्यापार, रिश्वत, काले धन के संचयन आदि में किया जा सकता है।
 - यह करेंसी डिजिटल रूप में रखी जाती है अतः इन पर साइबर हमले की आशंका बनी रहती है।
 - यदि डिजिटल करेंसी पर साइबर हमला होता है तो इस स्थिति में उत्तरदायी संस्था के अभाव में इसकी क्षतिपूर्ति भी संभव नहीं हो पाती।

क्रिप्टो करेंसी एक दृष्टि में :

Crypto Currency

[Computerized Unique encrypted Digital Currency]



(Different from Legal Tender Money)

(Risk in Crypto Currency)

- Decentralised
- Open Sources
- Peer to Peer Payment
- Lackness of Backup Asset

- Price Risk
- Lackness of Accountability
- Not in Govt. Record
- Misuses is possible
- Possibility of Cyber Attack / Fear of Cyber Attack

- प्रमुख क्रिप्टो करेंसी के नाम :**
- Bitcoin
 - Ethereum
 - XRP
 - Litecoin
 - Libra [वर्ष 2020 में सोशल प्लेटफार्म कम्पनी Facebook द्वारा जारी की गयी।]

अन्त में कहा जा सकता है कि क्रिप्टो करेंसी सामान्य वैध मुद्रा की तुलना में अत्यन्त जोखिम वाली है, बावजूद इसके तीव्र भुगतान क्षमता, इसका वैश्विक विस्तार व न्यून भुगतान लागत आदि इसके सकारात्मक पक्ष हैं अतः प्रमुख वैश्विक वित्तीय संस्थाओं को ऐसी मुद्रा की संकल्पना को साकार करने की दिशा में कदम अवश्य उठाना चाहिए जो भुगतान में तो आभासी हो, परंतु सुरक्षा एवं नियंत्रण की दृष्टि से वैध मुद्रा की तरह हो।

16. स्टार्ट-अप इंडिया

भारत में स्टार्ट-अप की विधिवत शुरुआत वर्ष 2008 से मानी जाती है, जब वैश्विक, आर्थिक मंदी के दौर में आईटी आधारित स्टार्ट-अप एक नई संभावना के रूप में सामने आए थे, परन्तु देश में स्टार्ट-अप में तेजी 16 जनवरी, 2016 के बाद से आई जब भारत सरकार ने **स्टार्ट-अप इंडिया अभियान** की शुरुआत की।

स्टार्ट-अप से लाभ:

तकनीकी

वित्तीय प्रोत्साहन

प्रशिक्षण

प्रबंधकीय व व्यवसायिक कौशल

के द्वारा-

- युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने में सहायक।
- युवा नेतृत्व की भूमिका को बढ़ाने में सहायक।
- उद्यमशीलता कौशल में सुधार होगा।
- रिस्क टेकिंग कैपेसिटी में वृद्धि होगी।
- देश नौकरी करने वालों के बजाए नौकरी पैदा करने वाले राष्ट्र के रूप में पहचाना जायेगा।
- इन्नोवेशन, रिसर्च व डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा।
- जनांकिकीय लाभांश उठाने में सहायक होगा।

सफल स्टार्ट-अप के उदाहरण:

- सरकार द्वारा कृषि स्टार्ट-अप को तकनीकी और वित्तीय प्रोत्साहन देने से रोजगार और किसानों की आय में वृद्धि की संभावनाएं प्रबल हुई हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण झारखण्ड की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, जिन्होंने “**आजीविका फार्म फ्रेश**” नाम से ऐप बनाया ताकि लोगों को घरों में फलों और सब्जियों की डिलीवरी की जा सके, जिससे एक ओर किसानों को अपने उत्पाद का अच्छा दाम मिला वहीं लोगों को भी फ्रेश फल और सब्जियां मिली।
- स्टार्ट-अप द्वारा किसानों को कारगर उत्पादन तकनीक जिसमें मृदा की जानकारी, बीज व कीट नाशकों के प्रयोग की जानकारी व कृषि मित्र सूक्ष्म जीवों की जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

- भारत में विश्व का तीसरा सबसे विशाल स्टार्ट-अप नेटवर्क मौजूद है।
 - देश में स्टार्ट-अप की संख्या की वार्षिक वृद्धि दर 12% से 15% आंकी गयी है मुख्य रूप से युवाओं द्वारा स्टार्ट-अप को बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है।
 - देश के कुल स्टार्ट-अप में 12% से 14% महिलाएं शामिल हैं।
- अन्त में यह कहा जा सकता है कि स्टार्ट-अप देश में ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ़ लिविंग दोनों को ही समान रूप से प्रोत्साहित करेगा।

17. भारतीय अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण

**डिजिटल अर्थव्यवस्था:
का अर्थ**

अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें धन का अधिकांशतः लेन-देन निम्न स्वरूपों में होता है जैसे-

- प्लास्टिक मनी डेबिट व क्रेडिट कार्ड
- नेट बैंकिंग RTGS व NEFT
- मोबाइल ऐप द्वारा पेमेण्ट गूगलपे, पेटीएम, भीमऐप
- अन्य डिजिटल माध्यम ई-वॉलेट

**भारत में डिजिटल
भुगतान की आवश्यकता
क्यों**

डिजिटल अर्थव्यवस्था 21वीं सदी की जरूरत हो गयी है। ऐसा कहने के निम्न कारण हैं।

- सुविधाजनक नकद रहित लेन-देन आर्थिक क्रियाकलापों में लगने वाले समय, धन व श्रम की बचत करने में सहायता है।
- बढ़ते डिजिटल भुगतान के कारण सरकार को नकदी के प्रवाह पर निगरानी करने में आसानी होती है। साथ ही मुद्रा की उत्पादन लागत व वितरण लागत में कमी आती है।
- डिजिटल भुगतान की प्रवृत्ति बढ़ने से सरकार को आर्थिक आकड़ों की गणना करने, रिसर्च करने व नीतियों के बेहतर निर्माण के लिए विश्वसनीय आँकड़े प्राप्त होते हैं।
- डिजिटल भुगतान सभी लेन-देन में जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
- यदि अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान होता है तो टैक्स चोरी की घटनाओं में कमी देखने को मिलती है और सरकार के कर राजस्व में वृद्धि होती है।
- डिजिटल भुगतान से ब्लैक मनी के चलन को समाप्त किया जा सकता है।
- डिजिटल भुगतान आम जनता को बैंक से स्वतः जोड़ देती है जिससे वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही सरकार द्वारा चलायी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ DBTS के तहत वंचित वर्गों तक पहुँचाने में आसानी होती है।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था महामारी के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को बनाये रखने में सहायक है।
- भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के लिए 1 जुलाई 2015 को डिजिटल योजना लॉन्च की थी जिसका उद्देश्य भारत के हर नागरिक को डिजिटल ढाँचा एवं इन्टरनेट की सुविधा को उपलब्ध करवाना था।
- सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान के प्रति आकर्षित करने के लिए तरह-तरह के प्रलोभन दिये जा रहे हैं। जैसे- ईंधन खरीद (पेट्रोल व डीजल) पर छूट, बीमा प्रीमियम पर छूट व कैश बैक की सुविधा दी जा रही है।
- वर्तमान समय में 100 से अधिक शहरों में डिजी धन मेलों का आयोजन किया जा रहा है।
- डिजिटल भुगतान पर लगने वाले MDR को भी सरकार ने युक्तिसंगत बनाने का प्रयास किया है ताकि इसका बोझ डिजिटल ग्राहकों पर न पड़े।
- जनवरी 2019 में RBI द्वारा नीलकण्ठी की अध्यक्षता में डिजिटलीकरण के लाभों का पता करने के उद्देश्य से नीलकण्ठी समिति का गठन किया गया जिसने जून 2019 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। इस समिति ने डिजिटल भुगतान पर लगने वाले शुल्कों को हटाने तथा डिजिटल भुगतान व्यवस्था पर पूर्ण निगरानी रखने हेतु उचित व्यवस्था करने की सिफारिश की है।

**भारत में डिजिटल
अर्थव्यवस्था की स्थिति:**

- RBI के आँकड़ों के अनुसार UPI (Unified Payment Interface) के जरिए हर महीने किये जा रहे लेन-देन की स्थिति सकारात्मक रही है अर्थात् निम्नवत् वर्ष 2019 में प्रतिमाह 1.8 लाख से 2 लाख करोड़ रुपये का लेन-देन किया गया जो वर्ष 2020 में बढ़कर प्रतिमाह 2.9 से 3 लाख करोड़ रुपये का लेन-देन हो गया।

**वैश्विक अर्थव्यवस्था
और डिजिटलीकरण**

- वर्ष 2020 में अमेरिका विश्व की पहले नम्बर की डिजिटल अर्थव्यवस्था है जबकि दूसरा स्थान चीन का है। ऑनलाइन खरीद के द्वारा फिल्मों को देखने के मामले में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में 60% की बढ़ोतरी हुई है।

अन्य महत्वपूर्ण आँकड़े:

- स्वास्थ्य सम्बन्धी डिजिटल समाधान में 2019 की तुलना में 2020 में 22% की वृद्धि हुई है।
- एक सर्वे के अनुसार विश्व के 5.16 बिलियन लोगों के पास सेलफोन हैं जिसमें से 4.57 बिलियन लोग इन्टरनेट से जुड़े चुके हैं।
- 14 वर्ष से अधिक आयु की वैश्विक आबादी के 80 से 90 प्रतिशत के पास इस समय इन्टरनेट की सुविधा है।

18. भारत में बैड बैंक : एक दृष्टि में

भारतीय बैंक संघ (IBA) की स्थापना 26 सितम्बर 1946 को भारत में बैंकिंग प्रबन्धन हेतु एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में हुई, जो कि एक दबाव समूह है। IBA ने प्रोजेक्ट सशक्त की सिफारिशों को आधार बनाकर तीन संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की जो निम्नवत् है।

(i) Asset Reconstruction Company (ARC)	Asset Management Company (AMC)	Alternative Investment Fund (AIF)
ARC, एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों वित्त और पोषित वित्तीय संस्थानों की बैलेंस शीट को स्वच्छ और संतुलित रखने में उनकी सहायता करने के लिए उनसे NPA या Bad Loan खरीदती है। दूसरे शब्दों में ARC बैंकों से खराब ऋण खरीदने के कारोबार में कार्यरत वित्तीय संस्थान है।	(AMC) परिसम्पत्तियों का प्रबन्धन और अधिग्रहण या परिसम्पत्तियों के पुनर्गठन जैसे कार्य करेगी। 500 करोड़ रूपए से अधिक के फंडों से ऋण के लिए AMC की स्थापना की जाएगी। AMC, बैंक के NPA को खरीदेगी जिससे इस कर्ज का भार बैंकों पर नहीं पड़ेगा। यह कम्पनी पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होगा। AMC सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों के निवेशकों से धन जुटाएगी।	AMC को AIF के माध्यम से किया जाएगा।

नोट: IBA ने Public Sector के बैंकों से Bad Loan की प्राप्ति के लिए एक स्वतंत्र ARC के गठन की सिफारिश की है।

Bad Bank:-

- सर्वप्रथम बैड बैंक की चर्चा वर्ष 2017-18 में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में किया गया।
- Bad Bank, Asset Reconstruction Company की तरह काम करेगा अर्थात् बैड बैंक, दूसरे बैंकों के NPA खरीदेगा।

नोट: Bad Bank की संकल्पना जर्मनी, स्वीडन व फ्रांस जैसे देशों में सफल रही है।

Bad Bank के लाभ:-

- बैड बैंक के आने से बैंकों को NPA वसूलने का दबाव समाप्त हो जायेगा।
- बैंक निश्चित होकर ऋण देने का कार्य करेंगे।
- डिफाल्टर कम्पनियों की सम्पत्ति अधिग्रहण व बेचने के कार्य में तेजी आएगी जिससे अर्थव्यवस्था में विलफुल डिफाल्टर बनने की प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण लगाया जा सकेगा।
- बैंक अधिकारी परिसम्पत्तियों की जब्ती की जगह बैंकिंग गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में अधिक ध्यान देंगे परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

Bad Bank के समक्ष चुनौतियाँ:-

- बैड बैंक की स्थापना में सबसे बड़ी समस्या बैंक में हिस्सेदारी को लेकर है जिसे उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है- यदि बैड बैंक की हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) को सौंपी गयी तो सरकार बैड बैंक की स्थापना हेतु भारी मात्रा में पूँजी का प्रबन्ध कहाँ से करेगी? क्योंकि बैंकों द्वारा बनाये गये NPA का मूल्य इतना अधिक है कि सरकार के लिए बैड बैंक के माध्यम से NPA खरीदना, बहुत मुश्किल होगा और यदि बैड बैंक की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र (Public Sector) को सौंपी गयी तो वे लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से कार्य करेंगे अर्थात् बैंकों के NPA को कम मूल्य पर खरीद कर अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे अर्थात् निजी क्षेत्र का बैड बैंक अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए NPA का मूल्य तय करेंगे।
- बैड बैंक की स्थापना से बैंकों में Moral Hazerness (नैतिक पतन) की समस्या बढ़ेगी अर्थात् Bad Bank, के होने से बैंक ऋण देने में सतर्कता से समझौता करेंगे और वे अनुत्तरदायित्वपूर्ण उधार प्रथाओं को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
- यदि बैड बैंक, बैंकों का NPA कम मूल्य पर खरीदते हैं तो बैंकों की आर्थिक स्थिति नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी।

NPA बनने के मुख्य कारण:-

- हाल के वर्षों में वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था में अस्थिरता के कारण, अर्थव्यवस्था में पहले सुस्ती (slowdown) व आगे चलकर मंदी की स्थिति बनी जिससे ऋण लेने वालों की ऋण अदायगी क्षमता कमजोर हो गई।
- परियोजना की स्वीकृति में देरी के कारण, कर्ज की लागत (ऋण पर ब्याज) बढ़ जाती है। फलस्वरूप ऋण वापसी में दिक्कतें आती हैं।
- अधिक लाभ के लालच में बैंकों द्वारा कारपोरेट घरानों को मनमाना कर्ज देना।
- विलफुल डिफ्लटर्स पर प्रत्यक्ष कानूनी कार्यवाही न होने से इनकी संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है।
- कर्ज में धोखाधड़ी के मामले।
- बैंकिंग संस्थानों में भ्रष्टाचार के मामले।

NPA के प्रकार:

सैद्धान्तिक तौर पर वह सम्पत्ति जिस पर ब्याज/मूलधन 90 दिनों तक बकाया हो, उसे NPA कहा जाता है। समयावधि के आधार पर इसे तीन वर्गों में बाँटा गया है।

- (i) Sub Standard Assets : 12 माह या इससे कम अवधि तक NPA के रूप में बने रहने वाली सम्पत्ति।
- (ii) Doubtful Assets : अगर कोई सम्पत्ति 12 माह तक सब स्टैण्डर्ड श्रेणी में बनी रहे।
- (iii) Loss Assets : यह न वसूल की जा सकने वाली सम्पत्ति है।

NPA की समस्या के समाधान के अन्य विकल्प :-

- | संरचनात्मक परिवर्तन द्वारा समाधान | अन्य समाधान |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • बैंक के शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति व चयन व्यवस्था में आवश्यक बदलाव किए जाएं। • बैंक के वरिष्ठ कर्मचारियों को मूल्यांकन परियोजना के तहत आवश्यक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है क्योंकि वे नियमित बैंकिंग परिचालन कार्यों में तो सक्षम होते हैं परन्तु वित्तीय पर्याप्त सुरक्षा और बंधक के चुनौतियों के समाधान हेतु क्षेत्र विशेष में अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो प्रशिक्षण के माध्यम से पूरी की जा सकती है। • समयबद्ध या नियमित अन्तराल में बैंकों की बैलेन्स शीट की आडिटिंग प्रयास किये व्यवस्था की जाए।
बड़े स्तर के NPA के मामले हैं जिसमें जानबूझकर चूक के प्रमाण मौजूद हैं, ऐसे मामलों को CBI को सौंपने की व्यवस्था की जाए विकसित ताकि निष्पक्ष जाँच हो सके। • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबन्धन में सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के नौकरशाह प्रतिनिधित्व करते हैं, जो वित्तीय व्यवस्था में बहुत कुशल नहीं होते जबकि इस कार्य के लिए दक्ष लोगों की आवश्यकता है। | <ul style="list-style-type: none"> • सरकारी बैंकों के आंतरिक अंकेक्षण कैग के निर्देशानुसार और संरक्षण में होना चाहिए। • किसी कम्पनी को ऋण स्वीकृत करने से पहले उसकी वित्तीय स्थिति और परियोजना की व्यावहारिकता की निष्पक्ष जाँच हो तथा बगैर कोई ऋण स्वीकृत न हों। • बैंकों को PPP मॉडल पर विकसित करने के जाने चाहिए। अर्थात् सरकार को यह पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या सरकारी बैंकों में 70% के स्वामित्व के साथ PPP मॉडल पर बैंकों को कर उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। |

19. Survey of Villages & Mapping with Improved Technology in Village Areas (SVAMITVA)

- प्रारम्भ:** 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा प्रारम्भ।
- उद्देश्य:** ग्रामीणों को ऋण तथा अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने में सहायता देने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में घर के मालिक को “अधिकार अभिलेख” (Record of Right) उपलब्ध कराना और प्रापटी कॉर्ड जारी करना ताकि वे वित्तीय परिसम्पत्ति के रूप में सम्पत्ति का उपयोग कर सकें।
- योजना के महत्वपूर्ण तथ्य**
- 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा लगभग 1 लाख ग्रामीण सम्पत्ति धारकों को उनके मोबाइल पर SMS के द्वारा एक लिंक भेजा गया जिस लिंक से वे अपना सम्पत्ति कॉर्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
 - इसके पश्चात सम्बन्धित राज्य सरकारें भौतिक रूप से सम्पत्ति कार्डों का वितरण करेगी।
 - यह योजना वर्ष 2020 से 2024 (4 वर्षों) तक की अवधि में पूरे देश में लागू की जायेगी।
 - वर्ष 202-21 में भारत के 6 प्रमुख राज्यों के लगभग 1 लाख गाँवों को सम्पत्ति कॉर्ड वितरण का पायलट प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया गया है। इन 6 राज्यों में इस योजना के अलग-अलग उप नाम हैं जो निम्नवत् हैं:-

राज्य	राज्य में योजना का नाम
1. Haryana	Titel Deed
2. Karnataka	Rural Property Ownership Records
3. Madhya Pradesh	Adhikar Abhilekh
4. Maharashtra	Sannad
5. Uttarakhand	Swamitva Abhilekh
6. Uttar Pradesh	Gharauni

नोट : बजट 2021-22 में इस योजना के इसी वर्ष सम्पूर्ण भारत में लागू करने की घोषणा की गयी है।

20. शेयर मार्के की लम्बी छलांग : कारण व वास्तविकता

23 March 2020 BSE (SENSEX) 25,981

09 March 2021 BSE (SENSEX) 51,025

महत्वपूर्ण तथ्य:

- वर्तमान समय में दुनियाभर के विकासशील देशों के शेयर बाजारों में भारतीय शेयर बाजार की स्थिति कही मजबूत और संभावनाओं वाली बनी है।
- बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का Market Capitalization 200 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया है, जिसके चलते इस दशक में पहली बार भारत की सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण देश की जीडीपी से ज्यादा हो गया है।
- देश में बाजार पूंजीकरण और जीडीपी का अनुपात सौ फीसद को पार करके 104% हो गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, हांगकांग, कनाडा, आस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैण्ड जैसे विकसित देशों में Market Capitalization और GDP अनुपात सौ फीसद से अधिक है।
- उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाने के बाद से आम और खास आदमी के बीच निवेश की प्रवृत्ति का विकास हुआ जिसके चलते शेयर बाजार के नाम से घबराने वाला सामान्य व्यक्ति भी छोटे निवेशक के रूप में शेयर बाजार में निवेश हेतु प्रेरित हो रहा है।
- किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के स्वस्थ होने का अंदाजा मौजूदा समय में उसके शेयर बाजार के सूचकांकों के उतार-चढ़ाव के आधार पर लगाया जा सकता है अर्थात् सरल शब्दों में शेयर बाजार अर्थव्यवस्था का आईना बन गया है।

देश के शेयर बाजार के तेजी से बढ़ने की संभावना के कारण:

राष्ट्रीय कारण

- कोरोना टीकों की, उत्पादन क्षमता के मामले में भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है।
- भारत, अधिकांश देशों को कोरोना टीके उपलब्ध करवा रहा है।
- 16 जनवरी 2021 से भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हुआ व सफलतापूर्वक चल रहा है।
- देश की जीडीपी ग्रोथ रेट में रिकवरी देखने को मिली है।

अंतर्राष्ट्रीय कारण

- ब्रेकिंग समझौते से वैश्विक बाजार में अस्थिरता का माहौल दूर हुआ है।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार से सकारात्मकता का माहौल बना है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भारत के अच्छे संबंधों की संभावनाओं से भी निवेशक प्रोत्साहित हुए हैं।

उपरोक्त कारणों के चलते देशी व विदेशी निवेशकों की गतिविधियाँ फिर से जोर पकड़ने लगी हैं छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से निवेशकों की संख्या में खासी वृद्धि हुई है। लोगों की मानसिकता बदली है कि शेयर बाजार जुआघर नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को मापने का एक पैमाना है।

भारतीय शेयर बाजार के उछाल में बजट 2021-22 की भूमिका:

- बजट में कर बढ़ाने के स्थान पर संपत्तियों के मौद्रिकरण का रास्ता चुना गया।
- बजट में प्रत्यक्ष कर व जीएसटी से राजस्व प्राप्ति में 22% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है।
- Disinvestment से प्राप्त होने वाली आय का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रखा गया है।
- बजट में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 6.8% तक बढ़ाने में वित्त मंत्री ने कोई संकोच नहीं किया। यदि वित्त मंत्री ने नए बजट में राजकोषीय घाटा नियंत्रित करने पर अधिक जोर दिया होता तो इससे बाजार सहित निवेशकों के मनोबल पर बुरा असर पड़ता।
- वित्त मंत्री ने FRBM Act, 2003 व क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की परवाह किए बिना एक नया राजकोषीय खाका पेश किया।
- बजट में बीमा क्षेत्र में FDI को 45% से बढ़ाकर 74% करना, IDBI के अतिरिक्त दो बैंकों का निजीकरण, एलआईसी का आईपीओ व विद्युत क्षेत्र में डिस्काम कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा लाना जैसे निर्णयक कदम लिये गये हैं।
- आधारभूत संरचना के विकास हेतु Development Finance Institution का गठन जिसके लिए बजट से 20 हजार करोड़ की राशि का आवंटन किया है यह संस्था आगामी 3 वर्षों में 5 लाख करोड़ की पूंजी जुटायेगी।
- सार्वजनिक बैंकों के बढ़ते हुए एनपीए पर नियंत्रण हेतु 20 हजार करोड़ रुपये पुर्नपूँजीकरण हेतु आवंटित किये गये हैं।
- बजट में सरकार ने आर्थिक सुधार जारी रखने की इच्छा शक्ति भी दिखाई है।

भारतीय शेयर बाजार के सशक्तीकरण के प्रयास:

- सेबी द्वारा शेयर बाजार में हेरफेर की गतिविधियों से सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। ताकि पूंजी बाजार में जोड़-तोड़ को रोका जा सके।
- सेबी, शेयर बाजार की गतिविधियों पर सतर्कता से ध्यान देकर शेयर बाजार को नई दिशा दे।
- बाजार के संदिग्ध उतार-चढ़ावों पर सतत निगरानी रखी जाए।
- शेयर बाजारों में घोटाले रोकने के लिए डी-मैट और पैन की व्यवस्था को और कारगर बनाया जाए।
- शेयर बाजार को प्रभावी व सुरक्षित बनाने के लिए सूचीबद्ध कंपनियों में गड़बड़ियाँ रोकने पर विश्वनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने पर विचार किया जाय।

1. भारत के रक्षा एवं प्रतिरक्षा हेतु पहले

नाम	संबंधित क्षेत्र	विशेषतायें/महत्व
<ul style="list-style-type: none"> फास्ट इण्टरसेप्टर क्राफ्ट (तीव्र गश्ती पोत) 	भारतीय नौसेना	<ul style="list-style-type: none"> 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के पश्चात् नौसेना द्वारा “सागर प्रहरी बल” गठित किया गया था, जिसे तटीय सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इस प्रहरी बल को दो इण्टरसेप्टर क्राफ्ट नौकाएँ जो भारी मशीनगन तथा विभिन्न प्रकार के अस्त्र-शस्त्र को ढोने में सक्षम होने के साथ-साथ उथले पानी में काम करने में सक्षम है, शामिल की गयी। अब तक कुल 4 तीव्र गश्ती पोतों को शामिल किया गया है- (i) ICGS प्रियदर्शिनी (ii) ICGS एनीबेसेंट (iii) ICGS अमृत कौर (iv) ICGS कमला।
<ul style="list-style-type: none"> अग्नि-4 मिसाइल का सातवां परीक्षण 	बैलेस्टिक मिसाइल	<ul style="list-style-type: none"> 23 दिसम्बर, 2018 को रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन द्वारा निर्मित अग्नि-4 मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 4000 किमी. है, का सफल परीक्षण उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया।
<ul style="list-style-type: none"> LRSAM मिसाइल/बराक-8 का सफल परीक्षण 	लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल	<ul style="list-style-type: none"> 24 जनवरी, 2019 को ओडिशा तट के निकट स्थित INS चेन्नई नामक युद्धपोत से उड़ान भरकर हवाई लक्ष्य को ध्वस्त किया। इस मिसाइल का विकास DRDO तथा इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस मिसाइल को विमानों, हेलिकॉप्टरों, पोत-रोधी मिसाइलों, मानव रहित विमानों जैसे हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया।
<ul style="list-style-type: none"> हेलीना 	एण्टी-टैंक मिसाइल	<ul style="list-style-type: none"> यह अत्याधुनिक एण्टी टैंक हथियार सेना के लिए DRDO द्वारा पूर्णता स्वदेशी तकनीक से निर्मित किया गया है।
<ul style="list-style-type: none"> तेजस 	नौसेना संस्करण के लिए हल्के लड़ाकू विमान	<ul style="list-style-type: none"> भारतीय वायु सेना में यह विमान पहले से शामिल है। अब स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस का नौसेना संस्करण का सफल परीक्षण भारत द्वारा किया गया। इन परीक्षणों का उद्देश्य किसी विमानवाहक पोत पर इन विमानों की लैंडिंग करना था। अब तक अमेरिका, रूस, यूरोप व चीन के पास ही ऐसी क्षमता है कि वे विमानवाहक पोत से विमानों का संचालन कर सकें।
<ul style="list-style-type: none"> अग्नि-5 मिसाइल का सातवां सफल परीक्षण 	सतह-से-सतह मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल	<ul style="list-style-type: none"> 5000 किमी. से भी अधिक रेंज की यह मिसाइल अग्नि श्रृंखला की अन्य सभी मिसाइलों की तुलना में अधिक उन्नत है, का 7वां सफल परीक्षण उड़ीसा के तहत के निकट अब्दुल कलाम द्वीप पर 10 दिसम्बर, 2018 को हुआ।
<ul style="list-style-type: none"> आई एन एस अरिहन्त 	परमाणु पनडुब्बी	<ul style="list-style-type: none"> आईएनएस अरिहन्त नामक पनडुब्बी के नौसेना में शामिल होते ही भारत जल, थल और नभ तीनों जगहों से परमाणु हमला करने में सक्षम हो गया है। पाकिस्तान और चीन इसकी प्रहार-सीमा के भीतर आते हैं।
<ul style="list-style-type: none"> अस्त्र मिसाइल 	वायु सेना	<ul style="list-style-type: none"> दृश्यता सीमा से बाहर तक हवा से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल DRDO द्वारा विकसित की गयी है, जिसे सुखोई-30 विमानों में लगाने के लिए बनाया गया है।

अनुसंधान एवं विकास एकदिवसीय परीक्षा प्रकोष्ठ

- | | | |
|--------------------------------------|--|---|
| • ICGS वाराह | भारतीय नौसेना में शामिल | <ul style="list-style-type: none"> अपतटीय गश्ती पोत के निर्माण हेतु लार्सन एण्ड टूब्रो तथा केन्द्रीय रक्षा मंत्रालय के मध्य 7 अपतटीय गश्ती पोतों के लिये समझौता हुआ। समझौते के तहत निर्मित अपतटीय गश्ती पोत है- ICGS विक्रम, ICGS विजया और 2 नवम्बर को जलावतरण हुआ ICGS वाराह है। अत्यधिक हल्की जिसे हेलिकॉप्टरों की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, कि मारक क्षमता 24-30 किमी. है। भारत ने नवम्बर 2016 में “विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम” के तहत 145 तोपों की खरीद हेतु अमेरिका से समझौता किया था, जिसके तहत 25 तोपे अमेरिका से आयात की जायेगी शेष तोपे भारत में महिन्द्रा समूह की साझेदारी से तैयार किया जायेगा। |
| • M777 होवित्जर तोप | थल सेना में शामिल | <ul style="list-style-type: none"> 28-38 किमी. तक की मारक क्षमता वाली ये तोपे स्व-प्रणोदित (Self Propelled) है। इन तोपों के निर्माण के लिए दक्षिण कोरिया की कम्पनी ‘हनव्हा टेकविन’ व भारत की कम्पनी लार्सन एण्ड टूब्रो के मध्य अप्रैल, 2017 में 100 तोपों की आपूर्ति का समझौता हुआ, जिसमें से 10 तोपें दक्षिण कोरिया से आयात की जायेगी, जबकि शेष तोप भारत में निर्मित की जायेगी। 200 किग्रा. तक का पारंपरिक एवं नाभिकीय युद्धशीर्ष ले जाने में सक्षम यह मिसाइल 150 किमी. दूरी तक के लक्ष्य को ध्वस्त कर सकती है। DRDO द्वारा विकसित इस मिसाइल का परीक्षण बालासोर उड़ीसा के चांदीपुर में 20 सितम्बर 2018 को किया गया। इस मिसाइल को बिना किसी पूर्व तैयारी के 2-3 मिनटों की नोटिस पर दागा जा सकता है। अर्थात् यह त्वरित जवाबी कार्यवाही के लिए निर्मित की गई है। |
| • K9 वज्र-टी तोप | थल सेना में शामिल | <ul style="list-style-type: none"> यह मिसाइल भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। शुरूआती चरण में इस मिसाइल की मारक क्षमता 300 किमी. थी, परन्तु भारत के MTCR का सदस्य बन जाने के पश्चात् इसकी मारक क्षमता को बढ़ाकर 450 किमी. तक कर दिया गया है। 22 अक्टूबर, 2019 को वायु सेना द्वारा गतिशील प्लेटफॉर्म से इसका पहला सफल परीक्षण किया गया। |
| • प्रहार मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण | सतह से सतह मार करने वाली सामरिक मिसाइल | <ul style="list-style-type: none"> भारत इस किट को अमेरिका व रूस जैसे देशों से आयात करता था परन्तु देश की सुरक्षा में लगे अर्धसैनिक बल और पुलिस बलों के लिए “परमाणु चिकित्सा और सहयोगी विज्ञान संस्थान” ने 20 वर्षों सुरक्षा की कड़ी मेहनत के बाद 13 सितम्बर, 2018 को पहली स्वदेश एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट तैयार करने में सफलता प्राप्त की है। इस किट में 25 सामग्री है, जिसमें हल्के नीले रंग की गोली प्रमुख है। यह गोली रेडियो सेसियस और रेडियो थैलियम |
| • ब्रह्मोस मिसाइल | सतह, वायु तथा समुद्र तीनों क्षेत्रों से लांच की जा सकती है | |
| • एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट | परमाणु युद्ध या रेडियोधर्मी विकिरण से प्रभावित लोगों के उपचार हेतु मेडिकल किट है | |

- **मैन पोर्टेबल एण्टी-टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण** नाग मिसाइल श्रृंखला का हिस्सा
- **पिनाका मार्क-11 का सफल परीक्षण** गाइडेड प्रणाली से लैस राकेट
- **QRSAM का सफल परीक्षण** त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है।
- **निर्भय मिसाइल का परीक्षण** सब-सोनिक क्रूज मिसाइल
- **धनुष तोप** स्वेदशी बोफोर्स के नाम से जानी जाती है
- **CH-47F** उन्नत मल्टी मिशन हेलिकॉप्टर
- **असॉल्ट राइफल** भारतीय थल सेना के आधुनिकीकरण को केन्द्र में रख कर अमेरिका से असॉल्ट राइफल का आयात किया जाना है
- DRDO द्वारा विकसित इस मिसाइल को कंधे पर रखकर चलाया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 4 किमी. है तथा यह मिसाइल किसी टैंक को ध्वस्त करने में सक्षम है।
- पूर्व में पिनाका में दिशा-निर्देश प्रणाली (गाइडेड) नहीं थी और उसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर थी, परन्तु पिनाका मार्क-11 एक उन्नत संस्करण है और इसकी मारक क्षमता 70 किमी. है।
- QRSAM लघु दूरी की मिसाइल है, जो एक साथ कई लक्ष्यों को भेद सकती है, इसकी मारक क्षमता 25-30 किमी. है। यह नाभिकीय एवं जैव हथियार ले जाने में सक्षम है। इसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी तैनात किया जा सकता है।
- DRDO द्वारा विकसित, इसका पहला परीक्षण वर्ष 2013, 2014, 2017 व 2019 में किया गया। यह 200 से 300 किग्रा. वजन को ले जाने वाली मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किमी. है।
- 20 फरवरी 2019 को रक्षा मंत्रालय ने आयुद्ध निर्माणी कानपुर और फील्ड गन फैक्टरी को 144 धनुष तोप के निर्माण की मंजूरी दी है। वर्ष 2022-23 तक 144 धनुष तोप सेना को सौंपने का लक्ष्य है। यह वर्ष 1980 में स्वीडन से आयातित बोफोर्स तोप का उन्नत संस्करण है। धनुष तोप में दिन व रात दोनों समय में फायरिंग की सुविधा है, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से चलने के कारण निशान सटीक लगाने में सक्षम है तथा स्वचालन प्रणाली होने के कारण इसे पहाड़ों पर आसानी से तैनात किया जा सकता है। यह दो फायर प्रति मिनट करने के साथ-साथ लगातार दो घण्टे तक फायर करने में सक्षम है।
- सितम्बर 2015 में भारत की एयरोस्पेस कम्पनी बोइंग और अमेरिकी सरकार के बीच 15 मल्टी मिशन हेलिकॉप्टर खरीदने का समझौता हुआ था, जिसके चलते प्रथम 4 हेलिकॉप्टर भारत की वायु सेना को 10 फरवरी 2019 को सौंपा गया। 9.6 टन वजनी CH-47F हेलिकॉप्टर्स भारी मशीनरी, तोप, बखतरबन्द गाड़ी लाने ले जाने में सक्षम है।
- रक्षा मंत्रालय द्वारा 1 फरवरी, 2019 को अमेरिका से 73 हजार असॉल्ट राइफल की खरीद को मंजूरी दी गयी। यह राइफल भारतीय सेना द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली इंसॉस राइफलों का स्थान लेगी। इन आयातित राइफलों का प्रयोग भारत और चीन की लगभग 3600 किमी. सीमा पर तैनात सैनिकों द्वारा किया जायेगा।

अनुसंधान एवं विकास एकदिवसीय परीक्षा प्रकोष्ठ

- चीनूक हेलीकॉप्टर भारतीय वायु सेना
 - 26 मार्च 2019 को अमेरिका में निर्मित भारी वजन को उठाने में सक्षम 4 चीनूक हेलीकॉप्टर को भारतीय वायु सेना में सम्मिलित किया गया। रात और दिन दोनों में सैनिकों के साथ-साथ विस्फोटक सामग्री, हथियार ले जाने में सक्षम चीनूक हेलीकॉप्टर में दो पंखे लगे हुए हैं। यह आपात राहत अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगा।
- ए-सैट (शक्ति) मिसाइल अंतरिक्ष तक मार करने वाली मिसाइल
 - 27 मार्च 2019 को अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत का दुनिया का चौथा देश बना गया जिसने अंतरिक्ष तक मार करने वाली स्पेस अंतरिक्ष मारक मिसाइल का विकास किया। पृथ्वी से 300 किमी दूर एलइओ निम्न भू कक्षा में स्थित ए-सैट उपग्रह को 3 मिनट के अन्दरमार गिराया।
- टी-90 युद्धक टैंक
 - 18 अप्रैल-2019 को भारत रूस से 464 टी-90 युद्धक टैंक खरीदने पर सहमति बनी। इस टैंक की एसेम्बलिंग अवाणि चेन्नई स्थित आयुध निर्माण फैक्ट्री ने किया।
- आकाश मार्क-एस.आई. सतह से हवा
 - मध्यम दूरी, सतह से हवा में मार करने वाली विमान भेदी प्रक्षेपास्त आकाश का 25 एवं 27 मई 2019 को सफलता पूर्वक परीक्षण किया गया। इस मिसाइल का विकास वर्ष 1990 से किया जा रहा है।

2. विश्व में रक्षा एवं प्रतिरक्षा हेतु पहले

- | नाम | संबंधित देश | महत्वपूर्ण विशेषता |
|-------------------------------|---|---|
| • टाइप-15 टैंक | चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में शामिल | • नई पीढ़ी के ये टैंक, चीन में बना स्वदेशी टैंक है, जो हल्के युद्धक टैंक है तथा पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर कार्यकुशल है। इस टैंक में 105 MM की गन लगी है, जिससे गाइडेड मिसाइलें भी दागी जा सकती है। |
| • अवानगार्ड | रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण | • 26 दिसम्बर, 2018 को ध्वनि की गति से 27 गुना तेज गति वाली इस हाइपरसोनिक मिसाइल जो किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आ सकेगी एवं इस मिसाइल के सामने हर मिसाइल डिफेंस सिस्टम नाकाम सिद्ध होगा, का सफल परीक्षण किया गया। इस हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण के बाद रूस नए तरह के रणनीतिक हथियारों को बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। |
| • S-400 मिसाइल का सफल परीक्षण | चीन द्वारा S-400 मिसाइल का परीक्षण | • 27 दिसम्बर, 2018 को चीन ने रूस से आयातित S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम (वायु रक्षा प्रणाली) का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल 400 किमी. दूरी तक दुश्मन के विमान, मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। |
| • स्टैरी स्काई-2 | चीन का हाइपरसोनिक एयर क्राफ्ट है | <p>नोट: चीन ने रूस के साथ 2014 में इस रक्षा प्रणाली को 3 बिलियन अमेरिकी डालर के समझौते से प्राप्त किया था, जबकि भारत ने 2018 में यह रक्षा प्रणाली 5 अरब डालर के समझौते से प्राप्त की है।</p> <p>• हाइपरसोनिक एयर क्राफ्ट स्टैरी स्काई-2 एण्टी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसमें नाभिकीय हथियारों के माध्यम से इसे घातक बनाया गया है। इस हाइपरसोनिक एयर क्राफ्ट की गति, ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक है। चीन</p> |

- मदर ऑफ आल बॉम्स चीन द्वारा सबसे शक्तिशाली गैर-परमाणु हथियार का परीक्षण
- एरो-3 मिसाइल का सफलता पूर्ण परीक्षण अमेरिका व इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित और वित्तपोषित मिसाइल है

के द्वारा किसी हाइपरसोनिक एयर क्राफ्ट का यह पहला सफल परीक्षण है, जो अमेरिका की सैन्य संरचना पर दबाव डालने की चीन की रणनीति को दर्शाता है।

- चीन का दावा है कि अमेरिका के मदर ऑफ आल बॉम्स तथा रूस के फादर ऑफ आल बॉम्स की तुलना में चीन का यह संस्करण सबसे खतरनाक है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि परमाणु हथियार के बाद यह बम दूसरा सबसे घातक हथियार है।

22 जनवरी, 2019 को इजराइल के एयरबेस पर तैनात एरो-3 नामक यह मिसाइल, अन्तर्माहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सहित बैलिस्टिक मिसाइल को बाहरी वायुमण्डल में नष्ट करने में सक्षम है। यह परमाणु, रासायनिक, जैविक या पारम्परिक हथियार ले जाने में सक्षम है।

3. युद्धाभ्यास

युद्धाभ्यास का नाम	भाग लेने वाले देश	तिथि	महत्वपूर्ण तथ्य
• हैण्ड-इन-हैण्ड 2018 (Hand-in-Hand 2018)	भारत-चीन	10-23 दिसम्बर 2018	स्थान: चीन के चेंगदू में आयोजित विशेष: शहरी आतंकवाद तथा शहरी वातावरण में आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को बचाने के लिए ड्राइविंग कौशल तथा लाइव फायरिंग पर बल दिया गया।
• धर्म गार्जियन 2018 (Dhram Gargian 2018)	भारत-जापान	1-14 नवम्बर, 2018	स्थान: भारत के काउंटर इनसेर्जेसी वारफेयर स्कूल में आयोजित। विशेष: प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन दोनों देशों के बीच रक्षा, सहयोग सहित सामरिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इससे आतंकवाद से जुड़े वैश्विक घटनाक्रम पर करीबी नजर रखने में आसानी होगी।
• वरूण 2019	भारत-फ्रांस	1-10 मई 2019	भारत और फ्रांस के बीच पहली बार नौ सैनिक युद्ध अभ्यास की शुरुआत 1993 में की गयी थी। दूसरा युद्ध अभ्यास 2003 में एवं यह तीसरा युद्ध अभ्यास था।
• नौमैडिक एलीफेंट 2018 (Nomadic Elephant 2018)	भारत-मंगोलिया	10-21 सितम्बर 2018	स्थान: उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित। विशेष: 13वां वार्षिक थल सेना सैन्य अभ्यास है।
• युद्ध अभ्यास 2018 (Udha Abhyas 2018)	भारत-अमेरिका	16-19 सितम्बर 2018	स्थान: चौबटिया उत्तराखण्ड भारत में आयोजित। विशेष: 14वें वार्षिक सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के लगभग चार-चार सौ सैन्य कर्मी शामिल हुए।
• काजिंद 2018 (KAZIND 2018)	भारत-कजाखस्तान	10-23 सितम्बर 2018	स्थान: ओटार कजाखस्तान में आयोजित। विशेष: दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग के चलते यह तीसरा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है।
• एक्सरसाइज मैत्री 2018 (Exercise Maitree 2018)	भारत-थाईलैंड	6-19 अगस्त 2018	स्थान: थाईलैंड में आयोजित। विशेष: आपसी साझेदारी एवं सहयोग संवर्द्धन के उद्देश्य से संयुक्त अभ्यास।
• पीस मिशन 2018 (Peace Mission 2018)	भारत-पाकिस्तान	24-29 अगस्त 2018	स्थान: रूस में आयोजित। विशेष: शंघाई सहयोग संगठन के 8 सदस्य जिसमें भारत व पाकिस्तान भी शामिल है, ने संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास में शामिल हुए।

अनुसंधान एवं विकास एकदिवसीय परीक्षा प्रकोष्ठ

• इन्द्र 2018 (Indra 2018)	भारत-रूस	18-28 नवम्बर 2018	स्थान: बबीना सैन्य क्षेत्र, झाँसी, उत्तर प्रदेश (भारत)। विशेष: भारत एवं रूस के मध्य आपसी संबंधों को मजबूत बनाने हेतु प्रत्येक वर्ष इन्द्र सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है।
• सी विजिल 2019 (C vizal 2019)	भारतीय नौसेना द्वारा	22-23 जनवरी 2019	स्थान: देश के तटीय और विशेष आर्थिक क्षेत्र को कवर किया गया। विशेष: समुद्र के रास्ते होने वाले हमले के खिलाफ देश की रक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने इतने बड़े स्तर पर रक्षा अभ्यास का आयोजन किया।
• वायु शक्ति 2019	भारतीय वायु सेना द्वारा	8-18 फरवरी 2019	स्थान: पोखरण रेंज राजस्थान में आयोजित। विशेष: इस अभ्यास में वायुसेना के कुल 138 विमान शामिल हुए तथा अभ्यास के दौरान सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश ने निशाना भेदा साथ ही हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का परीक्षण किया।

(iii) हाल के वर्षों में भारत के रक्षा खरीद सौदे

रक्षा सामग्री	देश
• एडमिरल गोर्शकोव, परमाणु पनडुब्बी नेरपा, सुखोई-30, T-90, टैंक केए-226 टी बहुउद्देश्यीय हेलीकॉप्टर, एस-400 वायु रक्षा प्रणाली	रूस
• मिराज 2000, स्कॉर्पियन पनडुब्बी, 36 राफेल लड़ाकू विमान	फ्रांस
• रडार (फॉल्कन) प्रणाली (अवाक्स), बराक मिसाइल प्रणाली, हिरान टीपी ड्रोन	इजराइल
• IL-76, उज्बेकिस्तान का विमान, रूसी इंजन	रूस, उज्बेकिस्तान
• एडवांस्ड जेड ट्रेनर विमान	इंग्लैण्ड
• बोफोर्स तोप	स्वीडन
• SDW पनडुब्बी	जर्मनी
• डेनेल राइफलें	द. अफ्रीका
• C-130 J सुपर हरक्यूलिस विमान, C-17 ग्लोब मास्टर-III विमान, 4 चिनूक हेलीकॉप्टर एवं 22 अपाचे हेलिकाप्टर, पी-81 नौसैनिक निगरानी विमान, 89 पोत भेदी हारपून मिसाइलें	अमेरिका
• 777 अल्ट्रा-लाइट हाविट्जर (Howitzer) तोप	दक्षिण कोरिया

4. अन्तरिक्ष के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने अपनी नई-नई उपलब्धियों से पूरे विश्व समुदाय को आश्चर्य में डाल दिया है। हाल ही में इसरो ने 29 नवम्बर 2018 को अपने उपग्रह प्रक्षेपणयान PSLV-C43 से 1 स्वदेशी व 30 विदेशी उपग्रह प्रक्षेपित कर कीर्तिमान रचा। इससे पूर्व इसरो ने 15 फरवरी, 2017 को PSLV-C37 से 104 उपग्रहों जिसमें दो उपग्रह स्वदेशी व शेष सभी विदेशी उपग्रह को प्रक्षेपित कर विश्व कीर्तिमान रचा। सांप सपेयों का देश कहे जाने वाले भारत देश को “इसरो” चांद, मंगल और अब अंतरिक्ष में मानव भेजने की तैयारी में लगा हुआ है, देश का यह लक्ष्य 2022 तक गगन यान के प्रक्षेपण से पूरा हो जायेगा। इसरो का यह सफर सम्पूर्ण विश्व को यह पैगाम देगा कि भारत जितना अध्यात्म में आगे है, उतना ही वैज्ञानिक प्रगति में भी।

तिथि	प्रक्षेपणयान	प्रक्षेपित उपग्रहों के नाम	विशेषताएं/महत्व
1. 11 जनवरी, 2020	एरियन-5वीए-251	जीसैट-30	• संचार सेवाओं की गुणवत्ता को समर्पित यह उपग्रह इनसेट-4ए का स्थान लेगा। एशियायी देशों सहित ऑस्ट्रेलिया में भी सूचना संचार सेवाएं मजबूत होंगी। 3357 कि.ग्रा. वजनी यह उपग्रह जीएसओ कक्षा में स्थापित किया गया है।
2. 11 दिसम्बर, 2019	पीएसएलवी-सी48	रीसैट-2बीआर 1	• इसरो द्वारा 28 दिसम्बर, 2019 को PSLV-C48 के माध्यम से प्रक्षेपण किया है। रीसैट-2बीआर 1 जो कि एक रडार प्रतिबिम्बन भू-प्रक्षेपण उपग्रह है। इसके साथ ही 9 विदेशी उपग्रहों का भी सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया।

3.	27 नवम्बर, 2019	पीएसएलवी-सी47	कार्टोसैट 3	<ul style="list-style-type: none"> इसरो द्वारा 27 नवम्बर, 2019 को PSLV-C47 के माध्यम से प्रक्षेपण किया है। कार्टोसैट मानचित्रण से सम्बन्धित एक ऐसा उपग्रह है, जो कि भारत के सीमा क्षेत्रों की निगरानी में भी इसका प्रयोग किया जायेगा।
4.	22 मई, 2019	पीएसएलवी-सी46	री-सैट 2बी	<ul style="list-style-type: none"> इसरो ने 614 किग्रा वजनी सुदूर संवेदी उपग्रह भेजा, जोकि सिंथेटिक एपर्चर राडार का प्रयोग कर सभी मौसमों की तस्वीरें पृथ्वी को भेजेगा। मौसम, कृषि, वाणिज्य, आपदा प्रबन्धन के साथ-साथ रणनीतिक निगरानी, सैन्य निगरानी तथा तोही निगरानी में इसका प्रयोग किया जायेगा।
5.	1 अप्रैल, 2019	पीएसएलवी-सी45	एमिसैट	<ul style="list-style-type: none"> यह पहला अवसर था, जब अलग-टलग तीन कक्षाओं में 29 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। एमिसैट के साथ 28 विदेशी और नैनो उपग्रह प्रक्षेपित किये गए। एमिसैट विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को मापने में सक्षम है और आसमान में रहते हुए संचार प्रणालियां, राडार और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाले सिगनल को पकड़ेगा। यह पीएसएलवी का 47वां अभियान था, जिसमें 748 किमी. की ऊँचाई पर 436 किग्रा. वजनी सैन्य उपग्रह एमिसैट को प्रक्षेपित किया गया है। कुल 28 विदेशी उपग्रहों में सबसे ज्यादा 24 अमेरिका के उपग्रह हैं।
6.	6 फरवरी, 2019	एरियन-5	GSAT-31	<ul style="list-style-type: none"> यूरोप की एरियन स्पेस कम्पनी के द्वारा एरियन-5 प्रक्षेपणयान से 2535 किग्रा. वजनी GSAT-31 को पृथ्वी की भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया। इस उपग्रह का इस्तेमाल भारत की मुख्य भूमि और द्वीपों को संचार सेवाएं उपलब्ध कराएगा साथ ही एटीएम, स्टॉक एक्सचेंज, डिजिटल सेटेलाइट, न्यूज गैदरिंग और ई-गवर्नेंस एप्स के लिए वीएसएटी कनेक्टिविटी और डीटीएच टेलीविजन सेवाएं उपलब्ध कराएगा।
7.	24 जनवरी, 2019	PSLVC-44	कलामसैट व माइक्रोसैट-आर	<ul style="list-style-type: none"> कलामसैट व माइक्रोसैट-आर को श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेन्टर से लांच किया गया। कलाम सैट की विशेषताएं: 1.2 किलोग्राम वजनी यह उपग्रह दुनिया का सबसे छोटा उपग्रह है, जिसे हाईस्कूल के छात्रों की टीम ने तैयार किया है। यह दुनिया का सबसे हल्का और पहला 3डी प्रिंटेड सैटेलाइट है। माइक्रोसैट-आर की विशेषताएं: यह अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीरें लेने में सक्षम है।
8.	19 दिसम्बर 2018	GSLV-F11	जीसैट-7ए	<ul style="list-style-type: none"> 2250 किग्रा. वजनी यह उपग्रह भारतीय क्षेत्र में “केयू-बैंड” (KU-Band) आधारित संचार सेवा उपलब्ध कराने हेतु पृथ्वी के “भू-तुल्य-कालिक अंतरण कक्षा” (GTO) में स्थापित किया गया है। यह उपग्रह भारतीय वायुसेना को बेहतर संचार सेवा देने के खास इरादे से लांच किया गया है।
9.	5 दिसम्बर 2018	एरियाने-5	जीसैट-11	<ul style="list-style-type: none"> यह उपग्रह कौरू प्रक्षेपण स्थल फ्रेंचगुयाना से प्रक्षेपित भारत का सबसे भारी (5834 किग्रा.) उपग्रह है। इस

10. 29 नवम्बर, 2018	PSLV-C43	हाइसिस (Hys IS) स्वेदश निर्मित उपग्रह व 30 विदेशी उपग्रह (1 माइक्रो और 29 नैनो उपग्रह) प्रक्षेपित	<p>उपग्रह के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत ब्रांडबैंड सर्विस उपलब्ध कराई जाएगी।</p> <ul style="list-style-type: none"> Hyper Spectral Imaging Satellite-Hys IS पृथ्वी से लगभग 980 किमी. ऊंचाई पर ध्रुवीय सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में रहते हुए कृषि, वानिकी मृदा व तटीय क्षेत्रों आदि के सम्बन्ध में, आंकड़े उपलब्ध कराएगा तथा सेना की जरूरतों को भी यह पूरा कर सकेगा। इसका जीवन काल 5 वर्ष अनुमानित है। 30 विदेशी उपग्रहों में 23 उपग्रह अमेरिका के हैं। शेष 7 उपग्रह क्रमशः आस्ट्रेलिया, कनाडा, कोलम्बिया, फिनलैण्ड, मलेशिया, नीदरलैण्ड्स व स्पेन के हैं। 3423 किग्रा. वजन का जीसैट-29 भारत की धरती से प्रक्षेपित अब तक का सबसे भारी उपग्रह है। यह उपग्रह जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने में मददगार होगा। इसका जीवनकाल 10 वर्ष अनुमानित है। GSLV-MK-III D2 स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जिसमें स्वदेशी तकनीक से तैयार क्रायोजेनिक इंजन लगा है और इसका प्रयोग उपग्रहों को “भू-तुलकालिक अंतरिक्ष कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए विकसित किया गया है।
11. 14 नवम्बर, 2018	GSLV-MK-III D2	जीसैट-29	<ul style="list-style-type: none"> इसरो ने पूर्णतः व्यावसायिक उड़ान के तहत 450-450 किग्रा. वजन के ब्रिटेन के दोनों उपग्रहों को अंतरिक्ष में निर्धारित कक्षा में स्थापित किया।
12. 16 सितम्बर, 2018	PSLV-C42	Nova SAR व S1-4 (दोनों ब्रिटेन के उपग्रह)	<ul style="list-style-type: none"> IRNSS भारत को क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है, जो दक्षिण एशिया पर लक्षित होगी। यह उपग्रह देश के भीतर और इसकी सीमा से लगभग 1500 किमी. तक के क्षेत्र में प्रयोगकर्ताओं की स्थिति, नेविगेशन तथा समय की सटीक जानकारी के लिए संकेत प्रेषित करता है।
13. 12 अप्रैल 2018	PSLV-C41	IRNSS-1 आई	<p>नोट: अब तक IRNSS के कुल 8 उपग्रह प्रक्षेपित किये जा चुके हैं, जो निम्नवत् हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IRNSS 1A, 2. IRNSS 1B, 3. IRNSS 1C, 4. IRNSS 1D 5. IRNSS 1E, 6. IRNSS 1F, 7. IRNSS 1G, 8. IRNSS 1H <p>नोट: वर्ष 2017 में IRNSS 1H उपग्रह का प्रक्षेपण विफल हो गया था।</p>

5. अन्तरिक्ष में भारत के प्रस्तावित उपग्रह-कार्यक्रम (2020-2028)

1. गगनयान मिशन :
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 28 दिसम्बर, 2018 को भारत के पहले स्वदेशी मानव अंतरिक्षयान कार्यक्रम को मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि इस परियोजना को **गगनयान परियोजना** नाम दिया गया है। इस मिशन के तहत 3 भारतीय अंतरिक्षयात्री 7 दिन अंतरिक्ष में गुजारेंगे। इस मिशन के 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसरो द्वारा जल्द ही अंतरिक्ष में मानव भेजने के लिए बंगलौर में **ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेन्टर** स्थापित किया जायेगा जिसके निदेशक उन्नीकृष्णन नायर होंगे।
 - परियोजना की मुख्य बातें**
 - इसरो, अंतरिक्ष में जाने वाले क्रू के प्रशिक्षण के लिए बेंगलुरु स्थिति इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोस्पेस

मेडिसीन के साथ कार्य करेगा तथा भारतीय वायुसेना क्रू का चयन करेगी।

- इसरो का लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रियों को धरती से 350-400 किलोमीटर की ऊंचाई तथा धरती की कक्षा तक भेजना है।
- भारत मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाला विश्व का चौथा देश होगा।
- रूस ने 12 अप्रैल, 1961 में यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रच दिया था। फिर अमेरिका ने 5 मई, 1961 को एलन शेफर्ड को अंतरिक्ष में पहुंचा कर यह कारनामा दोहराया और तीसरी उपलब्धि चीन के खाते में आयी है। चीन ने 15 अक्टूबर, 2003 में यांग लिवेई को अंतरिक्ष में पहुंचाया।
- अंतरिक्ष का मानव मिशन कितना दुरूह होता है, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि चीन 2003 में इसमें सफल हुआ था और पिछले डेढ़ दशक में अन्य कोई स्पेस एजेंसी ऐसा नहीं कर सकी है, जबकि दुनिया में तकनीक लगातार अत्याधुनिक होती जा रही है। जाहिर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) यदि इस अभियान में कामयाब होता है, तो यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
- गगनयान को **स्वदेशी जीएसएलवी मार्क-3** राकेट से अंतरिक्ष में भेजा जायेगा। यह भारत का सबसे भारी भरकम और सफल राकेट है। इसे **बाहुबली** उपनाम से भी जाना जाता है।
- इसरो की चिंता यह है कि अभी उसके पास **बायोलॉजिकल साइंटिस्ट और ह्यूमन मेडिकल सिस्टम** के अच्छे विशेषज्ञ नहीं हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जो जीवन रक्षक तंत्र बनाया जायेगा, उसमें इन विशेषज्ञों की खासी जरूरत होती है। हो सकता है कि इसके लिए भारतीय वायुसेना और इंस्टीट्यूट ऑफ इसरो स्पेस मेडिसिन से मदद मांगी जाये।
- वर्तमान में स्पेस के क्षेत्र में भारत काफी बेहतर स्थिति में है। हम अपना रॉकेट खुद बना रहे हैं। सैटेलाइट भी तैयार कर रहे हैं। एप्लीकेशन में तो हम अक्वल हैं ही। फिर कम खर्च में सैटेलाइट बनाने और उसे लॉच करने में भी हमें महारत हासिल हो चुकी है। ऐसे में, इस मिशन के साथ हमारी निगाहे भविष्य की उस स्थिति पर भी बनी हुई हैं, जब चंद्रमा और मंगल पर लोग बसेंगे। इसरो उसी ओर अपनी उड़ान भर रहा है। यदि जरूरत महसूस हुई, तो हम भी वहाँ कालोनी बसा सकेंगे। गगन यान हमें इस सपने के करीब लाने वाला मिशन साबित होगा।
- **रीएंट्री एवं रिकवरी तकनीक:** इसरो द्वारा आम तौर पर लांच किये गये उपग्रह अंतरिक्ष में ही बने रहने के लिए होते हैं। यहाँ तक कि चंद्रयान और मंगलयान भी पृथ्वी पर लौटने के लिए नहीं बने थे, जबकि गगनयान रिकवरी तकनीक से लैस है जो तकनीकी खामी की स्थिति में पृथ्वी पर लौट आयेगा।
- **लाइफ सपोर्ट सिस्टम:** यह यान लाइफ सिस्टम से युक्त है। इस तकनीक में केबिन का दबाव, हवा के घटकों, कार्बन डाईऑक्साइड को निकालने तथा आपातकालीन मदद मुहैया कराने की सुविधा उपलब्ध है।
- गौरतलब है कि इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की योजना पर 2004 में काम करना शुरू कर दिया था। विदित हो कि क्रू माड्यूल की उड़ान का सफल प्रायोगिक परीक्षण 2014 में पूरा हो चुका है इसरो की माने तो गगनयान मिशन से 15000 लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

अंतरिक्ष में अब तक के मानव मिशन

1. **वोस्टोक मिशन (USSR-1961)** : इस मिशन को सोवियत रूस द्वारा 1961 में अंजाम दिया गया। लांच-12 अप्रैल 1961। इसमें यूरी गागरिन को जो कि सोवियत रूस के कॉस्मोनाट थे, को अंतरिक्ष में पहुंचाया था। अंतरिक्ष में वह पहले मनुष्य थे।
2. **मरकरी मिशन (USA-1961)** : एलन शेफर्ड प्रथम अमेरिकी थे, जिन्हें फ्रीडम-7 स्पेस क्राफ्ट ने 5 मई, 1961 को अंतरिक्ष में पहुंचाया।
3. **शेनझाऊ-5 प्रोग्राम (China-2003)** : यह एक चाइनीज मिशन था जो कि 2003 में लांच किया गया। यांग लिवेई प्रथम चाइनीज अंतरिक्ष यात्री थे जिन्हें इस मिशन द्वारा 15 अक्टूबर, 2003 में अंतरिक्ष में पहुंचाया गया।
4. **राकेश शर्मा** : प्रथम भारतीय जो 2 अप्रैल 1984 को रूसी सोयूज T-11 द्वारा अंतरिक्ष में पहुंचाए गये। इसके बाद से कोई भारतीय अंतरिक्ष में नहीं गया।

2. चन्द्रयान-2 परियोजना : वर्ष 2008 में भारत का पहला शोधयान सफलतापूर्वक चन्द्रमा की कक्षा में भेजा गया था। इसी ने चंद्रमा पर पानी होने के प्रमाण दिए थे। तकनीकी खराबी की वजह से इसरो ने एक साल बाद ही इस मिशन को खत्म घोषित किया। वर्तमान में इसरो चन्द्रयान-2 को 22 जुलाई 2019 को जीएसएलवी-10 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, जिसका उद्देश्य चन्द्रमा पर धात्विक खनिज के साथ-साथ उसके वायुमण्डल और स्थलीय संरचना का अध्ययन करना था। इसके कुल 3 चरण थे-कक्षीय, लैंडर व रोवर चरण। इसका वजन 3290 किग्रा था। चन्द्रयान-2 विश्व का एकमात्र ऐसा अभियान था, जिसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। चन्द्रयान-2 का वजन 3.4 टन निर्धारित किया गया था, जिसमें कुल 13 उपकरण लगे थे। तीन हिस्सों में **पहला**, आर्बिटर जो चंद्रयान के चारों तरफ चक्कर काटना था। **दूसरा**, लूनर लैंडर जो रोवर को चंद्रमा पर उतरना था और **तीसरा**, रोवर जो चंद्रमा की सतह का विश्लेषण करना था। चन्द्रयान-2 में ऐसे उपकरण लगे थे, जो चन्द्रमा पर नमूने एकत्र करना था। 22 जुलाई, 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र सार के द्वितीय लांच पैड से जीएसएलवी मार्क-3 एमआई रॉकेट द्वारा भारत के चंद्रयान-2 मिशन का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक सफल हुआ। लेकिन 7 सितम्बर, 2019 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में लैंडर करने की प्रक्रिया के दौरान लैंडर का सम्पर्क इसरो के नियंत्रण केन्द्र से टूट गया। लैंडर की चंद्रमा पर साफ्ट लैंडिंग होनी थी, लेकिन यह हार्ड लैंडिंग के माध्यम से चंद्रमा पर उतरा। 31 अक्टूबर, 2019 इसरो ने बताया है कि चंद्रमा के बहिर्मण्डल में चंद्रयान-2 आर्गन-14 की उपस्थिति का पता लगाया। इसरो चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है, जिसका प्रक्षेपण वर्ष 2022 में किया जाना प्रस्तावित है। चंद्रयान-2 के लिए दिसंबर, 2010 में इस बात की सहमति बनी थी कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी 'रॉसकॉसमॉस' चन्द्रयान-2 के लूनर लैंडर के लिए जिम्मेदार होगा, जबकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) आर्बिटर और रोवर के लिए जिम्मेदार होगा। इसरो की जिम्मेदारी चंद्रयान-2 को जीएसएलवी के माध्यम से प्रक्षेपित करने की भी थी। अब चंद्रयान-2 मिशन के उद्देश्यों और लक्ष्यों में संशोधन के बाद यह फैसला किया गया कि लूनर लैंडर के विकास का काम भी इसरो ही करेगा। आर्बिटर में आठ पेलोड यानि उपकरण होंगे जबकि लैंडर में तीन तथा रोवर में दो उपकरण लगे होंगे।
- चन्द्रयान हेतु 'लैंडर' विक्रम का सफल परीक्षण : भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने भारत के चन्द्रयान-2 मिशन के **लैंडर विक्रम** के न्यून संस्करण का सफल लैंडिंग परीक्षण किया। यह परीक्षण तमिलनाडु राज्य के महेन्द्रगिरि स्थित इसरो प्रणोदन परिसर में किया गया। इस लैंडर का नाम इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इस लैंडर को क्रियान्वित करने के लिए लैंडर एक्चुएट परफॉरमेंस परीक्षण किया गया, जो पूर्णतः सफल रहा। परीक्षण के दौरान लैंडर की नेविगेशन, निर्देशन एवं नियंत्रण प्रणाली को परखा गया, जो कि पूरी तरह सफल रहा। इस परीक्षण हेतु चन्द्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को ध्यान में रखकर लैंडर विक्रम को तैयार किया गया, जो धरती के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की भरपाई कर सके।
3. आदित्य एल-1: सूर्य पर प्रथम भारतीय मिशन : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन वर्ष 2019 में सूर्य की सतह का अध्ययन करने हेतु आदित्य एल-1 नामक अंतरिक्ष यान, जो कि लगभग 50 किग्रा. भारी होगा, को पृथ्वी के लैग्रैंगियन बिन्दु एल-1 के प्रभामण्डल कक्ष में स्थापित करेगा। प्रभामण्डल कक्ष एक त्रि-आयामी अथवा 3-डी कक्षा होगी, जिसे एल-1, एल-2 या एल-3 के पास होंगे। इसका उद्देश्य सूर्य की बाहरी परत की गतिशीलता, प्रकृति, कोरोना एवं क्रोमोस्फीयर का अध्ययन करना है। साथ ही यह भी पता लगाना है कि सूर्य की सतह इतनी गर्म क्यों है। भारतीय एस्ट्रोफीजिक्स संस्थान (बंगलूरु), टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च (मुंबई), इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनामि एंड एस्ट्रोफीजिक्स (पूणे) एवं इसरो के विभिन्न संस्थान के भौतिक विदों का एक संयुक्त उपक्रम है। इसका प्रक्षेपण पीएसएलवी एक्सएल द्वारा किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत कुल 7 पे-लोड होंगे-1. दृश्य उत्सर्जन रेखा कोरोनाग्राफी, 2. सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, 3. उच्च एनर्जी एल-1 ऑर्बिटिंग स्पेक्ट्रोमीटर, 4. सौर पराबैंगनी प्रतिबिम्ब दूरबीन, 5. प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज, 6. आदित्य सौर पवन कण परीक्षण एवं 7. मैग्नेटोमीटर।
4. इसरो के मेगा-7 मिशन : • मई, 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने आगामी 10 वर्षों हेतु 7 बड़े अंतरिक्ष कार्यक्रमों की घोषणा की है।

- इसरो ने अभी केवल चंद्रयान-2, आदित्य-L1 मिशन तथा XpoSat मिशन का ही विवरण उपलब्ध कराया है।
- इसरो ने इस घोषणा के साथ अगले 30 वर्षों का एक रोडमैप भी तैयार किया है, जिसमें इसरो के सभी प्रमुख प्रक्षेपण मिशनों का उल्लेख है।

इसरो के सात प्रमुख मिशन

मिशन	प्रक्षेपण वर्ष	विशेषताएं
1. चंद्रयान-3	वर्ष 2022	यह एक ऑर्बिटल, लैंडर और रोबर यान है।
2. XpoSat	वर्ष 2020	यह ब्रह्माडीय विकिरण अध्ययन हेतु 500 से 700 किमी. तक की ऊँचाई पर स्थापित किया जायेगा।
3. आदित्य-L1	वर्ष 2020	सूर्य के कोरोना के अध्ययन हेतु अंतरिक्ष यान लिब्रेशन ऑर्बिट में स्थापित किया जायेगा।
4. मंगलयान-2	वर्ष 2022	यह एक ऑर्बिटल, लैंडर और रोबर यान है।
5. शुक्र	वर्ष 2023	शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित किया जायेगा।
6. चंद्रयान-3	वर्ष 2024	यह भारत का चन्द्रमा पर जाने वाला मानव मिशन होगा।
7. सौरमंडल से बाहर	वर्ष 2028	यह सौरमण्डल के बाहर अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान होगा।

6. मानव के दैनिक जीवन व राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विज्ञान व तकनीक का प्रयोग

नाम	क्षेत्र	प्रयोग
• ROADEO रोबोट	ट्रैफिक प्रबन्धन हेतु	14 जनवरी 2019 को सड़क सुरक्षा के लिए चेन्नई ट्रैफिक पुलिस ने "ROADEO" नामक रोबोट की सहायता ली है। यह रोबोट ट्रैफिक सिग्नलों के साथ एकीकृत होकर ब्लूटूथ एप्स के माध्यम से कार्य करेगा। रोबोट यातायात प्रबन्धन में पुलिस की मदद करेगा और चेन्नई की सड़कों पर पैदल चलने वालों की सहायता भी करेगा।
• USTAD	रेल की सुरक्षा हेतु	भारतीय रेलवे के नागपुर डिवीजन द्वारा "USTAD" (अण्डरगोयर् सर्विलान्स थ्रू आर्टिफिशियल इण्टेलीजेन्स असिस्टेंट ड्रायड) नामक एक ऐसा रोबोट का विकास किया है, जो पटरी पर खड़ी ट्रेनों के निचले हिस्से की कमियों को उजागर कर ट्रेन की बेहतर तरीके से जांच करने में सक्षम है क्योंकि इस रोबोट में ऐसे हाइड्रोजन इण्टेलीजेन्स कैमरे लगे हैं, जो अंधेरे में भी कार्य करने में सक्षम है तथा ये कैमरे वीडियोग्राफी के साथ-साथ फोटोग्राफी कर रियल टाइम बेसिस पर वाई-फाई के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराते हैं।
• ओ नीर	सौर ऊर्जा से चलने वाला वाटर प्यूरीफायर मशीन	इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च (IITR) (लखनऊ) द्वारा एक ऐसा वाटर प्यूरीफायर बनाया गया है, जो सौर ऊर्जा से चलता है और 1 लीटर पानी को प्यूरीफायर करने की लागत मात्र 1 पैसा है। इस मशीन को ग्रामीण इलाकों, स्ट्रीट फूड, कम आय वर्ग के परिवारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह मशीन आक्सीडेशन प्रोसेस पर काम करती है, जिससे पानी में व्याप्त अशुद्धियों जैसे-बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, आर्सेनिक व फ्लोराइड को दूर किया जा सकता है। धूप खत्म होने के बाद भी शुद्ध पानी मिले इसके लिए इसमें एक बैटरी भी लगायी गई है।

अनुसंधान एवं विकास एकद्विवसीय परीक्षा प्रकोष्ठ

- RADA रोबोट हवाई अड्डों पर कार्यरत
इंदिरागांधी हवाई अड्डे के टर्मिनल संख्या-3 पर **विस्तार एयरलाइंस** द्वारा “राडा नामक” रोबोट को तैनात किया गया है, जो 360 डिग्री घूमने वाले तीन कैमरों से लैस है। यह रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी के माध्यम से यात्रियों की सहायता करता है। उनकी समस्याओं को सुनकर उपाय बताता है। साथ ही यात्रियों का मनोरंजन करता है।
- बायोफ्यूल स्वच्छ ईंधन
 - बायोफ्यूल पारंपरिक या जीवाश्म ईंधन के मुकाबले एक वैकल्पिक ईंधन है, जो सीधे तौर पर वनस्पति तेल, पशुओं की वसा, तेल और खाना पकाने के अपशिष्ट तेल से निर्मित किया जाता है।
 - वर्तमान में CSIR-IIP (Council of Science and Industrial Research-Indian Institute of Petroleum) द्वारा निर्मित बायोफ्यूल जैट्रोफा (रतन जोस) से निर्मित किया गया है। उल्लेखनीय है कि 2 लीटर जैट्रोफा तेल से 1 लीटर बायोफ्यूल पैदा होता है। जैट्रोफा छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान में पाया जाता है।
 - विमानों में एविएशन टर्बाइन फ्यूल का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, जो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में मददगार है। अतः पहली बार निजी एयरलाइंस के 72 सीटों वाले यात्री विमान के देहरादू एयरपोर्ट से दिल्ली तक की उड़ान बायोफ्यूल का इस्तेमाल कर पूरी की।
 - इसी क्रम में N-32 सैनिक विमान ने पहली बार मिश्रित बायो-जेट ईंधन (Blended-Bio Jet Fuel) का प्रयोग कर उड़ान भरी।
 - बायोफ्यूल परम्परागत ईंधनों की तुलना में कम प्रदूषणकारी है, इसके धुएँ में सल्फर तथा कार्बन की मात्रा पारंपरिक ईंधन से 15% कम होती है, यह बायोडिग्रेडबल (Biodegradable) व नवीकरणीय ऊर्जा का विकल्प है।
 - वर्तमान में अमेरिका, न्यूजीलैण्ड, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया आदि देशों में विमान कंपनियां 50 फीसदी बायोफ्यूल का इस्तेमाल अपने विमानों में करती हैं। इस दिशा में वर्ष 2008 में सर्वप्रथम अमेरिका ने पहल की थी।
- 5 जी तकनीक इंटरनेट की स्पीड को गति देने हेतु
 - 4जी तकनीक प्रति सेकंड 1 जीबी की गति से परिभाषित की जाती है, जबकि 5 जी तकनीक प्रति सेकंड 20 जीबी की गति अर्थात् 20 गुना अधिक तेज गति से कार्य करेगा।
 - 5 जी तकनीक - इंटरनेट स्पीड को 20 गुना बढ़ाने, इंटरनेट से देखे जाने वाले वीडियो की गुणवत्ता में सुधार, आटोमेशन, मेडिकल सुविधा व इंटरनेट ऑफ थिंग्स के चलन में वृद्धि करेगा।
- सोलर थर्मल फ्यूल (Solar Thermal Fuel) सौर ऊर्जा का तरल रूप
 - सौर ऊर्जा का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से निर्मित व पर्यावरण अनुकूल होती है, परन्तु सूर्य की रोशनी न होने पर इसका वजूद समाप्त हो जाता है। वैज्ञानिकों ने सौर ऊर्जा को एकत्र कर एक तरह का तरल पदार्थ (Fluid) तैयार किया है, जिसका प्रयोग सूर्य की रोशनी न होने पर किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को हल करने में यह कारगर होगा।

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> आई रोव ट्यूना (Eye Rov Tuna) | अंतर्जलीय ड्रोन | <ul style="list-style-type: none"> यह ड्रोन जल में 100 मीटर की गहराई तक जाकर जलमग्न वस्तुओं को ढूँढ़ने, किसी पोत के निचले हिस्से का निरीक्षण करने, बांध का निरीक्षण करने और मछली पालन वाले तालाबों का निरीक्षण ड्रोन में लगे कैमरे से वीडियो प्रसारण कर उपलब्ध करा सकता है। इस ड्रोन का प्रयोग गोताखोरों द्वारा जलमग्न वस्तुओं के जोखिम पूर्ण मानवीय निरीक्षण की आवश्यकता को समाप्त कर देगा। |
| <ul style="list-style-type: none"> लिडार तकनीक (Lidar Technique) | दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सड़क निर्माण सर्वेक्षण में सहायक | <ul style="list-style-type: none"> आईरोव टेक्नोलॉजीज नामक प्रौद्योगिकी कम्पनी ने इसका निर्माण कर डीआरडीओ की प्रयोगशाला Naval Physical Oceanographic Laboratory को सौंप दिया। लाइट डिटेक्शन एण्ड रेंजिंग तकनीक दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सड़क निर्माण से पूर्व सर्वेक्षण के कार्य जैसे जमीन की बनावट, सतह की ऊंचाई, पेड़-पौधों का फैलाव आदि का सर्वेक्षण डिजिटल चित्रों के माध्यम से कर एकदम सही अंदाजा लगाया जा सकता है। यह तकनीक सड़कों को भविष्य में होने वाले भूस्खलन और बाढ़ आदि से बचाने में सहायक है। यह तकनीक वायु प्रदूषण को कम करने में मददगार है। फोटोफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से खाद्य पदार्थों में शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे-विटामिन और खनिजों आदि के स्तर के बढ़ा कर भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार कर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात पाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है। भारत में चावल के फोटोफिकेशन के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने व्यापक विनियमन तैयार किया है। |
| <ul style="list-style-type: none"> फोर्टिफाइड चावल | पोषक तत्वों की उपस्थिति वाले चावल | <ul style="list-style-type: none"> सामान्यतः प्राकृतिक पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वातावरण से CO₂ का अवशोषण करती है और ऑक्सीजन का निष्कासन कर ग्लूकोज का संग्रहण करती है, जबकि कृत्रिम पत्ती में प्राकृतिक पत्तियों की तुलना में 20% अधिक मात्रा में प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करने क्षमता होती है। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आयेगी, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निजात मिल सकेगा व नवीकरणीय ईंधन की प्राप्ति हो सकेगी। |
| <ul style="list-style-type: none"> कृत्रिम पत्ती (Artificial Leaf) | कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सहायक | <ul style="list-style-type: none"> महाराष्ट्र पुलिस ने सबसे ज्यादा नक्सली प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में नक्सलियों से लड़ने के लिए स्थानीय लोगों को चुनकर एक जिला स्तरीय बल 'C-60 कमांडो' का गठन 1989-90 में किया। शुरू में इसमें जिले के कई गांवों से 60 आदिवासी लोगों को भर्ती दी गयी। वर्तमान में इस युनिट में 800 लोग शामिल हैं। C-60 के कमांडो अति प्रशिक्षित होते हैं। वे स्थानीय भूभाग, स्थानीय भाषा जैसे गोंडी तथा मराठी बोलते हैं। नक्सली इन इलाकों में इन्ही भाषाओं में बात करते हैं। ये कमांडो जीवन रक्षा के लिए बेहतर तरीके से प्रशिक्षित होते हैं। जंगल में युद्ध की स्थिति में उन्हें नक्सलियों पर बढ़त रहती है। ये कमांडो नए-नए हथियारों और गैजेट्स चलाने में दक्ष होते हैं। उनकी खुफिया क्षमता जबरदस्त होती है, क्योंकि उन्हें अपने गांवों |
| <ul style="list-style-type: none"> C-60 कमांडो | नक्सली प्रभावित क्षेत्र की सुरक्षा हेतु | |

- | | | |
|---|--|---|
| • कोबरा बटालियन | नक्सलवाद विरोधी अभियान हेतु CRPF द्वारा गठित | की संस्कृति, लोग और भाषा के बारे में जानकारी होती है। स्थानीय लोग उन्हें जानते हैं और उनसे बात करने में उन्हें असुविधा नहीं होती है। C-60 के कमांडो खुद से ही इस बल में शामिल होते हैं। इसमें शामिल कई लोग ऐसे होते हैं, जिनके नाते रिश्तेदार नक्सली हमले में अपनी जान गंवा चुके होते हैं। |
| • बस्तरिया बटालियन | नक्सलवाद विरोधी अभियान हेतु CRPF द्वारा गठित | छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, ओडिशा और अन्य राज्यों में नक्सल विरोधी अभियान हेतु सीआरपीएफ द्वारा कोबरा बटालियन का गठन किया गया है। |
| • आर्सेनिक सेंसर और रिमूवल मीडिया | पानी को आर्सेनिक मुक्त बनाने वाला उपकरण | • छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सीआरपीएफ द्वारा एक बस्तरिया बटालियन का गठन किया है, जिसमें बस्तर जिले के स्थानीय आदिवासी लोग शामिल हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं। इन्हें गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी जा रही है। |
| • यूट्रेक | स्वदेशी जीपीएस माड्यूल | • जल के सम्पर्क में आते ही इस उपकरण में लगे आर्सेनिक सेंसर रंग में परिवर्तन कर दूषित पानी में आर्सेनिक की मात्रा को पार्ट्स पर बिलियन (PPb) के स्तर तक पहचान सकते हैं। इसके बाद यह उपकरण आर्सेनिक मुक्त पीने योग्य पानी का उत्पादन करता है। |
| • अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम मोबाइल एप्प | रेलयात्रियों की सुविधा हेतु | • जल में घुले आर्सेनिक वाले, पानी का उपभोग मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर का कारण बन सकते हैं।
रामकृष्ण इलेक्ट्रो कम्पोनेंट ने भारतीय उपग्रह पर आधारित स्वदेशी माड्यूल “यूट्रेक” विकसित किया, जिससे देश की सीमाओं सहित आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यूट्रेक से भारतीय सीमाओं पर दुश्मन की किसी भी हलचल को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। अब यूट्रेक से सुदूर क्षेत्रों, पर्वतों, जंगलों आदि में छोटी से छोटी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा सकेगी।
केन्द्रीय रेल मंत्रालय ने अनारक्षित टिकट व प्लेट फार्म टिकट लेने के लिए रेल यात्रियों की सुविधा हेतु 5 नवम्बर, 2018 को इस एप्प को लांच किया। |

7. आर्टिफिशियल इण्टेलीजेन्स के क्षेत्र में बढ़ते कदम

- आर्टिफिशियल इण्टेलीजेन्स का अर्थ कृत्रिम तरीके से बौद्धिक क्षमता का विकास अर्थात् ऐसी मशीनें या रोबोट जो इन्सानों जैसी तर्क क्षमता के द्वारा जीवन के विविध क्षेत्रों जैसे कृषि, प्रशासन, चिकित्सा, मौसम से जुड़े पहलुओं एवं अन्य सभी क्षेत्रों के लिए रणनीति बनायेंगे ताकि समस्याओं का निदान किया जा सके।
 - आर्टिफिशियल इण्टेलीजेन्स एवं विश्व वर्ष 2010 से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में 60% की दर से विकास हो रहा है, जिसमें 5 देश विश्व में अग्रिम पंक्ति पर हैं:
 - **अमेरिका:** IBM, Microsoft, Google, Facebook और Amazon जैसे कंपनियों ने 10 अरब डालर से ज्यादा की पूंजी आर्टिफिशियल इण्टेलीजेन्स में निवेश कर दुनिया में इस क्षेत्र में निवेश के मामले पर शीर्ष पर है।
 - **ब्रिटेन:** आर्टिफिशियल इण्टेलीजेन्स के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए Deepmind Technology Ltd. की स्थापना की गई है।
 - **जापान:** आर्टिफिशियल इण्टेलीजेन्स पर 11 हजार से अधिक शोध पत्र प्रकाशित कर चुका है।
 - **जर्मनी:** आर्टिफिशियल इण्टेलीजेन्स का हब बनने की योजना है।
 - **चीन:** वर्ष 2030 तक विश्व स्तर पर आर्टिफिशियल इण्टेलीजेन्स नवोन्मेव केन्द्र बनाने की योजना है।
- नोट:** भारत आने वाले 20 सालों में इस क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयारी कर रहा है।

- आर्टिफिशियल इण्टेलीजेन्स IIT हैदराबाद देश का पहला व विश्व का तीसरा संस्थान है, जहाँ आर्टिफिशियल इण्टेलीजेन्सी में बी.टेक कोर्स लांच किया है। अब तक विश्व में केवल दो संस्थाओं- 1. कार्नेगी मेलन युनिवर्सिटी (अमेरिका) 2. मेसाचुएट्स ऑफ टेक्नोलॉजी (अमेरिका) में यह कोर्स प्रारम्भ किया गया है।

नई तकनीक

- ऊतको तक सीधे दवा पहुंचाने वाले नैनो रोबोट का विकास
- बायो इलेक्ट्रिक मेडिसिन

8. चिकित्सा के क्षेत्र में नई तकनीक

प्रयोग/महत्व

- स्विट्जरलैण्ड के शोधकर्ताओं ने रक्त वाहिकाओं में तैरने वाले नन्हे रोबोट का विकास किया है, जो भविष्य में रोगग्रस्त ऊतकों (Tissue) तक सीधे दवाओं को पहुंचाने में मदद करेंगे। बायो इलेक्ट्रिक दवा एक किस्म की वायरलेस डिवाइस होती है। इसे शरीर में इम्प्लांट किया जाता है और शरीर के बाहर एक ट्रांसमीटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक बार शरीर में इम्प्लांट करने के बाद यह अगले दो सप्ताह तक शरीर में कार्य कर तंत्रिकाओं के रीजनरेशन तथा क्षतिग्रस्त तंत्रिकाओं के उपचार में सहायक है। तत्पश्चात् यह दवा स्वतः ही शरीर में अवशोषित हो जाती है, जिसे बायोडिग्रेडेबल प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रकार की दवा से सीधे ही शरीर के क्षतिग्रस्त भाग अथवा उपचार की आवश्यकता वाले भाग पर कार्य किया जा सकता है और इसमें साइड इफेक्ट का खतरा समाप्त हो जाता है।
- टेलीरोबोटिक तेजस पटेल (विख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ) ने टेली रोबोटिक के जरिये 32 किमी. दूर बैठकर दिल का आपरेशन कर विश्व का पहला टेलीरोबोटिक आपरेशन किया। इस तरह के जटिल आपरेशन टेलीरोबोटिक के द्वारा संपन्न कर भारत ने चिकित्सा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने की संभावना प्रबल कर दी। यह तकनीक गाँवों और दूरदराज के क्षेत्रों में उच्च तकनीक वाली चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
- फ्लूरोसेंट कार्बन नैनो डाट्स IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं की पहचान कर उन्हें तुरंत नष्ट करने के लिए 'फ्लूरोसेंट कार्बन नैनोडाट्स' विकसित किया है।

9. वायरस संक्रमित बीमारियाँ

बीमारी का नाम	जिम्मेदार वायरस	वायरस का स्रोत/वाहक	विशेष तथ्य
1. कोरोना	nCoV वायरस	अभी अज्ञात है	सूखी खाँसी, सरदर्द, गले में खरास आना, थकान, कमजोरी और तेज बुखार आना इसके लक्षण हैं। इसकी शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई और 31.03.2020 तक 6000 से अधिक लोग मर चुके हैं, जबकि एक लाख से अधिक लोग इससे प्रभावित हैं। दुनिया के कुल 195 देशों में से दो तिहाई देश इससे प्रभावित हैं।
2. चमकी बुखार या इंसेफेलाइटिस	एक्यूट इंसेफेलाइटिस हर्प्स वायरस, इंट्रोवायरस, वेस्ट नील वायरस	खाली पेट लिची खाने से	यह बीमारी प्रायः बच्चों और बूढ़ों को होती है। दिमाग में सूजन आजाती है। मतिष्क का ज्वर संक्रामक नहीं होता, लेकिन ज्वर पैदा करने वाला वायरस संक्रामक हो सकता है।
3. जापानी इंसेफेलाइटिस	रैबीज वायरस, हरपीज सिंप्लेक्स, पोलियो वायरस	सूअर और जंगली पक्षी	यह एक उष्णकटिबंधीय बीमारी है, जिसका पता 1871 में जापान में चला। भारत में

			वर्ष 1955 में इसका पता चला था।
4. निपाह वायरस	NiV-M, NiV-B नामक वायरस से फैलता है।	फल खाने वाले चमगादड़ (फ्रूट बैट) जिसे फ्लाईंग फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है।	1998 में यह मलेशिया के कापुंग सुंगई निपाह में पहली बार पता चला था। भारत में यह मामला 2001 में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आया था। इस वायरस का संक्रमण फल खाने वाले चमगादड़ों द्वारा खाये गये फलों की वजह से मनुष्यों तथा पशुओं में फैलता है।
5. जीका वायरस	फ्लैविवायरस	एडीज एजिप्टी नामक मच्छर से फैलता है। ये मच्छर चिकनगुनिया और डेंगू भी इसी से फैलता है।	जीका वायरस सबसे पहले मकाओ नामक लंगूर में देखा गया था। 1947 में युगाण्डा स्थित जीका के जंगलों में ये बंदर होते हैं। 1954 में इंसानों के शरीर में पहली बार इसके लक्षण देखे गये।
6. स्वाइन फ्लू	H ₁ N ₁ , H ₃ N ₁ , H ₃ N ₂ वायरस	यह सूअर से फैलता है।	कम उम्र के व्यक्तियों, छोटे बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को तेजी से प्रभावित करता है। इसका पहला रोगी मैक्सिको में पाया गया। यह मानव की स्वस्थ प्रणाली को प्रभावित करता है।

10. सुपर कम्प्यूटर : विश्व व भारत की स्थिति

ऐसे कम्प्यूटर जो प्रति सेकेंड क्वाड्रिलियन (10 लाख अरब) तक गणना करने में सक्षम हो और उनकी इस क्षमता को पेटाफ्लॉप्स में मापा जाता है, सुपर कम्प्यूटर कहलाते हैं। यहाँ पेटाफ्लॉप्स के बारे में जानना भी अनिवार्य है। सुपर कम्प्यूटर की कार्यक्षमता का **फ्लोटिंग प्वाइंट ऑपरेशन पर सेकेंड** में मापा जाता है, जिसे पेटाफ्लॉप्स कहते हैं। सुपर कम्प्यूटर के निर्माण की दो पद्धतियाँ हैं- वेक्टर पद्धति और समानान्तर पद्धति। भारत में सुपर कम्प्यूटर के अनुसंधान और विकास के लिए 1988 में पुणे में सी-डेक की स्थापना हुई, जिसने सुपर कम्प्यूटर निर्माण की एक श्रृंखला शुरू की जिसे परम श्रृंखला के नाम से जानते हैं। परम्-8000, परम्-8600, परम्-9000, परम्-10000, परमपदम, परमानन्द जैसे सुपर कम्प्यूटर का विकास किया गया। वर्ष 2010 में इसरो ने सागा-2020, डीआरडीओ की अनुसंधान इकाई ने पेस नामक सुपर कम्प्यूटर और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने अनुपम नामक सुपर कम्प्यूटर का विकास कार्य किया।

• विश्व के शीर्ष 10 सुपरकम्प्यूटर (18 नवम्बर, 2019 को जारी विश्व के द्रुततम सुपर कम्प्यूटरों की स्थिति)

कम्प्यूटर का नाम	देश	अधिकतम संसाधन गति पेटाफ्लॉप्स में
1. समिट (Summit)	अमेरिका	148.6
2. सिएरा (Sierra)	अमेरिका	94.6
3. सनवे ताइहुलाइट	चीन	93.01
4. तियानहे-2A	चीन	61.4
5. पिज डेंट (Piz Daint)	स्विट्जरलैण्ड	21.2
6. ट्रिनिटी (Trinity)	अमेरिका	20.1
7. एबीसीआई (ABCI)	जापान	19.9
8. सुपर एमयूसी-एनजी	जर्मनी	19.5
9. टाइटन	अमेरिका	17.6
10. सिकोइया	अमेरिका	17.2

नोट: 18 नवम्बर, 2019 के मध्य अमेरिका के टेक्सास राज्य में “सुपर कम्प्यूटिंग कान्फ्रेंस” का आयोजन किया गया जहाँ विश्व के सुपर कम्प्यूटरों की टॉप-500 सूची जारी की गयी। इस सूची में भारत के 2 सुपर कम्प्यूटरों को स्थान दिया गया जो निम्नवत् हैं:

सुपर कम्प्यूटर का नाम	विश्व में रैंक	वर्तमान में स्थापित
• प्रत्युष	57वाँ रैंक	<ul style="list-style-type: none"> इंडियन इस्टीमेट ऑफ ट्रॉपिकल मैटियोरॉलॉजी पूणे में कार्यरत मल्टी पेन्टाप्लॉट्स के श्रेणी का विश्व का चौथा तीव्रतम गति का सुपर कम्प्यूटर है। ‘प्रत्युष’, सुपर कम्प्यूटर द्वारा मानसून के पूर्वानुमान, चक्रवात एवं सुनामी की सही जानकारी और भूकम्प की चेतावनी बेहतर ढंग से दी जा सकेगी। इस सुपर कम्प्यूटर की सहायता से वायु गुणवत्ता, बाढ़ तथा सूखे की प्रभावकता को भी समझा जा सकेगा। ‘प्रत्युष’ को विश्व का चौथा सबसे तीव्रतम सुपर कम्प्यूटर माना जा रहा है, जो जलवायु तथा मौसमी अनुसंधान से जुड़ा है।
• मिहिर	100वाँ	नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज को कोस्कास्टिंग नोएडा में कार्यरत।

11. संचार प्रौद्योगिकी

5 जी प्रौद्योगिकी

- 5 जी एक वायरलेस संचार तकनीक है जो डेटा को संचारित करने और प्राप्त करने के लिए रेडियो तरंगों या रेडियो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा का उपयोग करती है।
- यह 4 जी एलटीई नेटवर्क के बाद अगली पीढ़ी की मोबाइल नेटवर्क तकनीक है।
- 5 जी प्रौद्योगिकियां धीरे-धीरे सेवाओं में प्रवेश करेंगी, 2019 में शुरू होगी और 2024 तक सेवाओं की पूरी श्रृंखला के लिए आगे बढ़ेंगी।
- 5 जी के लिए अंतिम मानक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा स्थापित किया जायेगा।
- मोबाइल वायरलेस पीढ़ी आमतौर पर सिस्टम की प्रकृति, गति, प्रौद्योगिकी, आवृत्ति, डेटा क्षमता, विलंबता आदि में बदलाव को संदर्भित करती है।
- 5 जी के लिए तकनीकी विनिर्देश में उच्च डेटा दर (हॉटस्पॉट के लिए 1 जीबीपीएस), बड़े पैमाने पर कनेक्टिविटी (प्रति वर्ग किलोमीटर में 1 मिलियन कनेक्शन), अल्ट्रा-लो लेटेंसी (1 मिली. सेकेण्ड) (एक उपकरण से दूसरे तक डेटा पैक भेजने के लिए लगे समय को संदर्भित करता है) और गतिशीलता के दौरान भी उच्च गति शामिल है।
- 5 जी प्रौद्योगिकियां प्रयोग करने पर जीडीपी को बढ़ाने, रोजगार निर्मित करने और अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने में मदद करेंगी और हमारे जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने में सहायक होगी।

12. नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन के बढ़ते कदम

नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का अर्थ: नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वैसे संसाधन होते हैं, जो असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं तथा जिनके उपयोग होने से उनके समाप्त होने की संभावना नहीं होती है। ये संसाधन सामान्यतः पर्यावरण हितैषी एवं अक्षय स्वरूप वाले होते हैं। संक्षेप में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं, जिनका पुनर्जनन किया जा सकता है।

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता: भारत सरकार ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने, आयात पर निर्भरता कम करने, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए तथा ऊर्जा के परम्परागत संसाधनों (कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस) को संरक्षित करने के उद्देश्य से नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन पर जोर दे रही है।

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा हेतु लक्ष्य: भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 के अंत तक कुल नवीकरणीय क्षमता को लगभग 175 गीगावाट तक करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें निम्न लक्ष्य शामिल हैं:-

• पवन ऊर्जा (Wind energy)	:	60 गीगावाट
• सौर ऊर्जा (Solar energy)	:	100 गीगावाट
• बायोमास ऊर्जा	:	10 गीगावाट
• लघु बिजली परियोजना	:	05 गीगावाट

कुल : 175 गीगावाट

(i) **सौर ऊर्जा (Solar Energy) :** सौर ऊर्जा एक सतत ऊर्जा स्रोत है, जो लगभग 5 करोड़ वर्ष से निरंतर विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। भारत प्रतिवर्ष 5000 ट्रिलियन किलोवाट सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। यहाँ एक वर्ष में 250-300 दिन धूप तथा प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर 4.7 किलोवाट घंटा का सौर विकिरण प्राप्त होता है। अतः भारत के ऊर्जा जरूरतों की प्रति हेतु इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

सौर ऊर्जा प्राप्ति के माध्यम: (a) फोटोवोल्टिक सोलर पॉवर: इसमें फोटोवोल्टिक सेल का प्रयोग किया जाता है।

(b) कॉन्स ट्रेटिंग सोलर पॉवर : इसमें लेंस या दर्पण का प्रयोग किया जाता है।

सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण: सोलर पम्प, सौर लालटेन, सौर बल्ब, सौर चार्जर, सौर टॉर्च, सौर कुकर आदि।

सौर ऊर्जा विकास से संबंधित योजनाएँ

योजना	महत्वपूर्ण तथ्य
PAAYAS [Pradhan Mantri Yojana for Augmenting Solar Manufacturing]	: देश की फोटो वोल्टिक क्षमता को बढ़ाने के लिये भारत सरकार ने सोलर पैनल निर्माण उद्योग को 210 अरब रुपये की सरकारी सहायता देने की योजना बनायी है। नोट: इस योजना के तहत सरकार ने वर्ष 2030 तक कुल ऊर्जा का 40% नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है।
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना	: यह नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के 8 मिशनों में से एक है। इसकी शुरुआत 2009-2022 तक 20 हजार मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड से जोड़ी जा सकने वाली सौर बिजली की स्थापना करने और 2 हजार मेगावाट गैर-ग्रिड सौर संचालन के लिए नीतिगत कार्य योजना का विकास करना।
KUSUM [किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महा अभियान]	: इस योजना की घोषणा बजट 2018-19 में की गयी। इस योजना के अन्तर्गत किसानों को वित्त और जल सुरक्षा प्रदान करने के साथ इस योजना का लक्ष्य 2022 तक 25,750 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का विकास करना है। इस योजना के अंतर्गत किसान न केवल अपने खेतों में सोलर पम्प लगा कर सिंचाई कर सकेंगे बल्कि सोलर प्लांट से उत्पादित हुई बिजली को बेचकर अपनी आय में वृद्धि भी कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को 60% योगदान केन्द्र सरकार तथा 30% बैंक कर्ज प्रदान करेगा। कुसुम योजना के तहत देश भर में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी डीजल/बिजली के पंप को सोलर ऊर्जा से चलाने की योजना है। कुसुम योजना की मदद से किसान अपनी भूमि पर सोलर पैनल लगाकर इससे बनने वाली बिजली का उपयोग खेती के लिए कर सकते हैं। किसान की जमीन पर बनने वाली बिजली से देश के गाँव में बिजली की निर्बाध आपूर्ति शुरू की जा सकती है।
सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट योजना	: इस योजना को प्रारम्भ वर्ष 2015 में किया गया, जिसके प्रोफेशनल, डिजाइन, मेन्टेनेन्स आदि के प्रशिक्षण द्वारा सोलर एनर्जी के दायरे को विकसित करना है। इस योजना के अंतर्गत मुफ्त प्रशिक्षण देने का प्रावधान है, इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को सोलर ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों में रोजगार पाने के अवसर प्राप्त होंगे। नोट: इस योजना के तहत 5 वर्षों में (2015-2020) की अवधि में लगभग 50 हजार लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
सोलर रूफ टॉप योजना	: भारत सरकार ने बिजली की खपत को कम करने तथा सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सोलर रूफ टॉप योजना की शुरुआत की है। इसके तहत अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा से अपने घर की बिजली जरूरत को पूरा किया जा सकेगा, जिससे दूसरे स्रोतों से बनाई गई बिजली की खपत कम होगी। इसके लिए सरकार सब्सिडी भी प्रदान करती है।
सौर ऊर्जा शहरों के विकास कार्यक्रम :	नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय नगर निकायों को अपने शहरों की नवीकरणीय ऊर्जा नगर अथवा सौर ऊर्जा शहर बनाने में मार्ग, सिनेमाहाल, होटलों, छात्रावासों, अस्पतालों और उद्योगों में सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना। सौर शहर का लक्ष्य पारंपरिक ऊर्जा की संभावित मांग में कम से कम 10% की कटौती करके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत द्वारा ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना है।
उजाला योजना	: उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल के द्वारा सभी के लिए रियायती दर पर LED बल्ब वितरित किया जाता है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस योजना में हर साल 20 हजार मेगावाट बिजली की बचत होती है। योजना के तहत हर साल 9 करोड़ बल्ब बाँटे जायेंगे। जो बल्ब बाँटे जायेंगे उसमें अन्य बल्ब से 10 गुना ज्यादा रोशनी होती है।
प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना (सौभाग्य)	: इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क बिजली कनेक्शन के लिए लाभकर्ता का चयन किया जाता है, जिसका आधार वर्ष 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनसंख्या होती है, बिना बिजली वाले घरों में भी मात्र 500 रुपये के भुगतान द्वारा कनेक्शन प्रदान किया जाता है। दुर्गम और दूर-दराज के क्षेत्रों में बिना बिजली वाले घरों में बैटरी बैंक सहित 200 से 300 WP वाले सौर ऊर्जा पैक प्रदान किए जाते हैं। इसमें 5 LED लाइट, एक डीसी पंखा और एक डीसी पावर

प्लग सम्मिलित होता है। इसके साथ ही 5 वर्षों तक मरम्मत और देखभाल की जायेगी।

सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य : 1. आंध्र प्रदेश, 2. गुजरात, 3. कर्नाटक, 4. महाराष्ट्र, 5. राजस्थान

13. परम्परागत ऊर्जा संसाधन : कोयला आधारित बिजली संयंत्र, समस्या व समाधान

भारत में बिजली उत्पादन में सर्वाधिक योगदान जीवाश्म ईंधन (कोयला) का है। अर्थात् देश की कुल ऊर्जा उत्पादन में कोयले से 60%, पानी से 26%, व अन्य माध्यमों से 14% के आस-पास बिजली का उत्पादन होता है। कोयले से चलने वाले बिजली घरों से निकलने वाली काली राख पर्यावरण पर निम्न प्रकार से हानिकारक प्रभाव डालती है:-

- कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से अपशिष्ट के रूप में निकलने वाली काली राख यह काली राख पर्यावरण को ही नहीं भूमि और जल को भी प्रदूषित करती है।
- आंधी और तूफान आने पर यह राख हवा में मिल कर सांस, त्वचा और आंख के रोग पैदा कर रही है।
- सांस संबंधी अनेक रोग पैदा होने से और इसके संपर्क में लगातार काम करने वाले मजदूरों की असमय में मौत, हो जाती है।
- बिजली घर के इस अपशिष्ट से बिजली घरों के आसपास जल स्रोत ही नहीं, नहर, तालाब और कुए तक जहरीले होते जा रहे हैं।
- वैज्ञानिकों के अनुसार कोयले से निकलने वाला हर अपशिष्ट चाहे वह गैस हो या राख इससे मानव शरीर, मस्तिष्क और मन पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

नोट: • भारत में जितने भी कोयले से चलने वाले बिजली घर हैं, उनसे वर्ष भर में कम से कम 100 करोड़ टन कोयला अपशिष्ट निकलता है।

- ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 73% योगदान ऊर्जा का होता है।
- वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में बिजली और ताप आधारित उपक्रमों की हिस्सेदारी 24.6% है, परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी 10% है।

काली राख के संभावित प्रयोग:

वर्तमान में कोयला अपशिष्ट (काली राख) का प्रयोग - समेंट निर्माण, सड़क निर्माण में किया जा रहा है इसके अन्य सम्भावित प्रयोग भी हो सकते हैं, जैसे-

- दूर दराज के गाँवों जहाँ की मिट्टी पर पैदल नहीं चला जा सकता वहाँ पर काली राख का प्रयोग।
- गढ़वों को भरने में।
- गमला निर्माण
- हस्तशिल्प में (मूर्ति निर्माण)

14. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी : सिंगल यूज प्लास्टिक

प्लास्टिक का अर्थ: बहुत सारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे-एथिलीन व प्रोपेलीन के उच्च बहुलक को ही प्लास्टिक कहा जाता है, निर्माण के आधार पर प्लास्टिक 2 प्रकार की होती है:-

प्राकृतिक प्लास्टिक	कृत्रिम प्लास्टिक				
ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम और ठण्डा करने पर कठोर हो जाती है। प्राकृतिक प्लास्टिक कहलाती है, प्राकृतिक प्लास्टिक कहलाता है। लाख प्राकृतिक प्लास्टिक का अच्छा उदाहरण है।	रासायनिक विधि से तैयार किए गए प्लास्टिक को कृत्रिम प्लास्टिक कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है:-				
	<table> <tr> <th>थर्मो प्लास्टिक</th><th>थर्मो सेटिंग प्लास्टिक</th></tr> <tr> <td>गर्म करने पर कई रूपों में बदल जाता है- पॉलीथीन, पॉली प्रोपीलीन, पॉली विनायल क्लोराइड</td><td>गर्म करने पर कठोर हो जाती है, लेकिन इसे फिर से गर्म करने पर मुलायम नहीं बनाया जा सकता है। उदाहरण यूरिया, फार्मेल्लिड हाइड, पॉली यूरेथेन</td></tr> </table>	थर्मो प्लास्टिक	थर्मो सेटिंग प्लास्टिक	गर्म करने पर कई रूपों में बदल जाता है- पॉलीथीन, पॉली प्रोपीलीन, पॉली विनायल क्लोराइड	गर्म करने पर कठोर हो जाती है, लेकिन इसे फिर से गर्म करने पर मुलायम नहीं बनाया जा सकता है। उदाहरण यूरिया, फार्मेल्लिड हाइड, पॉली यूरेथेन
थर्मो प्लास्टिक	थर्मो सेटिंग प्लास्टिक				
गर्म करने पर कई रूपों में बदल जाता है- पॉलीथीन, पॉली प्रोपीलीन, पॉली विनायल क्लोराइड	गर्म करने पर कठोर हो जाती है, लेकिन इसे फिर से गर्म करने पर मुलायम नहीं बनाया जा सकता है। उदाहरण यूरिया, फार्मेल्लिड हाइड, पॉली यूरेथेन				

सिंगल यूज प्लास्टिक: प्लास्टिक के वे उत्पाद जिनका एक बार उपयोग किए जाने के बाद या तो उन्हें फेंक दिया जाता है या रिसायकल कर दिया जाता है, सिंगल यूज प्लास्टिक कहलाते हैं।

15. हाइड्रोपोनिक्स तकनीक

हाइड्रोपोनिक्स तकनीक : यह फसल उत्पादन करने की एक ऐसी तकनीक है, जिसमें बिना मिट्टी के प्रयोग किये, केवल पानी में फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस तकनीक में ग्रीनहाउस जैसे बंद सिस्टम में पौधों की जड़ें एक पाइपनुमा संरचना जिसमें पोषक तत्वों से युक्त जल प्रवाहित होता है, के संपर्क में रहती हैं, जिससे पौधों को पोषण तथा आधारार दोनों प्राप्त होता है और मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है।

हाइड्रोपोनिक्स तकनीक भविष्य की कृषि का आधार : इस तकनीक को कृषि का भविष्य निम्न आधार पर कहा जा सकता है:-

- इस तकनीक में फसल उत्पादन के लिए खेत (मिट्टी) की आवश्यकता नहीं। अतः फसलों को उन क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है जहाँ जमीन बहुत कम या नहीं है। इस तकनीक से फसलों को घरों में भी उगाया जा सकता है, जिससे न केवल स्थान का अधिकतम उपयोग होता बल्कि खाद्य आपूर्ति शृंखला में वृद्धि व स्थान का सौंदर्यीकरण भी बढ़ेगा।
- इस तकनीक से फसल उत्पादन पर जलवायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और फसल उत्पादन में मौसमी बाधाएँ नहीं आयेंगी परिणामस्वरूप हर समय, हर जगह सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, जो किसानों की आय में वृद्धि का प्रमुख आधार बन सकती है।
- यह तकनीक फसल उत्पादन में पानी का लगभग 80 प्रतिशत तक बचत तथा पानी के पुनः उपयोग को संभव बनायेगी।
- यह तकनीक पौधों की पोषक तत्वों की मांग के अनुरूप ही पूर्ति करेगी जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि तथा पोषक तत्वों के सीमित प्रयोग हो सकेगा।
- इस तकनीक में खरपतवार नाशी व कीटनाशक रसायनों की कम जरूरत पड़ती है।

उपरोक्त आधार से स्पष्ट है कि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक वर्तमान कृषि चुनौतियाँ जैसे-भूमि की घटती मात्रा, पर्यावरणीय परिवर्तन, जल अभाव, कीट आदि का सामना करने में सक्षम है यही कारण है कि इसे भविष्य की कृषि तकनीक कहा जा सकता है।

16. INS विक्रमादित्य

- INS विक्रमादित्य के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्य** :
- भारतीय नौसेना का सबसे विशाल युद्ध पोत।
 - 1987 से 1996 की अवधि में एडमिरल गोर्शकोव नाम से रूसी नौसेना में कार्यरत।
 - 16 नवम्बर 2013 में INS विक्रमादित्य के नाम से भारतीय नौसेना में शामिल।
 - 30 लड़ाकू विमान व हेलीकॉप्टरों के अतिरिक्त 1600 से अधिक जवान तैनात हैं।
 - हिन्द महासागर में चौकसी तथा भारत के समुद्री हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका।
 - 26 अप्रैल, 2019 को अग्निकांड का शिकार।

17. विविध

दुनिया के सबसे बड़े विमान की पहली उड़ान

- 117 मीटर के रॉक नामक विमान ने अपनी पहली उड़ान अप्रैल, 2019 में भरी 6 बोइंग 747 इंजन वाले इस विमान की गति 304 किमी./घंटा की है।
- इससे 2.27 लाख किग्रा. वजन तक के रॉकेट और सेटेलाइट को छोड़ जा सकता है। अमेरिकी कंपनी स्ट्रेटोलॉन्च सिस्टम्स कॉर्प द्वारा निर्मित दुनिया के सबसे बड़े विमान रॉक ने कैलीफोर्निया के मोजेव डेजर्ट से उड़ान भरी।
- माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक पॉल एलेन ने इस कंपनी की स्थापना की थी।

आर्टैबिन मिशन :

- 13 मई 2019 को नासा में चन्द्रमा पर 2024 में मानव मिशन की घोषणा की है। इस मिशन में एक महिला अंतरिक्ष यात्री को शामिल किया जायेगा। यह अभियान चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव में किया जाना वाला पहला मिशन है।

106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस

- 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी, 2019 के मध्य लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, फगवाड़ा (पंजाब) में किया गया। यह दूसरा अवसर था, जब इसका आयोजन किसी निजी संस्थान में किया गया।
- 107वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी, 2020 के मध्य यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, बंगलुरु में किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता मैसूर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के.एस. रंगप्पा द्वारा की जाएगी।

कैगा-1 ने रचा विश्व कीर्तिमान

- 10 दिसंबर, 2018 को कर्नाटक स्थित परमाणु रिएक्टर 'कैगा उत्पादन केन्द्र-1' ने 941 दिनों तक निर्बाध रूप से लगातार विद्युत उत्पादन करके विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है।

- कैगा संयंत्र कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी पर स्थित है।

नेशनल हेल्थ प्रोफाइल, 2019

- 30 अक्टूबर, 2019 को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 'नेशनल हेल्थ प्रोफाइल, 2019' नामक रिपोर्ट को जारी किया।
- यह रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तत्वावधान में 'केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो' ने तैयार की है।

कृषि प्रौद्योगिकी

संरक्षण खेती (Protective Agriculture)

UN के F.A.O. के अनुसार : "संरक्षण खेती, खेती की वह विधा है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को बिना हानि पहुंचाए कृषि से स्वीकार्य लाभ (Acceptable Profit) प्राप्त किया जाना है।"

सामान्य अर्थ में संरक्षण : "समीपवर्ती पर्यावरण को ध्यान में रखकर हमेशा उच्च एवं निरन्तर उत्पादन को प्राप्त करना है।"

खेती का अर्थ

संरक्षण खेती के आधार : संरक्षण खेती के 3 मुख्य आधार हैं:-

- **निरन्तर न्यूनतम जुताई:** खेत में कुल जुताई क्षेत्र 25% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- **मृदा की सतह को ढक कर रखना:** मृदा की सतह को स्थायी तौर पर फसल अवशेषों (Agriculture Solid Waste) द्वारा ढककर रखना चाहिए। जुताई के समय कम से कम 30% **मृदा सतह**, फसल अवशेषों के द्वारा ढका होना चाहिए।
- **उपयुक्त फसल चक्र प्रणाली:** फसल चक्र प्रणाली में कम से कम तीन विभिन्न प्रकार की फसलों धान, दलहनी व तिलहनी का समावेश होना चाहिए।

संरक्षण खेती अपनाने के कारण

: भारत में कृषि परम्परागत तरीके अर्थात् अवैज्ञानिक तरीके, अनुमान (Estimate) व अनुभव पर आधारित है, जिसके कारण मृदा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है-

उदाहरण: परम्परागत खेती में अधिक व असमय जुताई करने से मृदा के बड़े कण छोटे-छोटे कणों में परिवर्तित हो जाते हैं ये छोटे-छोटे कणों पर जब वर्षा की बूँदें टकराती हैं तो ये मृदा आसानी से पानी के साथ बह कर एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर मृदा की ऊपरी सतह के छिद्रों को भर देते हैं। मृदा छिद्रों के भरते ही/बन्द होते ही, जल का मृदा में अंतः-स्त्राव (जल का मृदा के निचली परतों में प्रवेश) कम हो जाता है, परिणामस्वरूप जल मृदा की सतह पर ही एकत्रित हो जाता है। यह एकत्र हुआ जल वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा पुनः वायुमण्डल में चला जाता है या बहकर ढाल के सहारे निचले हिस्सों में एकत्र हो जाता है, जिससे जल बहाव व मृदा के कटाव में वृद्धि होती है। जल बहाव व मृदा कटाव के कारण मृदा की सतह में मौजूद पोषक तत्व भी बह कर चले जाते हैं।

उक्त परम्परागत कृषि पद्धति से दो महत्वपूर्ण हानि होती है- (i) जल का अपव्यय। (ii) मृदा में मौजूद पोषक तत्वों का व्यर्थ होना।


ये दोनों हानियों के कारण मृदा की उत्पादन व उत्पादक क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। यही कारण है कि वर्तमान में कृषि क्षेत्र पर बढ़ता दबाव हमें **संरक्षण कृषि** की नवीन विधा को अपनाने की प्रेरणा देता है।

संरक्षण कृषि की विशेषता:

- संरक्षण खेती में न्यूनतम एवं शून्य जुताई की जाती है, जिससे मृदा कणों का बिखराव कम होता है और मृदा छिद्रों के खुले रहने से वर्षा का जल अधिक से अधिक मात्रा में भूमि में प्रवेश करता है, परिणामस्वरूप जल के बहाव एवं मृदा कटाव में कमी आती है।
- परम्परागत खेती में किसानों के द्वारा फसल कटाई के बाद फसल अवशेषों को खेत में ही जला दिया जाता है या उन्हें खेत से हटा दिया जाता है इसके विपरीत संरक्षण खेती में लगातार फसल अवशेषों को डालने से मृदा के जैविक (Biotic) अंश में वृद्धि होती है और मृदा की नमी संरक्षित होती है।
- संरक्षण खेती में चूँकि फसल अवशेषों को मृदा की सतह पर ही डाल दिया जाता है इसलिए वर्षा की बूँदें मृदा के कणों पर सीधे प्रहार नहीं करती, जिससे मृदा के कण किसी अन्य स्थान नहीं जा पाते, जिससे मृदा कटाव, मृदा में पोषक तत्वों की क्षति न्यूनतम हो जाती है।
- परम्परागत कृषि में मृदा, कटाव के कारण जब मृदा अन्य किसी स्थान पर एकत्रित होती है और वर्षा समाप्ति के कुछ दिन बाद (2 से

अनुसंधान एवं विकास एकदिवसीय परीक्षा प्रकोष्ठ

3 दिन) मृदा सतह पर कठोर परत बन जाती है। यह कठोर परत भूमि के अंदर जल के प्रवेश एवं जड़ों के विकास को बाधित करती है, जिससे पौधों की जड़े भूमि से आवश्यक पोषक तत्व एवं जल आदि पर्याप्त रूप से ग्रहण नहीं कर पाती है और उत्पादन में गिरावट आती है। परन्तु संरक्षण खेती में मृदा की सतह जैविक अवशेषों के द्वारा ढकी रहती है, इसलिए मृदा की सतह पर यह कठोर परत नहीं बन पाती है। जिसके कारण फसले अच्छी तरह से उगायी जाती है और उत्पादन भी सकारात्मक बना रहता है।



- परम्परागत खेती में किसान साल दर साल एक ही प्रकार के जुताई उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिससे एक निश्चित गहराई पर मृदा की कठोर परत बन जाती है। यह परत भूमि के अंदर जल प्रवेश एवं जड़ों के विकास को बाधित करती है, जिससे पौधों की जड़े भूमि से आवश्यक पोषक तत्व एवं जल आदि पर्याप्त रूप से ग्रहण नहीं कर पाती है और उत्पादन में गिरावट आती है, जबकि संरक्षण खेती में कृषि उपकरण का न्यूनतम उपयोग किया जाता है, जिससे भूमि की निचली सतह पर कठोर परत नहीं बन पाती परिणामस्वरूप पौधों की जड़े भूमि की निचली सतहों में विद्यमान पोषक तत्वों एवं जल का पूर्ण उपयोग कर उत्पादन को सकारात्मक बनाये रखती है।

विविध

शनिग्रह के नवीन उपग्रह

- ग्रह का अर्थ :** ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता वह सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करता है साथ ही वह अपने अक्ष पर घूमने के साथ-साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है।
- उपग्रह का अर्थ :** उपग्रह अपने मूल ग्रह की परिक्रमा करने के साथ-साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है इसके पास भी अपना प्रकाश नहीं होता यह भी सूर्य की ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करता है।

ग्रह	पूर्व स्थिति	वर्तमान (7 अक्टूबर, 2019 की स्थिति)
बुध	0	0
शुक्र	0	0
पृथ्वी	1	1
मंगल	2	2
बृहस्पति	67	79
शनि	62	82
यूरेनस	27	27
नेपच्यून	14	14

शनिग्रह: एकदृष्टि में:

- सूर्य से दूरी के आधार पर शनि सौरमण्डल का छठा ग्रह है।
- बृहस्पति के बाद यह हमारे सौरमण्डल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है।
- शनि ग्रह का आयतन (Volume) पृथ्वी के आयतन के 700 गुना से भी अधिक है, जिसका अर्थ हुआ कि पृथ्वी के आकार के 700 से भी अधिक ग्रह शनि के अंदर समा सकते हैं।
- पृथ्वी, सौरमण्डल का सबसे घना (Dense) ग्रह है, जबकि शनि का घनत्व सबसे कम है।
- शनि ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः हाइड्रोजन (75%) तथा हीलियम (25%) से निर्मित है।
- बृहस्पति पूर्व में सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह वाला ग्रह था वर्तमान में शनि सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है।
- शनि के अतिरिक्त बृहस्पति, यूरेनस व नेपचून में भी वलय है।
- शनि 29.4 वर्षों में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाता है।
- 1610 ई. में गैलीलियो पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने दूरबीन की सहायता से शनि ग्रह के छल्लों का अवलोकन किया था।
- 1655 में डच वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगेंस ने सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था कि शनि ग्रह के चारों ओर एक ठोस छल्ला विद्यमान है।
- शनि एक विस्तृत वलय प्रणाली (Extensive Ring system) से युक्त ग्रह है, जो हजारों व्यक्तिगत छल्लों (वलयों) से निर्मित है।
- शनिग्रह के छल्ले मुख्यतः बर्फ एवं धूल के कणों से निर्मित हैं।
- शनि के छल्ले सबसे बड़े एवं चमकीले हैं।
- अभी तक शनि ग्रह के ज्ञात उपग्रहों की संख्या 62 है, जो वर्तमान में बढ़कर 82 हो गयी।
- **टाइटन**, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है।
- शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह 'रिया' है।
- **एनसीलेडस** (Enceladus) शनि का सबसे चमकीला उपग्रह है, साथ ही इस उपग्रह की सतह सूर्य से आने वाले प्रकाश को 100% परावर्तित कर देता है। इसकी उच्च परावर्तकता का एक कारण इसकी सतह का स्वच्छ एवं सफेद बर्फ के कणों से ढके रहना है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी पर जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक जैविक यौगिकों (Organic Compounds) सहित वाष्पशील गैसों, जल वाष्प, कार्बनडाइ आक्साइड, कार्बन मोनो आक्साइड, लवणों तथा सिलिका आदि की उपस्थिति की पुष्टि एनसीलेडस पर हुई है। इसी कारण बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि "एनसीलेडस" ही वह स्थान है, जो सर्वाधिक निवासनीय (Most Habitable Place) साबित हो सकता है।

शनिग्रह के नवीन 20 उपग्रह

घोषणा	:	7 अक्टूबर, 2019
घोषणाकर्ता	:	अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (IAU) के माइनर प्लैनेट सेंटर द्वारा
खोजकर्ता	:	खगोलविद् स्कॉट एस. शेपर्ड के नेतृत्व वाले दल द्वारा
खोजकरने वाली संस्था	:	कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस (वाशींगटन डी.सी. यूएसए)
उपग्रह को खोजने वाले दूरबीन	:	सुबारू दूरबीन (हवाई द्वीप पर स्थित मौना की नामक सुषुप्त ज्वालामुखी के ऊपर स्थापित)
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य	:	<ul style="list-style-type: none"> • शनि ग्रह के नए खोजे गए उपग्रहों में से प्रत्येक का व्यास लगभग 5 किमी. (लगभग 3 मील) है। • शनि ग्रह के खोजे गये इन 20 उपग्रहों के नामकरण हेतु एक प्रतियोगिता आरंभ की है, जिसके तहत ट्विटर के माध्यम से नाम सुझाने हैं।

स्मरणीय तथ्य

- 16 जुलाई, 2019 को अपोलो-11 मिशन के प्रक्षेपण के 50 वर्ष पूरे हो गये। अपोलो-11 चन्द्रमा पर अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैंनेडी स्पेस सेंटर से सैटर्न-V रॉकेट द्वारा 16 जुलाई, 1969 को प्रक्षेपित किया गया था। नील आर्मस्ट्रांग, एल्ड्रिन तथा माइकल कॉलिंग्स चांद पर गये थे। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे।
- 5 जून, 2019 को चीन ने गतिशील प्लेटफॉर्म (समुद्री पोत) से रॉकेट को प्रक्षेपित करने वाला अमेरिका व रूस के बाद तीसरा देश बन गया है।
चीन ने इस मिशन के अन्तर्गत 7 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया।
- 18 अप्रैल, 2019 को अमेरिका के वर्जीनिया स्थिति 'वॉलप्स उड़ान सुविधा' के मिड-अटलांटिक रीजनल एयरपोर्ट से नासा के व्यावसायिक साझेदार 'नॉर्थोप ग्रुम्मान' के एंटारेस रॉकेट से नेपाली सेट-1 नेपाल का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया।